वाणी

वर्ष : 37 अंक : 138 सितंबर 2023

राजभाषा
विशेषांक

वर्ष 2022-23 हेतु गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, माननीय अजय कुमार मिश्रा से राजभाषा कार्यान्वयन व पत्रिका दोनों श्रेणियों में प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति- प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव

पत्रिका पढ़ने के लिए, क्यूआर कोड स्कैन करें

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
तिमाही गृह पत्रिका

गतिविधियाँ

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय कार्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर तिरंगे को सलामी देते हुए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव** । उनके साथ हैं हमारी कार्यपालक निदेशक **सुश्री एस श्रीमती,** मुख्य सतर्कता अधिकारी **श्री राजीव कुमार** एवं महा प्रबंधक **श्री शुभेन्दु कुमार वर्मा**

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण करते हुए हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की तिमाही गृह पत्रिका

वाणी

वर्ष : 37 अंक : 138 सितंबर 2023

संदेश

माननीय गृह मंत्री जी का संदेश 3

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश 5

कार्यपालक निदेशक महोदया का संदेश 6

कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश 7

महा प्रबन्धक महोदय का संदेश 8

संपादकीय

भाषा और संस्कृति 9

विशेष आलेख

भारत की अध्यक्षता में जी-20 का सफल आयोजन 10

आन्ध्र प्रदेश का भाषाई परिदृश्य और हिन्दी 12

हिन्दी और मीडिया 17

हिन्दी और तमिल का अन्तः संबंध 20

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 22

हिंदी का उत्थान, देश की प्रगति का एक मात्र सोपान 25

हिंदी प्रचार-प्रसार और महात्मा गांधी 41

चंद्रयान 3 : चाँद पर भारत 44

श्री अन्न वर्ष : 2023 48

राजभाषा उत्सव : 2023 53

हिंदी विश्व भाषा की ओर 54

बैंकिंग व अन्य लेख

डिजिटल मार्केटिंग 14

विनियमों में चुनौतियाँ 38

कविता

संघर्ष 16

परिवार 19

हिन्दी 26

कैसे? मेरा भारत महान 43

साहित्य का सफ़रनामा

आदमी को समझने के लिए सामने से नहीं कोण से देखना चाहिए 35

फोटो फ़ीचर

केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित हिन्दी दिवस की झलकियाँ 27

क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित हिन्दी दिवस की झलकियाँ 29

कृति दर्पण

गुलिस्तां 50

प्रवासी भारतीय

सफलता के नए मानक गढ़ते अजय बंगा 46

विविधा

शब्द शब्दांतर 52

हंसी की फुलझड़ियाँ 58

ज्ञान के मोती 58

राजभाषा प्रश्नोत्तरी 59

प्रतिस्पन्दन 60

वाणी

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
की तिमाही गृह पत्रिका

वर्ष : 37 अंक : 138 सितंबर 2023

तुम वहन कर सको जन-मन में मेरे विचार !
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ?

मुख्य संरक्षक
अजय कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

संरक्षक
संजय विनायक मुदालियर
कार्यपालक निदेशक

परामर्शदाता
शुभेन्दु कुमार वर्मा
महा प्रबन्धक

संपादक
कृष्ण कुमार गुप्ता
मुख्य प्रबंधक

संपादन सहयोग
फणीष मणि त्रिपाठी
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
नगेन्द्र कुमार सिंह
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
शुभम दीक्षित
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

मुद्रक
कृष्णराज प्रिंटर्स
36 देवराजन स्ट्रीट, रॉयपेट्टा
चेन्नै 600 014, तमिलनाडु
दूरभाष : 044-28481125

वाणी में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के निजी हैं ।
बैंक का इससे सहमत होना ज़रूरी नहीं है ।

पत्र व्यवहार का पता
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
763 अण्णा सालै, चेन्नै 600002
फैक्स : 044-28551618
दूरभाष : 044-28519572
ई-मेल : official@iobnet.co.in

केवल आंतरिक परिचालन हेतु

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

प्रिय देशवासियो!

आप सब को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत भाषिक विविधता का देश रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषिक विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम 'हिंदी' है। हिंदी भाषा अपनी प्रवृत्ति से ही इतनी जनतांत्रिक रही है कि इसने भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ-साथ कई वैश्विक भाषाओं को यथोचित सम्मान देते हुए उनकी शब्दावलियों, पदों, वाक्य विन्यासों और वैयाकरणिक नियमों को आत्मसात किया है।

हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आन्दोलन के मुश्किल दिनों में देश को एकता के सूत्र में बाँधने का अभूतपूर्व कार्य किया। अनेक भाषाओं और बोलियों में बँटे देश में ऐक्य भावना से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा हिंदी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। इसीलिए, लोकमान्य तिलक हों, महात्मा गांधी हों, लाला लाजपत राय हों, नेताजी सुभाषचंद्र बोस हों, राजगोपालाचारी हों, हिंदी के शुरुआती पैरवीकारों में बहुसंख्यक उन प्रदेशों के लोग थे, जिनकी मातृभाषाएँ हिंदी नहीं थीं।

किसी भी देश की मौलिक सोच और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषा में ही की जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने लिखा है कि, "निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति कौ मूल।" यानि कि, अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। राष्ट्र की पहचान इस बात से भी होती है कि उसने अपनी भाषा को किस सीमा तक मजबूत, व्यापक एवं समृद्ध बनाया है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से वैश्विक मंचों तक यथोचित सम्मान मिला है। हमारी सभी भारतीय भाषाएँ और बोलियाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं।

अपनी भाषा में सुनी हुई अवांछनीय बातें भी बहुत बुरी नहीं लगती। कवि विद्यापति की शब्दावली में कहूँ तो 'देसिल बयना सब जन मिट्ठा' यानि देशी भाषा सभी जनों को मीठी लगती है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है कि शहद सामान मीठी भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से अत्याधुनिक और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाया जा सके।

सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू किया जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जन-जन तक उनकी ही भाषा में उनके हित की बात पहुँचाकर आदर्श लोकतंत्र के निर्माण का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। राजभाषा विभाग ने इसी उद्देश्य से राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहज बनाने की दिशा में काम करते हुए स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली 'कंठस्थ' का निर्माण और विकास किया है। फिजी में संपन्न 'विश्व हिंदी सम्मेलन' में 'न्यूरल मशीन ट्रांसलेशनके साथ इसके नए वर्जन (कंठस्थ 2.0) के मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण भी किया गया है।

राजभाषा विभाग की एक नई पहल 'हिंदी शब्द सिंधु' शब्दकोश का निर्माण है। इस शब्दकोश में संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिसूचित भारतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल कर इसे निरंतर समृद्ध किया जा रहा है। साथ ही, विभाग ने 'लीला हिंदी प्रवाह' मोबाइल ऐप भी तैयार किया है, जिसे अपनाकर विभिन्न भाषा-भाषी 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपनी-अपनी मातृभाषाओं से स्तरीय हिंदी निःशुल्क सीख सकते हैं।

भाषा परिवर्तन का सिद्धांत यह कहता है कि भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है। मेरे विचार से हिंदी के सरल और सुस्पष्ट शब्दों को कार्यालयी कामकाज में प्रयोग में लाना चाहिए। टिप्पणी, पत्राचार, ई-मेल, विज्ञप्ति आदि के लिए आम बोलचाल के शब्दों व वाक्यों के प्रयोग से हिंदी के प्रयोग का चलन बढ़ेगा।

हमारे लिए हिंदी का प्रश्न सिर्फ एक भाषा का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान व सांस्कृतिक गौरव का विषय है। मुझे विश्वास है कि राजभाषा विभाग के उपरोक्त प्रयासों से सभी मातृभाषाओं को आत्मसात करते हुए लोकसम्मत भाषा हिंदी विज्ञानसम्मत व तकनीकसम्मत होकर संपन्न राजभाषा के रूप में स्थापित होगी।

पुनश्च, आप सब को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं।

नई दिल्ली,
14 सितंबर, 2023

(अमित शाह)

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश

प्रिय आइओबियन्स,

गृह पत्रिका वाणी के माध्यम से आप सभी से संवाद करते हुए मुझे सदैव प्रसन्नता होती है । सितंबर तिमाही ने आइओबी परिवार को प्रसन्न होने के दो मुख्य कारण दिये हैं, जिसे आपसे साझा करते हुए हर्ष व गर्व की अनुभूति हो रही है । साथियो, आपके अथक प्रयास एवं परिश्रम से 14 सितंबर 2023 को पुणे में हमारे केन्द्रीय कार्यालय को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से वर्ष 2022-23 के दौरान उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन एवं साथ ही उत्कृष्ट पत्रिका प्रकाशन के लिए प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति, "प्रथम पुरस्कार" प्राप्त हुआ है । यह क्षण मेरे लिए अविस्मरणीय था । इस कीर्तिमान के लिए आप सभी बधाई व प्रशंसा के पात्र हैं । ध्यातव्य है कि शिखर पर पहुँचकर वहाँ जमे रहने के लिए दोगुना प्रयास एवं इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है । सभी कार्यालय एवं शाखाएं, राजभाषा कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित प्रयास करें और राजभाषा संबंधी विभिन्न गतिविधियों एवं नवोन्मेषी कार्यों पर बल दें । प्रयत्नशील रहें कि हमारे कार्यालय / शाखा को नराकास एवं क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के मंच से सराहा जाए ।

साथियो, सितंबर तिमाही का वित्तीय परिणाम आ चुका है और यह परिणाम बैंक के लिए अब तक का ऐतिहासिक परिणाम है । बैंक ने पहली बार किसी तिमाही में रु. 625 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है । इस तिमाही में बैंक का निवल एनपीए 0.68% रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है । एनपीए कम करने का मूल मंत्र है – संभावित स्लिपेज को रोकना एवं वसूली करना । क्षेत्रीय कार्यालय / शाखा एसएमए खातों पर नज़र बनाए रखें और कोशिश करें कि दिसंबर तिमाही में किसी भी खाते के लिए अनावश्यक प्रोविजनिंग न करनी पड़े ।

हमें चालू वित्तीय वर्ष में परिचालनगत लाभ बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत रहना है । परिचालनगत लाभ से स्पष्ट होता है कि बैंक अपने मुख्य व्यवसाय से कितना मुनाफा अर्जित करने में सफल रहा है । यह बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य को भी इंगित करता है । परिचालनगत लाभ बढ़ाने के लिए फंड की लागत व परिचालनगत व्यय में कटौती और आय बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करनी है । फंड की लागत में कटौती कासा की बढ़ोत्तरी से ही संभव है । क्षेत्रों / शाखाओं को कासा बढ़ाने के लिए रणनीति बनाकर टीम के रूप में काम करने के लिए कटिबद्ध रहना है । साथ ही, गुणवत्तापरक ऋण देने पर भी बल दें, जिससे बैंक की आय बढ़ेगी ।

किसी भी कार्य की संपुष्टि साझा प्रयास, मनोबल एवं दृढ़ इच्छाशक्ति से ही संभव है । हमने कारोबार को बढ़ाने के लिए हाल ही में कई अभियान चलाए हैं । आपसे आग्रह है कि बैंक द्वारा चालू सभी अभियानों से जुड़ें और अपना कार्य-निष्पादन बेहतर ढंग से करें ।

आपको सितंबर तिमाही के सफल समापन पर शुभकामनाएं देते हुए, मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की प्रसिद्ध पंक्तियां याद आ रही हैं-

दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो ।

बस अपनी आँखें, औरों के सपनों से जोड़ दो ।

अजय कुमार श्रीवास्तव

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यपालक निदेशक महोदया का संदेश

प्रिय सहकर्मियो,

एक बार पुनः वाणी के नवीनतम अंक के माध्यम से आप सभी से बात करते हुए बेहद हर्ष का अनुभव हो रहा है । इस प्रसन्नता का कारण अब किसी से छुपा नहीं है । इतिहास में पहली बार हमारे बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन तथा पत्रिका दोनों वर्गों में भारत सरकार, गृह मंत्रालय से राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है जो कि एक बड़ी उपलब्धि है । यह उपलब्धि आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं थी । ये आप सभी के समेकित प्रयासों का ही परिणाम था कि बैंक इन पुरस्कारों को प्राप्त कर सका । इसके लिए हमारी राजभाषा टीम तथा सभी स्टाफ़ सदस्य बधाई तथा सराहना के पात्र हैं ।

बैंकिंग सेवा क्षेत्र का अंग है जो हमारे और ग्राहकों के बीच एक अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित करता है । एक राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते हमारी उपस्थिति सम्पूर्ण भारत में है जो कि विविध संस्कृतियों, भाषाओं और बोलियों वाला देश है । उल्लेखनीय है कि भारत में 29 भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10 लाख से अधिक, 7 ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक और 122 ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वालों की संख्या दस हजार से अधिक है । ऐसी स्थिति में हमें बैंकिंग क्षेत्र में वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए ग्राहकों से उनकी ही भाषा में संवाद स्थापित करना होगा और अन्ततः शाखा स्तर पर किए गए इन छोटे-छोटे प्रयासों की परिणति लाभार्जन के रूप में होगी । हमें अपना ध्यान अपने ग्राहक आधार विस्तारित करने की ओर केंद्रित करना होगा, जो कि क्षेत्रीय भाषाओं की मदद के बिना संभव नहीं है । अपने उत्पादों के विज्ञापन के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग सर्वोत्तम माध्यम है ताकि लोग न केवल हमारे उत्पादों के बारे में उनकी भाषा में जान सकें बल्कि हमारे साथ एक जुड़ाव भी महसूस कर सकें ।

यह तो सर्वविदित है हमारा ग्राहक आधार बेहद सशक्त है । हम पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपने ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करते आ रहे हैं । इसका श्रेय काफी हद तक हमारी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा को दिया जा सकता है । किसी भी संस्थान की सफलता के लिए आवश्यक है कि उसके ग्राहकों के साथ उसके संबंध दीर्घजीवी हों, जिसमें हम पहले ही सिद्धहस्त हैं । किन्तु अब समय की मांग है कि हम पुराने ग्राहक आधार को बनाए रखते हुए युद्ध स्तर पर नए ग्राहकों को जुटाने के साथ ही अपने उन ग्राहकों से पुनः संपर्क स्थापित करें जो कि पहले हमारे ग्राहक थे किन्तु अब किन्हीं कारणोंवश किसी अन्य बैंक के साथ कारोबार कर रहे हैं । यह समय है जब हम उनसे बात करें और पुनः उन्हें अपने बैंक से जोड़ें ।

"आपके सबसे नाखुश ग्राहक आपके सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है।"

- बिल गेट्स

शुभकामनाओं सहित...

सुश्री एस श्रीमती

कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश

प्रिय सहकर्मियो,

भारतीय बैंकिंग उद्योग आज तेज बदलाव से गुजर रहा है। इस परिवर्तन की दो प्रमुख वजहें हैं-नई तकनीक और ग्राहकों की अपेक्षाएँ। फिनटेक कंपनियों और गैर-बैंकिंग कंपनियों के वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश ने बैंकिंग में नए आयाम जोड़े हैं। अभी तक हम बैंकिंग को एक अलग क्षेत्र के रूप में देख रहे हैं। परन्तु आने वाले दिनों में हो सकता है कि बैंकिंग जैसा कोई अलग क्षेत्र रहे ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि बैंक कल एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएँ जिसमें बैंकों के साथ गैर-बैंकिंग खिलाड़ी भी रहें। इस बदलाव के कुछ संकेत दिखाई भी दे रहे हैं। आज बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ नवोन्मेषी तरीकों और तकनीकी समाधानों की मदद से वित्तीय उत्पाद व सेवाएं प्रदान करने के लिए फिनटेक कंपनियों से गठजोड़ कर रही हैं।

वैयक्तिक बैंकिंग सेवाओं का स्वरूप एम्बेडेड बैंकिंग में तब्दील हो रहा है। यानि ग्राहक जो भी उत्पाद या सेवा लेंगे उसमें बैंकिंग पहले से ही जुड़ी रहेगी। ऐसे उत्पादों की शुरुआत भी हो चुकी है। आज फ्लिपकॉर्ट और अमेज़न जैसे ऑनलाइन रीटेलर से जब आप कोई उत्पाद खरीदते हैं तो उसके साथ विभिन्न बैंकों और फिनटेक कंपनियों के पे लेटर और ब्याज रहित ईएमआई जैसे आकर्षक ऑफर मौजूद रहते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एम्बेडेड फाइनेंस की सुविधा ग्राहकों को खूब लुभा रही है। संकेत स्पष्ट है कि भविष्य की बैंकिंग, सेगमेंट आधारित बैंकिंग होगी। प्रत्येक सेवा या उत्पाद के लिए खास रूप से तैयार किए गए बैंकिंग उत्पाद होंगे। ग्राहक को फाइनेंस का जो भी विकल्प आकर्षक और लाभप्रद लगेगा वे उसे अपनी मर्जी से चुन सकेंगे। ये बिल्कुल संपर्क रहित बैंकिंग होगी जिसमें आप नहीं बोलेंगे बल्कि आपके उत्पाद ग्राहकों के साथ संवाद करेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि बैंकिंग क्षेत्र में आ रहे ये नए परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा को गति देंगे और इसका पूरा लाभ ग्राहकों को मिलेगा।

शुभकामनाओं सहित,

संजय विनायक मुदालियर

कार्यपालक निदेशक

महा प्रबन्धक महोदय का संदेश

प्रिय आइओबियन्स,

एक बार फिर अपने बैंक की पत्रिका "वाणी" के माध्यम से आप सभी से संवाद का सुअवसर प्राप्त हुआ । यह सुखद अनुभूति अपने आप में अद्वितीय है । वैसे तो हमारे बैंक की स्वनामसिद्ध पत्रिका अपने नाम के अनुरूप बैंक की वाणी होने के दायित्व का बखूबी निर्वहन करती आयी है, समय-समय पर जिसकी सराहना व प्रशंसा न केवल शीर्ष कार्यपालकों बल्कि मंत्रालय तथा भारत सरकार द्वारा भी की जाती रही है । यह अत्यंत हर्ष तथा गर्व का विषय है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रलाय, भारत सरकार द्वारा हमारी पत्रिका को वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पत्रिका के रूप में चयनित किया गया । पत्रिकाओं का प्रकाशन एक सामूहिक काम होता है, जिसमें लेखक से लेकर संपादक तक एवं मुद्रक से लेकर वितरक तक सभी का सहयोग होता है । अतः मैं, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इस पत्रिका के प्रकाशन में सहयोग प्रदान करने वाले सभी स्टाफ सदस्यों का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ । यह आप सभी के समेकित उद्यम का ही परिणाम है कि पत्रिका इस ख्याति को अर्जित कर पाई । इस गौरव के आप सभी बराबर के हकदार हैं ।

बैंक को पहले भी कार्यान्वयन तथा पत्रिका की श्रेणी में प्रशंसा तथा पुरस्कार प्राप्त होते रहे हैं, मगर यह पहली बार था जब बैंक को दोनों श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ । यह पुरस्कार दिनांक 14.09.2023 को पुणे में आयोजित तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2023 में बैंक की ओर से हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ने प्राप्त किया । इस उपलब्धि के लिए आप सभी बधाई एवं प्रशंसा के पात्र हैं । मगर इससे आगे का पथ आसान नहीं है । साथियो, हमें आगे की तैयारी अभी से करनी होगी । यह समय आत्मसराहना का तो है ही मगर यह समय आत्मावलोकन का भी है । राजभाषा कार्यान्वयन हमारे कार्यालयी जीवन में कार्यालयी दायित्वों के अंग की तरह नहीं बल्कि हमारी कार्यशैली के अंग के रूप में शामिल होना चाहिए, तभी हम शीर्ष पर काबिज रह सकेंगे । कितना तो सटीक ही लिखा है अशोक साहिल जी ने –

नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है,
नफ़स नफ़स में बिखरना कमाल होता है,
बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं,
बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है ।

साथियो, मैं दिसंबर माह में बैंक से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहा हूँ तो इस नाते वाणी के माध्यम से संवाद का यह अंतिम अवसर है । अपने करियर में, मुझे आप लोगों के साथ काम करने, मिलने व बातचीत करने का अवसर मिला, जिसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ । आप सभी को जानना, आपसे बातचीत करना व आपसे सीखना मेरे लिए सुखद अनुभव रहा । मैं इन अनुभवों को ताउम्र अपने साथ रखूँगा । मेरे इस सफर, जिसे मैं हमेशा संजोए रखूँगा, को यादगार बनाने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा । मैं आने वाले समय में आपके हर प्रयास में सफलता की कामना करता हूँ ।

शुभकामनाओं सहित,

शुभेन्दु कुमार वर्मा

महा प्रबंधक

भाषा और संस्कृति

प्रिय पाठको,

वाणी पत्रिका का 138वां अंक राजभाषा विशेषांक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है । इस अंक में राजभाषा हिंदी की चहुमुखी विकास समेत क्षेत्रीय भाषापरक आलेखों को समावेशित किया गया है । भाषा एक संवेदनशील मुद्दा है तो संस्कृति हर भारतीय की प्राण है । हम जो शब्द बोलते हैं, उससे समाज और संस्कृति स्वत: प्रभावित होती है । भाषा और संस्कृति ज्ञान के प्रसारण और सामाजिक जीवन के निर्माण में सहायक की भूमिका अदा करती है ।

भाषा हमारी अस्मिता का एक महत्वपूर्ण जरिया है । आग्रह है कि अपनी भाषा के महत्व को समझें और उसे प्रोत्साहित करें । हिंदी हमारे देश की एक ऐसी भाषा है, जो हमें समानता और एकता की भावना से जोड़े रखती है । हिंदी न केवल हमारी अपनी भाषा है बल्कि हमारे कामकाजी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है । हमें स्मरण रखना चाहिए कि कार्यक्षेत्र में हिंदी का उपयोग करना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदेशों को सही से समझने में मदद करता है । इसके अतिरिक्त, सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी भाषा का सही और उचित तरीके से उपयोग हो रहा है । हमारे देश में अनेक भाषाएं एवं बोलियां उपयोग में लायी जाती हैं । लेकिन, आमजन में हिंदी भाषा की स्वीकार्यता अधिक है । हिंदी को सिर्फ एक भाषा के रूप में न देखें, यह संविधान स्वीकृत और मान्यता प्राप्त राजभाषा भी है । भाषाएं सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी होती हैं, जो हमें एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती हैं । हम पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं । इस दौरान, अपने कार्यक्षेत्र में कई भाषाओं और बोलियों का प्रयोग करना सीखते हैं । स्पष्ट है कि हमारे देश की समृद्ध भाषाएं व संस्कृति सद्भावना और विविधता को बढ़ावा देती है । समकालीन समय में हम अक्सर अपनी भाषा की महत्वपूर्ण कड़ियों को भूल जाते हैं, जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है । आपसे अपील है कि अपनी भाषा को जीवंत बनाए रखें और उसका प्रचार-प्रसार करें ।

पत्रिका की पृष्ठ सं. 28 से 31 नववर्ष 2024 की पंचांग सहित कैलेंडर से संबंधित रखा गया है । जिसे कार्यालयों / शाखाओं में यथोचित स्थान पर प्रदर्शित करें । वाणी के इस अंक में हमेशा की तरह सभी स्थायी स्तंभों को बरकरार रखते हुए, मुख्यत: राजभाषा विषयक आलेखों को स्थान दिया गया है । एक ओर जहाँ विशेष आलेख के अंतर्गत 'आंध्र प्रदेश का भाषाई परिदृश्य और हिंदी' विषयक आलेख में हिंदी के विकास में तेलुगु भाषा के महती योगदान, 'हिंदी और तमिल का अंत:संबंध' विषयक आलेख में दक्षिण भारत में हिंदी की पुख्ता जमीन तैयार करने संबंधी समुचित प्रयासों तथा 'भारत की अध्यक्षता में जी-20 का सफल आयोजन' विषयक आलेख वैश्विक स्तर पर किस तरह अपने देश की लोकप्रियता एवं छवि में सुधार की वस्तुस्थिति को बयां करता है वहीं दूसरी ओर बैंकिंग विषयक स्तंभ में 'डिजिटल मार्केटिंग' और 'विनियमों में चुनौतियाँ' जैसी गंभीर एवं तकनीक विषयों पर चर्चा की गई है । साहित्य का सफरनामा स्तंभ में सर्वमान्य व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी के जन्मशती वर्ष पर उनकी साहित्यिक विवेचना को समेटा गया है तथा प्रवासी भारतीय स्तंभ में विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा जी की जीवनी को उकेरा गया है । आपके रसास्वादन के लिए विभिन्न मार्मिक विषयों पर कविता भी प्रस्तुत है । इस अंक के प्रकाशन में सहयोग देने वाले सभी रचनाकारों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ ।

हमें विश्वास है कि आपको राजभाषा विशेषांक पसंद आएगा । आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा में ...

आपका,

कृष्ण कुमार गुप्ता

मुख्य प्रबंधक सह संपादक

भारत की अध्यक्षता में जी-20 का सफल आयोजन

सुरेश कुमार रूंगटा, अंशकालिक निदेशक

वर्ष 1976 में सात देशों के समूह (ग्रुप ऑफ -7) से शुरुआत के बाद अब जी-20 अपने जन्म से तीन गुणा बढ़कर जी -21 हो गया है। 8 सितंबर 2023 तक यह संगठन जी-20 या ग्रुप ऑफ-20 कहलाता था, जो 19 देश और एक यूरोपियन संघ को मिलाकर बना एक अंतरराष्ट्रीय मंच है । यह वैश्विक मंच अर्थव्यवस्था से संबंधित विषयों जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से संबंधित मुद्दों पर विशेष रुप से काम करता है। वास्तव में जी-20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों से बना संगठन है, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं । यह सकल विश्व उत्पाद का लगभग 80 प्रतिशत, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75 प्रतिशत, वैश्विक आबादी की दो तिहाई और दुनिया की भूमि-क्षेत्र का 60 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है । 2008 में आई वैश्विक मंदी के बाद से आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए साल में कम से कम एक बार इस संस्था की बैठक अवश्य होती है । भारत में सम्पन्न हुए शिखर सम्मेलन को मिलाकर अभी तक कुल 18 बैठकें हो चुकी हैं । जिसमें प्रत्येक सदस्य देश की सरकार या राज्य के प्रमुख, वित्त मंत्री व विदेश मंत्री एवं अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के अलावा कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं वित्तीय संस्थाएं जी-20 के इस शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं ।

वर्तमान में जी-20 के सदस्य देश- अर्जेन्टीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, मैक्सिको, रुस, सऊदी अरब, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ हैं । भारत की अध्यक्षता में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन में कुल 112 कार्यों को अंतिम रूप दिया गया, जो अभी तक की हुई सभी बैठकों की तुलना में सर्वाधिक है । जी-20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन ने भारत की नेतृत्व क्षमता को एक सर्वोच्च पहचान प्रदान की है । दिल्ली की प्रगति मैदान में भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को इसका आयोजन हुआ था । इस समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटेन के प्रधामंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सहित सभी सदस्य देशों के बड़े-बड़े राजनेताओं ने इसमें हिस्सा लिया । सबसे ज्यादा जिस चीज़ ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, वह था- इस सम्मेलन के सभा स्थल पर भारत की प्राचीन अनमोल धरोहर "संस्कृति" का भव्य प्रदर्शन। विदेशी मेहमान भारत की इन प्राचीन धरोहर को देखकर हैरान व अभिभूत थे, फलतः वे वहां खड़े होकर अपनी फोटो खिंचवाकर सनातन के रंग में सराबोर हो रहे थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, चिदम्बरम की नटराज की मूर्ति, प्राचीन भारत के वैभवशाली इतिहास को जीवंत कर रहे थे। यह आभा केवल कलाकृतियों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि आयोजन स्थल का नाम, विषय वस्तु का नाम, देश का नाम, नृत्य-संगीत आदि सभी से परिलक्षित हो रहा था । इतना ही नहीं खान-पान और वेशभूषा में भी भारत की सनातन संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से दिख रही थी । इससे दुनिया के श्रेष्ठ 20 देशों को भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के एक लघु स्वरूप से एक ही स्थान पर रूबरू होने का सौभाग्य उपलब्ध हो सका ।

9 सितंबर को दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत ने 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ की सदस्यता हेतु वकालत कर इसे जी-20 का सदस्य बनवाकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने बढ़ते प्रभाव का जलवा दिखाया । भारत की सार्थक पहल से जी-20 संगठन अब जी-21 हो गया है । अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से भारत के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है । भारत का अफ्रीका से हजारो साल पुराना व्यापारिक और सामाजिक रिश्ते रहे हैं । भारत का स्वाधीनता आंदोलन अफ्रीकी देशों के स्वाधीनता का प्रेरणास्रोत बना था । कोरोना काल में भी मोदी सरकार ने अफ्रीकी देशों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाकर मानवता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था । भारत ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के नारे को विश्व मंच पर बढ़ाया तथा अपने को गरीब देशों का रहनुमा के रूप में प्रस्तुत करने में सफल रहा। फलतः अफ्रीकी संघ को सभी देशों की सहमति से जी-20 का सदस्य बनवा दिया ।

भारत को नवम्बर 2022 में इंडोनेशिया के बाली शहर में जी-20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लिए एक गौरव का विषय बताते हुए कहा था कि "भारत की जी-20 की अध्यक्षता क्रियान्वयन उन्मुख होगी ।" भारत को जी-20 की अध्यक्षता ऐसे समय में मिली थी, जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी, रूस-यूक्रेन युद्ध एवं कोरोना महामारी से उपजी चुनौतियों का सामना कर रहा था । भारत में इस समिट के जरिए दुनिया को आशा की नई रोशनी की किरण एवं युद्ध के बजाए शांति और सौहार्द का संदेश दिया । भारत ने जी-20 सम्मेलन का थीम 'वसुधैव कुटुंबकम ' रखा जिसके माध्यम से भारत यह संदेश देने में कामयाब हुआ कि हम सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, वरन पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं ।

भारत ने जी-20 शिखर सम्मेलन का आगाज जिस शानदार तरीके से किया ठीक उसी भव्यता के साथ इसका समापन भी हुआ । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में दिल्ली में हुए जी-20 समिट की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। यह जी-20 समिट कई मामलों में भारत के लिए खास रहा । सबसे ज्यादा घोषणा-पत्र को लेकर अटकले लगाई जा रही थी कि वह प्रकाशित हो पाएगा या नहीं ? पर जी-20 के सभी देश के नेताओं ने एकमत होकर अपनी सहमति प्रदान कर इस अटकल को पूर्णविराम दे दिया। शिखर सम्मेलन का मूल विषय " एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" के अंतर्गत सम्मेलन के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने भारत, मध्य-पूर्व और यूरोप को जोड़ने हेतु एक मेगा इकोनोमिक कॉरीडोर बनाने की घोषणा की है । इस घोषणा से यह साबित होता है

कि मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने के इस मुकाम पर सरकार की अनगिनत उपलब्धियों में से कुछ प्रमुख उपलब्धियों का बखान करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र की एनडीए सरकार ने अपने नौ साल के शासन काल में कई ऐसे महत्वपूर्ण काम किए हैं जिसकी पूर्व में कल्पना भी नहीं की गई थी। मोदी सरकार की समावेशी व सर्वस्पर्शी नीतियों के कारण देश का सबसे कमजोर वर्ग मजदूर, गरीब, किसान एवं शोषित-समाज सुरक्षा के साथ आत्मनिर्भरता की शक्ति से समृद्धि की ओर बढ़ा है तथा नारियों के बीच सशक्तिकरण का संचार हुआ है। जहां एक तरफ हर भारतवासी देश की प्रमाणिक उपलब्धियों और प्रभावशाली नेतृत्व पर गौरवान्वित है वहीं जनकल्याणकारी सरकार के कार्यों से समाज का हर तबका अपने को सम्मानित महसूस कर रहा है। फलस्वरूप भारत की बागडोर संभालने के 9 साल के बाद भी नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता पूरे विश्व के प्रमुख सभी नेताओं से अधिक नम्बर-1 पर कायम है। एक अमेरिकी कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार 78 प्रतिशत की अनुमोदन रेटिंग के साथ नरेन्द्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पूरे विश्व में पीएम मोदी की छवि एक मजबूत नेता के रूप में बनी है, जो कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं।

मोदी सरकार के 9 वर्षों के कुछ प्रमुख कामों को यदि हम तीन आयामों में बांट दें तो इसका वर्णन सगुमता से हो सकेगा। पहला, जब मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली उस वक्त संप्रग सरकार में फैले भ्रष्टाचार के कारण व्यवस्था में पंगुता एवं निष्क्रियता का वातावरण था। मोदी सरकार ने "न खाऊँगा न खाने दूंगा" की नीति के तहत ऊपर स्तर से भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर गरीबों और वंचितों के सर्वांगीण उत्थान हेतु "सबका साथ-सबका विकास" के मंत्र के आधार पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर उस व्यक्ति को वह सुविधाएँ पहुंचाई, जो उनके लिए नितांत आवश्यक थी। इसके अंतर्गत जनधन योजना, हर घर शौचालय, जल एवं बिजली, हर हाथ को काम हेतु कौशल विकास, मुद्रा बैंक एवं आयुष्मान भारत के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्य है। दूसरा - देश की राष्ट्रीय एकता की पहल के तहत शिक्षा, धारा-370 की समाप्ति, नागरिकता संशोधन कानून, तीन तलाक एवं ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण। तीसरा- कोविड-19 से लड़ना एवं आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विकसित भारत के भविष्य की आधारशिला रखना, गरीबों को मुफ्त अनाज एवं प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना।

लोगों की बैंक तक पहुँच के लिए काँग्रेस सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूर किया था। लेकिन जनसाधारण की पहुँच बैंक तक नहीं हो सकी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 24.67 करोड़ परिवारों में से 14.18 करोड़ यानी 58.7 प्रतिशत परिवार ही बैंकिंग सुविधा से जुड़े थे। इसके निदान हेतु देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को एक महत्वाकांक्षी "प्रधानमंत्री जन-धन योजना" की शुरूआत की। सरकार का इरादा इस योजना के माध्यम से देश के प्रत्येक परिवार के कम से कम किसी एक सदस्य का बैंक में खाता खोलने का था। ताकि गरीबों एवं जरूरतमंदों को सरकार से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता की राशि लाभार्थी के खाते में सीधे हस्तांतरित की जा सके। सरकार की सक्रियता के कारण सोच से अधिक अभी तक 48.65 करोड़ जन-धन खाते पूरे देश में खुल चुके हैं; जिनमें 198844.34 करोड़ रुपये की धन राशि जमा है। जबकि इस योजना के तहत जीरो बैलेंस से भी खाते खुलते हैं। जन-धन खाताधारकों को दुर्घटना बीमा एवं चेकबुक सहित दूसरे लाभ भी मिलते हैं। इस योजना के तहत खाताधारकों को खाते में बैलेंस नहीं होने के बाद भी 10 हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, बशर्ते खाता 6 महीना पुराना हो गया हो।

स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की थी। जिसका परिणाम यह रहा कि इस मिशन के तहत सभी गाँव, पंचायतों, जिलों, राज्यों और केन्द्र शाशित प्रदेशों में महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती, 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया जिससे "खुले में शौच" से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को मोदी सरकार द्वारा शौचालय निर्माण हेतु 12 हजार रुपये दिए जाते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितम्बर 2017 को "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना" का शुभारंभ किया था। सौभाग्य योजना के अंतर्गत देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी शेष गरीबों के गैर-विद्युतीकृत घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर रौशन करना है। इस योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन देने के क्रम में निकटतम विद्युत खंभे से सर्विस केबल घर तक लाना, बिजली-मीटर लगाना, एलईडी बल्ब और एक मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट लगाना शामिल है। इस योजना के तहत सिर्फ 500 रुपये के भुगतान पर अन्य घरों (गरीबों को छोड़कर) को भी विद्युत कनेक्शन मुहैया कराये जाते हैं। यदि एक साथ 500 रुपये की राशि का भुगतान नहीं कर सकते हैं तो 10 मासिक किस्तों में भी भुगतान का प्रावधान है। केन्द्र सरकार इस योजना के लिए राज्यों और संघ शाशित प्रदेशों को पूर्णतः वित्तीय मदद देती है। घरों में बिजली पहुंचने से केरोसिन की खपत काफी घट गई है। "हर घर जल जीवन मिशन" की शुरूआत 15 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी तथा यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 15 अगस्त 2024 तक सभी परिवारों को पाइप लाइन से जलापूर्ति की जाएगी। इस योजना पर लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपये की बड़ी राशि खर्च होने का अनुमान है।

आन्ध्र प्रदेश का भाषाई परिदृश्य और हिन्दी

एस पी महेश कुमार, महा प्रबंधक, केंद्रीय कार्यालय

भारत के दक्षिणी भाग में स्थित राज्य आंध्र प्रदेश में, भाषा परिदृश्य समृद्ध और विविध है। आंध्र प्रदेश की राजभाषा भाषा तेलुगु है, जो भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक है। राज्य की अधिकांश आबादी की मातृभाषा तेलुगु है, और यह आंध्र प्रदेश के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भाषा व्यक्तियों और समुदायों के बीच संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। स्थानीय भाषा है जो आमतौर पर किसी समुदाय या किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के समूह द्वारा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश राज्य अपनी समृद्ध भाषाई विविधता के लिए जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं। इसका उपयोग अक्सर दूसरी भाषा के रूप में या विभिन्न क्षेत्रों में संवाद के लिए किया जाता है।

भाषा परिवार

तेलुगु और हिंदी अलग-अलग भाषा परिवारों से संबंधित हैं। तेलुगु को द्रविड़ भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि हिंदी एक इंडो-आर्यन भाषा है। तेलुगु और हिंदी दोनों को अपने-अपने भाषा परिवारों में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा होने का गौरव प्राप्त है। तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली सदस्य है, इसके बाद तमिल, कन्नड़ और मलयालम हैं। हिंदी इंडो-आर्यन भाषा परिवार की सबसे अधिक बोली जाने वाली सदस्य है, इसके बाद बंगाली, पंजाबी और मराठी हैं।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर मिली प्रेरणा से आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई शुरू की गई। अगस्त 1965 में लॉ कॉलेज भवन परिसर में 8 छात्रों के साथ हिंदी में एक स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना की गई थी। पूर्व संकाय सदस्य डॉ. यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद को भारत सरकार से पद्म श्री पुरस्कार मिला है। 1978 में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त 3 लाख अनुदान, समाज-सेवी श्री आर.के.सर्राफ के एक लाख रुपये के दान से हिंदी विभाग के लिए एक अलग 'हिंदी भवन' का निर्माण किया गया।

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा-आंध्र प्रदेश, हैदराबाद शाखा की स्थापना राष्ट्र भक्त और महात्मा गांधीजी के अनुयायी स्वर्गीय कोंडा वेंकटप्पाय्या पंथुलुजी द्वारा वर्ष 1936 में की गई थी। वे आंध्र प्रचार सभा के पहले अध्यक्ष थे। वर्ष 1936 में विजयवाड़ा आंध्र सभा का प्रधान कार्यालय था, बाद में इसे हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1929 के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तेनाली में सभा की शाखा का दौरा किया और राष्ट्रीय भक्तों को संदेश दिया। वर्ष 1946 के दौरान महात्मा गांधी ने विजयवाड़ा शाखा के शिलान्यास पत्र को आशीर्वाद दिया और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर शिलान्यास की, और विनोबा भावे जी को विजयवाड़ा शाखा के शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता करने का निर्देश दिया। वर्ष 1969 के दौरान विजयवाड़ा में विनोबा भावेजी द्वारा एचपीटी ट्रेनिंग कॉलेज के नये भवन का उद्घाटन किया गया। 1936 से आज तक आंध्र सभा गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार-प्रसार में लगी हुई है। यह संस्थान महात्मा के सिद्धांतों पर चल रहा है।

हिन्दी के प्रचार प्रसार में निम्नलिखित विद्वानों ने सभा को अपनी उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान कीं।

अध्यक्ष	अध्यक्ष का नाम
पहले	कोंडा वेंकटप्पैया पंतुलु
दूसरे	तंगुतुरी पकाशम पंतुलु
तीसरे	डॉ.बेजावाड़ा गोपाल रेड्डी
चौथे	स्वामी रामानंद तृतीय
पाँचवें	सीर्ला ब्रह्मैया
छठे	एम.वी.पपन्ना गुप्ता
सातवें	वेमुरी सुब्बाराव
आठवें	बोयपाटि नागेश्वरराव
नौवें	काजा वेंकटेश्वरराव
दसवें	कोम्मा शिवशंकर रेड्डी
ग्यारहवें	एम.सीता लक्ष्मी
बारहवें	कदारू मल्लैया

दिसंबर 2016 से हिंदी भक्त श्री पी.ओबैया अध्यक्ष के रूप में चुने गए और सभा की विकास गतिविधियों में सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित कार्यालय शाखाएँ सभा अपनी गतिविधियाँ सभा की शाखाओं के माध्यम से चलाती है। यह हर वर्ष अगस्त और फरवरी में प्राथमिक से लेकर प्रवीण तक की परीक्षा आयोजित करता है। हर सत्र में बहुत सारे छात्र परीक्षा दे रहे हैं।

- विजयवाड़ा
- विशाखापत्तनम
- गुंतकल
- गुंटूर
- तिरुपति
- एलुरु
- राजमुंदरी
- जनगांव

उपर्युक्त केन्द्रों में पुस्तकों की बिक्री उच्चतम स्तर पर पहुँच गयी है।

हिंदी भारत सरकार की राजभाषा है। इस महत्व को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उदारतापूर्वक दक्षिण में हिंदी विभाग स्थापित करने की योजना बनाई। हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए तिरुपति एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि तिरुपति पूरे दक्षिण तक पहुंचने के लिए एक पुल है। इसी पृष्ठभूमि में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय,तिरुपति में हिंदी विभाग की स्थापना वर्ष 1959 में ही की गई थी। श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय (एस.वी.यूनिवर्सिटी) का हिंदी विभाग दक्षिण में सबसे पुराना और कई मायनों में अग्रणी है। 10 संकाय सदस्यों के साथ तीन वर्ष की अल्प अवधि में यह पूर्ण रूप से विकसित हो गया। विभाग गर्व से कह सकता है कि पिछले वर्षों के

संकाय में प्रतिष्ठित विद्वान जैसे प्रो. विजयपाल सिंह, प्रो. वाई. वेंकटरामराव, प्रो. जनार्दन राव चेल्लर, प्रो. राजमल बोरा, प्रो. धनर्ज मंधाने, प्रो. डी. दस्तगिरी, प्रो. वाई. शिवरामी रेड्डी आदि शामिल थे।

गुंटूर - तेनाली - विजयवाड़ा प्रसिद्ध हिंदी लेखकों और कवियों का गढ़ था, जिन्हें राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने में योगदान देने वालों के बीच मान्यता मिली। हिंदी और तेलुगु की दो महान भारतीय भाषाओं में डॉ. यरलागड्डा लक्ष्मी प्रसाद की महारत कुछ हद तक दोनों भाषाओं में उनकी डॉक्टरेट की डिग्री से प्रमाणित होती है और उनके मूल कार्यों के साथ-साथ इन दो भाषाओं में अनुवादित कार्यों द्वारा और अधिक उचित रूप से बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में वह विंध्य के दक्षिण में हिंदी के अग्रणी समर्थक के रूप में उभरे हैं। आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी के अध्यक्ष के रूप में - एक प्रमुख शिक्षाविद् के रूप में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति, डॉ. यरलागड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है।

आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी हिंदी में साहित्य सृजन करने वाले तेलुगु लेखकों को नकद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित कर रही है । यह अकादमी आंध्र प्रदेश में हिंदी के प्रसार पर अध्ययन रिपोर्टों का एक संकलन भी प्रकाशित करेगी जिसके लिए यह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की मदद लेगी।

आंध्र प्रदेश में हिंदी की शुरुआत करने वाली एक और महिला उद्घोषक थीं । आंध्र महिला सभा दुर्गाबाई देशमुख के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा और विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की थी। इस सभा का विचार आधिकारिक तौर पर स्थापित होने से कई साल पहले उनके मन में अंकुरित हुआ था। इसका विकास काकीनाडा जिले में बालिका हिंदी पाठशाला से हुआ जहां दुर्गाबाई एक युवा लड़की के रूप में हिंदी पढ़ती और पढ़ाती थीं।

शब्दावली तुलना

अलग-अलग भाषा परिवारों से संबंधित होने के बावजूद, हिंदी और तेलुगु में कई समान शब्दावली वाले शब्द हैं। इसका कारण यह है कि तेलुगु, संस्कृत से काफी प्रभावित है, जो एक प्राचीन भारतीय भाषा है जो हिंदी के समान इंडो-आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है।

तेलुगु शब्दावली के अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं। हिंदी शब्दावली के एक बड़े हिस्से का उद्गम भी संस्कृत ही है।

Hindi Telugu

प्रेम (prem)	ప్రేమ (prēma)
आनंद (ānand)	ఆనందం (ānandam)
मार्ग (mārg)	మార్గం (mārga)
फल (phal)	ఫలము (phalamu)
शांति (śānti)	శాంతి (śānti)
आग (aag)	అగ్ని (agni)
वन (van)	వనము (Vanamu)
नदी (nadī)	నది (nadi)
नींद (nīnd)	నిద్ర (nidra)
राजा (rājā)	రాజు (rāju)

हालाँकि, जबकि तेलुगु आंध्र प्रदेश में प्रमुख भाषा है, राज्य के भीतर अन्य भाषाएँ भी बोली जाती हैं। अपनी भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक महत्व के कारण, आंध्र प्रदेश उर्दू, हिंदी, कन्नड़ और तमिल जैसी भाषाओं के बोलने वालों का भी घर है। राज्य के भीतर इन भाषाओं का अपना जीवंत समुदाय है, जो आंध्र प्रदेश की बहुसंस्कृतिवाद और भाषाई विविधता में योगदान देता है।

इन भाषाओं में, हिंदी आंध्र प्रदेश में विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह भारत की भाषा है। हिंदी पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई पृष्ठभूमि के लोगों के बीच संचार के लिए एक आम भाषा के रूप में कार्य करती है। इसे आन्ध्र प्रदेश के स्कूलों में दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, और देश के अन्य हिस्सों के लोगों के साथ संप्रेषण की सुविधा के लिए आंध्र प्रदेश में कई लोग हिंदी में कुशल हैं।

आंध्र प्रदेश में हिंदी का प्रभाव शिक्षा और संचार तक सीमित नहीं है। हिंदी फिल्म उद्योग, जिसे बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, की राज्य में बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं। हिंदी फिल्में व्यापक रूप से देखी और मनाई जाती हैं, जो आंध्र प्रदेश के लोगों के बीच हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने और समझने में योगदान करती हैं।

जबकि हिंदी आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि राज्य को अपनी भाषा तेलुगु पर बहुत गर्व है। तेलुगु भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं, जिसमें कई संस्थानों, संगठनों की नवीनतम पहलें की शामिल है जो तेलुगु साहित्य, संगीत, नृत्य और सिनेमा पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

विज़न

आंध्र प्रदेश में आज भाषा विभाग वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन नई चुनौतियों के साथ और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए हिंदी विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर उन्मुख कार्यक्रम अर्थात हिंदी भाषा प्रबंधन और प्रौद्योगिकी जैसे एक नए कार्यक्रम को शुरू करने की योजना बनाई है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को हिंद सॉफ्टवेयर्स की मदद से कंप्यूटर के माध्यम से भाषा कौशल विकसित करने के लिए तैयार करना है।

निष्कर्ष

आंध्र प्रदेश में भाषा परिदृश्य इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता का प्रतिबिंब है। तेलुगु प्रमुख भाषा के रूप में खड़ी है, जो राज्य के इतिहास और संस्कृति में गहराई से निहित है। हालाँकि, हिंदी भी अपने राष्ट्रीय महत्व और व्यापक उपयोग के कारण अपना स्थान पाती है। आंध्र प्रदेश में इन भाषाओं का सह-अस्तित्व राज्य की भाषाई विशिष्टता को बढ़ाता है, जो भारत के व्यापक भाषाई परिदृश्य को अपनाते हुए अपनी विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

डिजिटल मार्केटिंग

संतोष कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी

डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ डिजिटल चैनलों और इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं का प्रचार और विपणन है। सरल शब्दों में, डिजिटल मार्केटिंग वे मार्केटिंग है जो मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट आदि की मदद से ऑनलाइन होती है।

डिजिटल मार्केटिंग से लाभ -

1. मार्केटिंग का सबसे किफायती तरीका

डिजिटल मार्केटिंग पारंपरिक मार्केटिंग की तुलना में काफी सस्ती है। टीवी, रेडियो या प्रिंट मीडिया जैसे किसी भी अन्य मीडिया की तुलना में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर विज्ञापन चलाना अधिक बजट-अनुकूल है। यह आपको नाटकीय रूप से लागत में कटौती करने और उस पैसे को अन्यत्र खर्च करने में मदद कर सकता है, जैसे कि आपके उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना।

2. छोटे व्यवसायों के लिए बहुत आशाजनक

डिजिटल मार्केटिंग विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए फायदेमंद है, मुख्य रूप से लागत के कारण और अधिकांश ग्राहक अपने खरीदार की यात्रा ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। यह छोटे व्यवसायों के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायक हो सकता है।

3. लीड जनरेशन

डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, आप अपनी मार्केटिंग सामग्री के माध्यम से योग्य लीड उत्पन्न कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपकी सामग्री देखी और वे कितने जुड़े हुए थे। जो उपयोगकर्ता आपकी सामग्री में वास्तविक रुचि दिखाते हैं वे संभावित लीड हैं जिन्हें आप ग्राहकों में बदल सकते हैं।

4. बेहतर रूपांतरण दर

आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ बेहतर रूपांतरण दर देखेंगे क्योंकि यह आपको अपने संभावित ग्राहकों को अधिक कुशलता से लक्षित करने की अनुमति देता है। ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से अपने ग्राहकों तक पहुंचना टेलीफोन की तुलना में कहीं बेहतर तरीका है। डिजिटल मार्केटिंग आपको उन बेहतर लीडों को फ़िल्टर करने में सक्षम बनाएगी जिनसे आपके उत्पाद को खरीदने की अधिक संभावना है।

5. प्रतिस्पर्धियों पर नजर रखना आसान

व्यवसायों को खेल में आगे रहने के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग इस संबंध में बहुत मदद कर सकती है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को देख सकते हैं और उनकी तुलना अपने प्रतिस्पर्धियों से कर सकते हैं। आप उनके सोशल मीडिया और खोज विज्ञापन अभियान देख सकते हैं और किसी भी अवसर की तलाश कर सकते हैं।

6. आदर्श खरीदारों को प्रभावी ढंग से लक्षित करने में सहायता

डिजिटल मार्केटिंग अपने आदर्श ग्राहकों को लक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है। सभी ऑनलाइन चैनल आपको उम्र, स्थान, लिंग आदि जैसे कारकों के आधार पर अपने अभियान को लक्षित दर्शकों की ओर निर्देशित करने की अनुमति देते हैं। पारंपरिक विपणन चैनल इस संबंध में निचले सक्षम नहीं हैं क्योंकि वे एक विशिष्ट दर्शकों की ओर आपके प्रयासों को लक्षित करने में विफल रहते हैं। उदाहरण के लिए, रेडियो, टीवी या प्रिंट विज्ञापन आम जनता तक पहुंचेंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि वे इच्छित उपभोक्ताओं तक पहुंचेंगे।

7. बेहतर आरओआई (ROI)

जैसा कि हमने बताया, डिजिटल मार्केटिंग आपके रूपांतरणों में सुधार करेगी, जिससे राजस्व आंकड़ों में काफी वृद्धि होगी। चूँकि प्रारंभिक निवेश पारंपरिक विपणन की तुलना में काफी कम है, इसलिए निवेश अनुपात के रूप में रिटर्न बहुत अधिक होगा। इसके अलावा, अन्य मार्केटिंग चैनलों की तुलना में डिजिटल मार्केटिंग में किए गए निवेश को पुनर्प्राप्त करने में बहुत कम समय लगेगा। दूसरे शब्दों में, आपके व्यवसाय को निवेश पर बेहतर रिटर्न (ROI) दिखाई देगा।

8. मोबाइल ग्राहकों से जुड़ने में सहायक

मोबाइल ग्राहक जो अपनी अधिकांश खरीदारी ऑनलाइन मोड के माध्यम से करते हैं, आज के बाजार का एक बड़ा हिस्सा हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपके व्यवसाय को इस विशाल बाज़ार में प्रवेश करने और मुनाफा कमाने में मदद कर सकती है। अपनी वेबसाइट को मोबाइल-अनुकूल बनाने से आपको इन ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।

9. बड़े निगमों के साथ प्रतिस्पर्धा

बड़े निगम आमतौर पर छोटे व्यवसायों पर दबाव डालते हैं और उनके विकास में बाधा डालते हैं क्योंकि उनके पास अधिक खर्च करने की शक्ति होती है। डिजिटल मार्केटिंग इस समस्या का समाधान करती है क्योंकि यह खेल के मैदान को समतल करती है और छोटे व्यवसायों को बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देती है।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए डिजिटल मार्केटिंग का महत्व

बैंकिंग सेवा प्रदाता चुनने में ग्राहकों की अपेक्षाएँ अन्य बाज़ारों में उनकी ज़रूरतों से बिल्कुल भिन्न होती हैं। नियमित उत्पादों की ऑनलाइन खरीदारी करने के इच्छुक ग्राहकों के लिए, उनके द्वारा खरीदे गए भौतिक उत्पाद से संबंधित एक ठोस परिणाम होता है। यदि डिलीवर किया गया उत्पाद ग्राहक की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, तो परिणाम संतोषप्रद नहीं होगा, दोबारा व्यवसाय की हानि होगी और यहां तक कि प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। बैंकिंग क्षेत्र में बिक्री और विपणन का रुझान पूरी तरह से अलग है क्योंकि ग्राहकों के लिए सभी इंटरैक्शन का परिणाम अमूर्त है।

इसका मतलब है कि बैंकिंग क्षेत्र में किसी भी बिक्री और विपणन की वास्तविक सफलता सेवा प्रदाता का पता लगाने, बैंकिंग उद्योग में डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के बारे में सूचित होने और लेनदेन को सुचारू और कुशलता से संचालित करने में ग्राहक के अनुभव पर निर्भर करेगी। बैंकों के ग्राहक लेन-देन में शामिल डॉलर, पाउंड या यूरो को अंतिम परिणाम के रूप में नहीं देखते हैं, जिस तरह खुदरा खरीदार अपने अनुभव की सफलता के प्रमाण के रूप में जूते, टोपी या किराने का सामान देखते हैं। लेन-देन करने में ग्राहक का अनुभव ही वह अंतिम कारक है जो बैंकिंग उद्योग में सोशल मीडिया मार्केटिंग सहित इसकी तकनीक की सफलता को निर्धारित करता है।

डिजिटल युग से प्रभावित होकर, अधिक से अधिक उपभोक्ता अपने बैंकिंग समाधानों को हल करने के लिए ऑनलाइन और मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए कई बैंकिंग उद्योग के खिलाड़ी तेजी से विकसित हो रहे हैं। वैश्विक स्तर के उपयोगकर्ता आधार के साथ, डिजिटल मार्केटिंग बैंकिंग क्षेत्र की मार्केटिंग रणनीति को ब्रांड जागरूकता बनाने, अधिक ग्राहक अधिग्रहण और जुड़ाव बढ़ाने और निश्चित रूप से बैंकों के लिए बड़े पैमाने पर अधिक व्यवसाय चलाने में मदद कर सकती है। बैंकिंग क्षेत्र ने उभरते बाजार और ग्राहक व्यवहार के साथ बने रहने के लिए डिजिटल मार्केटिंग तकनीकों को तेजी से अपनाया है।

कमियां - डिजिटल मार्केटिंग के तमाम फायदों के साथ-साथ इसकी कमियां भी हैं।

1. समय की खपत

ऑनलाइन मार्केटिंग का सबसे बड़ा अवगुण इसकी समय लेने वाली प्रकृति है। समय के साथ, आप समझ जाएंगे कि आपके ब्रांड के लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। फिर आप अपनी रणनीतियों को व्यवस्थित कर सकते हैं और समय की खपत कम करने के लिए सही तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए, ऑनलाइन मार्केटिंग में प्रवेश करने से पहले, आपके पास काम करने वाली रणनीतियों के साथ एक उचित योजना होनी चाहिए।

2. सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे

जब डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है तो सुरक्षा और गोपनीयता प्रमुख चिंताएं हैं। व्यवसायों के लिए ग्राहक डेटा की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। जब ग्राहकों को यह भरोसा नहीं होता है कि कोई ब्रांड या व्यवसाय उनकी डेटा सुरक्षा की परवाह नहीं करता है, तो वे उससे नहीं जुड़ते हैं। सुरक्षा समस्याओं का पता लगाने के लिए भेद्यता स्कैनर का उपयोग करना एक प्रभावी तरीका है।

3. दुर्गमता

हालाँकि, ऑनलाइन मार्केटिंग ब्रांडों को वैश्विक पहुंच प्रदान करती है, लेकिन दुनिया के सभी क्षेत्रों या लोगों तक इसके माध्यम से पहुंच नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट सेवा प्रदाता उपलब्ध नहीं हैं या इंटरनेट कनेक्शन खराब है। इसके अलावा, अनपढ़ और बुजुर्ग लोग जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं, उन तक डिजिटल मार्केटिंग नहीं पहुंच पाती है।

4. तकनीकी मुद्दे

जब आप कच्चे वेबसाइट डिज़ाइन, धीमी पेज लोडिंग गति, वेबसाइट डाउनटाइम, खराब साइट नेविगेशन, खराब खोज इंजन अनुकूलन और अधिक जैसी तकनीकी समस्याओं का सामना करते हैं, तो आप वेब ट्रैफ़िक खो देते हैं। जब ऐसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है, तो लोग आपके प्रतिस्पर्धियों के पास जाते हैं जो तकनीकी रूप से अच्छे होते हैं और ऑनलाइन एक सहज अनुभव प्रदान करते हैं।

5. वैश्विक प्रतिस्पर्धा

ऑनलाइन मार्केटिंग हर व्यवसाय को वैश्विक पहुंच प्रदान करती है। इसका मतलब यह भी है कि आपको वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना

करना पड़ेगा । आपको कई प्रतिस्पर्धियों से लड़ने के लिए रणनीति ढूंढनी और लागू करनी होगी जो समान दर्शकों को लक्षित कर रहे हैं । अपने उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको भीड़ से अलग दिखना होगा ।

6. नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को और समीक्षाओं का सामना करना

पारंपरिक मार्केटिंग के विपरीत, ऑनलाइन मार्केटिंग में तुरंत खराब प्रतिष्ठा फैलने का खतरा रहता है । क्योंकि, आपके ब्रांड के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी, समीक्षा, प्रतिक्रिया या आलोचना तेजी से वायरल हो सकती है, जिससे आपके ब्रांड की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए, आपकी ग्राहक सेवा टीम को ग्राहक समस्याओं को प्रभावी ढंग से संभालने में तत्पर रहना होगा ।

7. इंटरनेट धोखाधड़ी

स्थापित ब्रांडों को इंटरनेट धोखाधड़ी के जोखिम का सामना करना पड़ता है, जहां एक अप्रमाणित पार्टी अपने विपणन में किसी ब्रांड के ट्रेडमार्क और लोगो का उपयोग करने जैसी अनैतिक और धोखाधड़ी वाली प्रथाओं का उपयोग कर सकती है । इससे संबंधित स्थापित ब्रांड की बदनामी हो सकती है । इसके अलावा इससे कुछ आर्थिक नुकसान भी हो सकता है । ऐसी घटनाएँ चीज़ों को आपके नियंत्रण से बाहर भी कर सकती हैं ।

निष्कर्ष:

डिजिटल मार्केटिंग ने व्यवसायों के अपने दर्शकों के साथ जुड़ने के तरीके में क्रांति ला दी है, जिससे आउटरीच और विकास के अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध हुए हैं । सोशल मीडिया, खोज इंजन, ईमेल अभियान और सामग्री निर्माण जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से, कंपनियां विशिष्ट जनसांख्यिकी को लक्षित करने, ब्रांड दृश्यता और ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने के लिए अपने संदेशों को अनुकूलित कर सकती हैं । संक्षेप में, डिजिटल मार्केटिंग आज की कारोबारी दुनिया में एक गतिशील और अपरिहार्य उपकरण है । इसकी पहुंच, मापनीयता और वैयक्तिकृत जुड़ाव की क्षमता इसे सफल आधुनिक विपणन रणनीतियों की आधारशिला बनाती है । जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी का विकास जारी है, जो लोग इसकी शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं वे लगातार बढ़ते डिजिटल बाज़ार में निरंतर विकास और सफलता के लिए तैयार रहेंगे ।

राजभाषा प्रश्नोत्तरी के उत्तर

1. (क)	2. (ख)	3. (ग)	4. (घ)	5. (क)
6. (ग)	7. (ख)	8. (ग)	9. (ख)	10. (घ)
11. (ग)	12. (ख)	13. (ग)	14. (क)	15. (घ)

संघर्ष

देखा है कभी बादलों को,
इकट्ठा करते बूंदे बारिशों की ।
करते कितना संघर्ष,
बनाने को अपना अस्तित्व ।
संघर्षों की पूर्णता आती जब,
विकराल सूरज भी बौना नजर आता है तब ।

प्राप्त करके अपनी संपूर्णता,
बरसा देते हैं स्नेह पूरी धरा पर,
कर देते जगत को हरा भरा ।
पिता भी तो करते हैं, संघर्ष बादलों की तरह,
तृण-तृण संचय कर बनाते हैं अपना अस्तित्व ।
पल भर में लुटा देते अपना सर्वस्व,
बनाने को हमारा भविष्य ।

सत्य प्रकाश पाण्डेय
प्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
केंद्रीय कार्यालय

हिन्दी और मीडिया

रेणु सरोज, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर

प्रस्तावना

भारत में अनेक समृद्ध भाषाएँ हैं । इन भाषाओं में हिंदी एकता की कड़ी है । हमारे सन्तों, समाज सुधारकों और राष्ट्रनायकों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी को अपनाया । क्योंकि यही एक भाषा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान से असम तक समान रूप से समझी जाती है । देश में प्रायः सभी जगह हिंदी व्यापक स्तर पर बोली और समझी जा रही है । दक्षिण भारत हो या पूर्वोत्तर भारत, हर जगह हिंदी का सहज व्यवहार हो रहा है । भाषाओं के लम्बे इतिहास में ऐसी बहुरूपी भाषा का अस्तित्व और कहीं नहीं मिलता । हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या 50 करोड़ है । जनसंख्या की दृष्टि से हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है । यदि हिंदी समझने वालों की संख्या भी इसमें जोड़ दी जाये तो यह दूसरे नम्बर पर आ जाएगी । दुनिया में शायद ही किसी भाषा का इतना तीव्र विकास और व्यापक फैलाव हुआ होगा । हिंदी को पल्लवित-पुष्पित करने में मीडिया की महती भूमिका रही है । निर्विवाद तथ्य है कि खड़ी बोली ही आज की हिंदी है । भारत के हिंदी मीडिया की भाषा भी यही है, पत्र- पत्रिकाओं की भी और टेलीविजन और फिल्मों की भी। हिंदी भाषा का निर्माण और आगे बढ़ाने का कार्य मीडिया ने किया है । साहित्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की उदात्त भावना लेकर चला है तो पत्रकारिता भी इसी प्रकार के मानव कल्याण के उद्देश्य को लेकर अवतरित हुई है । वस्तुतः साहित्य जीवन की कलात्मक अभिव्यक्ति है । पत्रकारिता भी सत्यम, शिवम सुंदरम की ओर जन मानस को उन्मुख करती है । यदि साहित्य समाज का दर्पण है तो पत्रकारिता उस समाज की प्रतिकृति है । हिंदी साहित्य के क्रमिक विकास पर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि पत्र पत्रिकाओं की साहित्य के विकास में अहम भूमिका रही है । वास्तव में भाषा के प्रचार प्रसार में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है ।

साहित्यकारों और समाज सुधारकों का योगदान

हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई और इसका श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है । राजा राममोहन राय ने ही सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा । भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हितों का समर्थन किया । समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार किये और अपने पत्रों के जरिए जनता में जागरूकता पैदा की । राममोहन राय ने कई पत्र शुरू किये । जिसमें महत्वपूर्ण हैं- साल 1816 में प्रकाशित 'बंगाल गजट' । बंगाल गजट भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र है । इस समाचार पत्र के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे । इसके अलावा राजा राममोहन राय ने मिरातुल, संवाद कौमुदी, बंगाल हैराल्ड पत्र भी निकाले और लोगों के बीच चेतना फैलाई । 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित युगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकलने वाले 'उदंत्त मार्तण्ड' को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है । 1873 ई. में भारतेन्दु ने 'हरिश्चंद्र मैगजीन' की स्थापना की । एक वर्ष बाद यह पत्र'हरिश्चंद्र चंद्रिका' नाम से प्रसिद्ध हुआ । वैसे भारतेन्दु का 'कविवचन सुधा' पत्र 1867 में ही सामने आ गया था और उसने पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया । परंतु नई भाषाशैली का प्रवर्तन 1873 में 'हरिश्चंद्र मैगजीन' से ही हुआ । भारतेन्दु के बाद इस क्षेत्र में जो पत्रकार आए उनमें प्रमुख थे पंडित रुद्रदत्त शर्मा, बालकृष्ण भट्ट, दुर्गाप्रसाद मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र, पंडित वंशीधर, बदरीनारायण, देवकीनंदन त्रिपाठी, राधाचरण गोस्वामी, पंडित गौरीदत्त, राजा रामपाल सिंह, प्रतापनारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास, बाबू रामकृष्ण वर्मा, पं. रामगुलाम अवस्थी, योगेशचंद्र वसु, पं. कुंदनलाल और बाबू देवकीनंदन खत्री एवं बाबू जगन्नाथदास । 1895 ई. में 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' का प्रकाशन आरंभ हुआ । इस पत्रिका से गंभीर साहित्य समीक्षा का आरंभ हुआ और इसलिए हम इसे एक निश्चित प्रकाश स्तंभ मान सकते हैं । 1900 ई. में 'सरस्वती' और 'सुदर्शन' के अवतरण के साथ हिंदी पत्रकारिता के इस दूसरे युग पर पटाक्षेप हो जाता है । इन वर्षों में हिंदी पत्रकारिता अनेक दिशाओं में विकसित हुई । प्रारंभिक पत्र शिक्षा-प्रसार और धर्म प्रचार तक सीमित थे । भारतेन्दु ने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक दिशाएँ भी विकसित कीं ।

सन् 1880 से लेकर, सदी के अंत तक लखनऊ, प्रयाग, मिर्जापुर,

वृंदावन, मुंबई, कोलकाता जैसे दूरदराज क्षेत्रों से पत्र निकलते रहे। सन 1900 का वर्ष हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में महत्त्वपूर्ण है। 1900 में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका अपने समय की युगान्तरकारी पत्रिका रही है। वह अपनी छपाई, सफाई, कागज और चित्रों के कारण शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। उसी वर्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर-रायपुर से 'छत्तीसगढ़ मित्र' का प्रकाशन शुरू होता है। 'सरस्वती' के ख्यात संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और 'छत्तीसगढ़ मित्र' के संपादक पंडित माधवराव सप्रे थे।

पत्रकारिता का यह काल बहुमुखी सांस्कृतिक नवजागरण का यह समुन्नत काल है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक लेखन की परंपरा का श्रीगणेश होता है। इस दौर में साहित्यिक लेखन और पत्रकारिता के सरोकारों को अलग नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक जागरण, राजनीतिक चेतना, साहित्यिक सरोकार और दमन का प्रतिकार इन चार पहियों के रथ पर हिंदी पत्रकारिता अग्रसर हुईं। माधवराव सप्रे ने लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी को 'हिंद केसरी' के रूप में छापना शुरू किया। समाचार सुधावर्षण, अभ्युदय, शंखनाद, हलधर, सत्याग्रह समाचार, युद्धवीर, क्रांतिवीर, स्वदेश, नया हिन्दुस्तान, कल्याण, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण,बुन्देलखण्ड केसरी, मतवाला सरस्वती, विप्लव, अलंकार, चाँद, हंस, प्रताप, सैनिक, क्रांति, बलिदान, वालिंट्यर आदि जनवादी पत्रिकाओं ने आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में सोये हुए देशभक्ति के जज्बे को जगाया।

भारत के स्वाधीनता संघर्ष में पत्र-पत्रिकाओं की अहम भूमिका रही है। राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदनमोहन मालवीय, बाबा साहब अम्बेडकर, यशपाल जैसे आला दर्जे के नेता सीधे-सीधे तौर पर पत्र-पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे और नियमित लिख रहे थे। जिसका असर देश के दूर-सुदूर गांवों में रहने वाले देशवासियों पर पड़ रहा था। सत्याग्रह, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रचार प्रसार और उन आन्दोलनों की कामयाबी में समाचार पत्रों की अहम भूमिका रही। कई पत्रों ने स्वाधीनता आन्दोलन में प्रवक्ता की भूमिका निभायी। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेमचंद, निराला, बनारसीदास चतुर्वेदी, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, शिवपूजन सहाय आदि की उपस्थिति 'जागरण', 'हंस', 'माधुरी', 'अभ्युदय', 'मतवाला', 'विशाल भारत' आदि के रूप में दर्ज़ है।

'उदंत मार्तण्ड' के सम्पादन से प्रारंभ हिंदी पत्रकारिता की विकास यात्रा कहीं थमी और कहीं ठहरी नहीं है। पंडित युगल किशोर शुक्ल के संपादन में प्रकाशित इस समाचार पत्र ने हालांकि आर्थिक अभावों के कारण जल्द ही दम तोड़ दिया, पर इसने हिंदी अखबारों के प्रकाशन का जो शुभारंभ किया वह कारवां निरंतर आगे बढ़ा है। साथ ही हिंदी का प्रथम पत्र होने के बावजूद यह भाषा, विचार एवं प्रस्तुति के लिहाज से महत्त्वपूर्ण बन गया। अपने क्रमिक विकास में हिंदी पत्रकारिता के उत्कर्ष का समय आजादी के बाद आया। 1947 में देश को आजादी मिली। लोगों में नई उत्सुकता का संचार हुआ। औद्योगिक विकास के साथ-साथ मुद्रण कला भी विकसित हुई। जिससे पत्रों का संगठन पक्ष सुदृढ़ हुआ। हिंदी पत्रों ने जहाँ एक ओर बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त किया वहीं राष्ट्रभाषा को सर्वाधिक उपयोगी बनाने का सफल प्रयास किया। पत्रकारिता की शुरुआत एक मिशन के रूप में हुई थी। स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि यहां के पत्रों एवं पत्रकारों ने ही तैयार की थी। आजादी की लड़ाई में पत्रकारिता देशभक्ति और समग्र राष्ट्रीय चेतना के साथ जुड़ी रही। इसमें देशभक्ति के अलावा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी शामिल है। स्वाधीनता से पहले देश के लिए संघर्ष का समय था। इस संघर्ष में जितना योगदान राजनेताओं का था उससे तनिक भी कम पत्रों एवं पत्रकारों का नहीं था। स्वतंत्रता पूर्व का पत्रकारिता का इतिहास तो स्वतंत्रता आन्दोलन का मुख्य हिस्सा ही है। तब पत्रकारिता घोर संघर्ष के बीच अपना अस्तित्व बचाये रखने के लिए प्रयत्नशील थी।

हिन्दी और मीडिया

90 के दशक में भारतीय भाषाओं के अखबारों, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर आदि के नगरों-कस्बों से कई संस्करण निकलने शुरू हुए। जहां पहले महानगरों से अखबार छपते थे, भूमंडलीकरण के बाद आयी नयी तकनीक, बेहतर सड़क और यातायात के संसाधनों की सुलभता की वजह से छोटे शहरों, कस्बों से भी नगर संस्करण का छापना आसान हो गया। साथ ही इन दशकों में ग्रामीण इलाकों, कस्बों में फैलते बाजार में नयी वस्तुओं के लिए नये उपभोक्ताओं की तलाश भी शुरू हुई। हिंदी के अखबार इन वस्तुओं के प्रचार-प्रसार का एक जरिया बन कर उभरे। साथ ही साथ अखबारों के इन संस्करणों में स्थानीय खबरों को प्रमुखता से छापा जाने लगा। इससे अखबारों के पाठकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। पिछले कुछ सालों में हिंदी मीडिया ने अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। प्रिंट मीडिया को ही लें, आइआरएस रिपोर्ट देखें तो उसमें ऊपर के पांच अखबार हिंदी के हैं। हिंदी अखबारों और पत्रिकाओं का प्रसार लगातार बढ़ रहा है। इलेक्ट्रानिक मीडिया में हिन्दी न्यूज चैनलों की भरमार है। भारत में 182 से ज्यादा हिंदी न्यूज चैनल हैं। नई तकनीक और प्रौद्योगिकी ने अखबारों की ताकत और ऊर्जा का व्यापक विस्तार किया है।

किसी भी देश के विकास का संबंध भाषा से है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आजकल राजभाषा हिंदी अपनी सीमाओं से बाहर आ चुकी है। यह विकास, बाजार और मीडिया की भाषा भी बन रही

है । पूरे भारत और भारत के बाहर हिंदी के द्रुत प्रचार-प्रसार और विकास का श्रेय मनोरंजन चैनल, समाचार चैनल, खेल चैनल और कई धार्मिक चैनल को दिया जा सकता है । अगर किसी भी देशी-विदेशी कम्पनी को अपना उत्पाद बाजार में उतारना होता है तो उसकी पहली नजर हिंदी क्षेत्र पर पड़ती है क्योंकि उपभोक्ता शक्ति का वृहत्तम अंश हिंदी क्षेत्र में ही निहित है इसलिए उसका विज्ञापन हिंदी में ही होता है । दुनिया की एक बड़ी आबादी तक पहुंचने के लिए हिंदी की जरूरत पड़ेगी ही । हिंदी अखबारों, हिंदी पत्रिकाओं, हिंदी चैनलों, हिंदी रेडियो और हिंदी फिल्मों की जरूरत पड़ेगी ही । हिंदी माध्यमों का विकास होगा तो निस्संदेह हिंदी का भी विकास होगा । बाजार और मीडिया का विस्तार होगा तो हिंदी भी फैलेगी और जब तक बाजार और मीडिया है तब तक हिंदी मौजूद रहेगी । बाजार और मीडिया ने हिंदी जाननेवालों को बाकी दुनिया से जुड़ने के नये विकल्प खोल दिये हैं । फिल्म, टी.वी., विज्ञापन और समाचार हर जगह हिंदी का वर्चस्व है ।

इस क्रम में मीडिया भाषा के साथ अपने तरह के प्रयोग करता है। मीडिया की भाषा साहित्यिक भाषा की तरह अलंकरण का बोझ लेकर नहीं चलती, न ही वह अकादमिक भाषा की तरह बौद्धिकता का बोझ ढोती है, लेकिन कागज और ओंठों के बीच की दूरी कम करने के चक्कर में मीडिया का भाषा-प्रयोग नवाचार भी करता है। यदि भाषा कृत्रिम होगी तो कोई भरोसा नहीं कि पाठक उस खबर को भी नकली, गढ़ी गई नहीं मानेगा।

इसलिए मीडिया में भाषा का सवाल बहुत जरूरी हो जाता है। भाषा हमारे संस्कार गढ़ रही होती है। कई लोगों को भाषा मात्र एक साधन लगती है और उस पर बहुत बारीकियाँ निकालना एक व्यर्थ का व्यायाम है । लेकिन बात बारीकी की ही नहीं है, शब्द की अपनी धूरी की है। उस धुरी से स्खलित होना खबर की विश्वसनीयता का अंतिम सीमा तक क्षरण कर देता है। यह वैसा ही है जैसे गणित में दशमलवों का या ड्रग्स के प्रिस्क्रिप्शंस में ग्रेन्स का छोटा-सा अंतर, जो लगता अमहत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा-सा भी फर्क या तो रॉकेट प्रक्षेपण को विफल कर सकता है या किसी मरीज की जान पर बन सकती है ।

उपसंहार

मीडिया ने हिन्दी के विकास के लिए एक जमीन निर्मित की है, आवश्यकता है उपयोगकर्ताओं द्वारा भाषा जगत में नई ऊर्जा का संचार करने की जो देश, समाज, संस्कृति एवं भाषा के लिए उपयोगी हो । पूरे भारत में लगभग 30 से 40 हजार हिन्दी के शिक्षक हैं, अगर सब एक मंच पर ईमानदारी के साथ आ जाएँ तो वे हिन्दी के स्वरूप को सँवारने की एक ताकत बन सकते हैं ।

परिवार

रहते हैं सब साथ साथ में
साथ साथ में मुस्काये
आखों में बसते, साथ में हँसते
वह ही परिवार कहलाये

माँ सबका है ध्यान रखती
कोई भूखा ना सो जाए
पापा ने हर चीज दिलाई
कभी डांटे, कभी समझाये

आखों में बसते, साथ में हँसते
वह ही परिवार कहलाये

छोटी बहन इठलाती घूमे
घर में रौनक बढ़ाये
पापा का साथी, मम्मा का प्यारा
भाई सबका साथी बन जाए

आखों में बसते, साथ में हँसते
वह ही परिवार कहलाये

जीवन में बहुमूल्य सभी के
परिवार संग पल जो बिताए
जीवन का यह अनमोल खजाना
जिसकी तुलना ना हो पाए

निष्ठा शुक्ला
सहायक प्रबंधक
लखनऊ क्षेत्र

हिन्दी और तमिल का अन्तः संबंध

संगीता शेखर, वरिष्ठ प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय कोयंबत्तूर

भाषा संप्रेषण का एक सशक्त एवं अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। हिंदी भाषा ने विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच संपर्क सूत्र निर्मित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अखिल भारतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा की केंद्रीय भूमिका को स्वीकारने, आदान-प्रदान की प्रमुख भाषा मानकर उसे अपनाने तथा हिंदी में मौलिक सृजन और अनुवाद करके उसे भारतीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने में दक्षिण भारत के पांचों प्रांतों के अनेक हिंदी प्रेमियों का योगदान अप्रतिम है। आज हिन्दीतर राज्यों में भी हिन्दी साहित्य सृजन का कार्य बड़े पैमाने पर हो रहा है इसलिये हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में हिन्दी केवल उत्तर भारत की ही भाषा नहीं रही बल्कि अब यह हिंदीतर प्रदेशों की भाषा भी बन गई है। निश्चित रूप से इसका श्रेय दक्षिण भारत के साहित्यकारों को जाता है।

राजमणि शर्मा ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी भाषा: इतिहास और स्वरूप' में लिखा है- "आदिकाल से ही हिन्दी संतों-महात्माओं, व्यापारियों, सैनिकों और तीर्थयात्रियों के द्वारा समस्त भारत में व्याप्त होकर भारत की राष्ट्रीय आत्मा की अभिव्यक्ति में समर्थ हो चुकी थी।" 19वीं सदी में हिन्दी का विशेष उपयोग होने लगा था। हिन्दी के विकास के लिए कई संस्थाएँ बनीं जिसमें फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ-साथ टेक्स्ट बुक सोसायटी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, हिन्दी साहित्य सम्मलेन प्रयाग, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा वर्धा, हिन्दी विद्यापीठ बम्बई, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद बेंगलुरू आदि शामिल हैं। इसके साथ-साथ ब्रह्मसमाज, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, प्रार्थना सभा, थियोसॉफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन, राधास्वामी संप्रदाय आदि संस्थाओं का भी हिन्दी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

महात्मा गांधी का स्पष्ट मानना था कि हिन्दी को ही भारत की राष्ट्रभाषा बनने का गौरव मिलना चाहिए। गांधी जी ने 1918 में इंदौर के आठवें हिन्दी सम्मलेन की अध्यक्षता करते हुए हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बल दिया था। इसी सम्मलेन में उन्होंने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए कार्यकर्ताओं को दक्षिण भारत में जाने के लिए प्रेरित किया था। दक्षिण भारत के हर राज्य में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में मद्रास में 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी इस संस्थान के पहले प्रचारक थे। अतः इस सभा के द्वारा हिन्दी भाषा को दक्षिण से जोड़ने का यह पहला कदम था। मद्रास स्थित दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के मुख्यालय के अंतर्गत अनेक शाखाएँ-उपशाखाएँ हिन्दी के प्रचार-प्रसार का कार्य करती हैं। इसी सभा के योगदान से आज दक्षिण भारत के लोग हिन्दी पढ़ने-लिखने और साहित्य सृजन करने में लगे हैं। हिन्दी के विकास में दक्षिण भारत के सभी राज्यों के अनेक साहित्य प्रेमियों ने योगदान दिया है। उनमे प्रमुख सी पी रामास्वामी अय्यर, टी आर वेंकटराम शास्त्री, एन० सुंदरअय्यर आदि हैं।

हिन्दी साहित्य सम्मलेन प्रचार कार्यालय के रूप में हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना 1918 में मद्रास में हुई थी। 17 जून को होमरूल कार्यालय में सी पी रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में एनी बेसेंट ने प्रथम हिन्दी वर्ष का उद्‌घाटन किया था। उसी वर्ष पंडित हरिहर शर्मा, श्री शिवराम शर्मा को प्रयाग भेजा गया। प्रयाग से लौटकर आने के बाद उन्होंने दक्षिण के हिन्दी प्रचार के कार्य को संभाला। स्वामी सत्यदेव जी ने हिन्दी सीखने के लिए 'हिन्दी की पहली पुस्तक' लिखी जो दक्षिण के लोगों के लिए तथा हिन्दी प्रचार के लिए बहुत ही उपयुक्त थी। 1922 तक हिन्दी प्रचार-प्रसार का कार्य इतना विस्तृत हो गया कि प्रेस भी खोलना पड़ा। मोटूरी सत्यनारायण की सहायता से आंध्रप्रदेश के नेल्लूर में शाखा खुली। तमिलनाडु की शाखा तिरुचिरापल्ली में श्री अवध नंदन के संचालन में खुली। केरल 1932 में और कर्नाटक 1935 में शाखाएँ शुरू हुई। हिन्दी के विकास में दक्षिण राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल के अनेक साहित्यकारों का योगदान रहा है।

वर्तमान में दक्षिण भारत कि स्थिति यह है कि यहाँ हिन्दी बोलने, समझने और पढ़ने-लिखने वालों की संख्या अनगिनत बढ़ गई है। इसका श्रेय हिंदीतर भाषी साहित्यकारों, प्रचारकों तथा हिन्दी प्रचार-प्रसार की संस्थाओं को जाता है । यह भी कहा जाता है कि गांधी जी के द्वारा शुरू किये गए हिन्दी प्रचार-प्रसार आंदोलन के पहले ही दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा के प्रचारकों और साहित्यकारों का उदय हो चुका था।

आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी, बालगंगाधर तिलक आदि के प्रबल प्रयास से हिंदी को राष्ट्रीय अस्मिता मिली थी। इसके बाद ही प्रचार-प्रसार जोर पकड़ने लगा। बालगंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका 'केसरी' और 'मराठा' में हिंदी को भी स्थान दिया। इनकी प्रेरणा से 1907 में नागपुर से 'हिंदी केसरी' पत्रिका निकलने लगी। तमिल के राष्ट्रकवि सुब्रह्मण्य भारती पांडिचेरी से निकलनेवाली तमिल साप्ताहिक 'इंडिया' में 'हिंदी केसरी' में प्रकाशित लेखों का अनुवाद छापते थे। इतना ही नहीं उन्होंने 1907 में स्वयं हिंदी वर्ग चलाकर राष्ट्रवाणी का प्रचार प्रारंभ किया। तमिल माध्यम से हिंदी सीखने के इस प्रयास का तमिल भाषा भाषियों के बीच भी स्वागत हुआ। कालांतर में 'स्वदेशमित्रन' जैसी राष्ट्रीय भावना प्रधान तमिल पत्रिकाओं ने हिंदी पाठों के तमिल रूपांतरण का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया था।

गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने तथा इसका प्रचार-प्रसार करने पर बल देने के साथ साथ दक्षिणांचल में हिंदी प्रचार की आवश्यकता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। परिणामस्वरूप 1918 में तमिलनाडु की राजधानी मद्रास (अब चेन्नई) के गोखले हॉल में पहली हिंदी कक्षा शुरू हुई। गांधी जी के सुपुत्र देवदास गांधी ने एनी बेसेंट, सर

सी.पी.रामस्वामी अय्यर, श्री भाष्यम अय्यंगार आदि के नेतृत्व में तमिलनाडु में हिंदी प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई। सभा ने दक्षिण भारतीयों को हिंदी सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की। तब से लेकर आज तक सभा ने उत्तरोत्तर विकास किया है।

वर्ष 1936 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तमिल भाषी जनता से अपील की - 'यदि दक्षिण भारतीय क्रियात्मक रूप से पूरे देश के साथ एक सूत्र में बंधकर रहना चाहते हैं और वे अखिल भारतीय मामलों से और उससे संबंधित निर्णयों के प्रभाव से अपने को दूर रखना नहीं चाहते, तो उन्हें हिंदी अवश्य पढ़नी चाहिए। दक्षिण भारतीयों को पूरे भारत वर्ष में सरकारी और व्यावसायिक नौकरियाँ पाने के लिए भी हिंदी समझने और उसमें बोलने और लिखने का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होगा।' 1937 में राजाजी के नेतृत्व में मद्रास प्रांत के सभी स्कूलों में हिंदी शिक्षण अनिवार्य कर दिया गया।

तमिलनाडु में हिंदी की लोकप्रियता के बढ़ जाने के बाद तमिल भाषियों के मन में हिंदी में अनुवाद तथा मौलिक लेखन के प्रति रूचि जगी। अनेक विद्वानों ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय भी दिया। हिंदी के लिए तमिल भाषा भाषियों का योगदान उल्लेखनीय है। पूर्णम सोमसुंदरम, डॉ .एन.वी.राजगोपालन, डॉ .पी.जयरामन, आचार्य ति.शेषाद्री, डॉ .एन.सुंदरम, के.ए.जमुना, डॉ .एम.शेषन, रा.शौरिराजन, डॉ.कुप्पुस्वामी, डॉ.मु.वरदराजन, डॉ .गोविंदराजन, सरस्वती रामनाथ, श्रीनिवास राघवन, डॉ.राजम नटराजन पिल्लै आदि अनेक सुप्रसिद्ध साहित्यकारों ने उत्कृष्ट रचनाओं के अनुवाद के माध्यम से हिंदी भाषा के सांस्कृतिक रूप को और पुष्ट किया। इन विद्वानों ने तमिल भाषा का इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने संत-साहित्यकारों की जीवनी और अपनी साहित्यिक संपदा का परिचय हिंदी में देकर भारतीयता की भावना को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। हिंदी साहित्य पर भी इनके विवेचनात्मक कार्य स्तरीय हैं।

हिंदी में तमिल साहित्य का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करनेवाले पहले विद्वान थे पूर्णम सोमसुंदरम। 'तमिल और उसका साहित्य' शीर्षक अपनी पुस्तक में उन्होंने तमिल साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की थी। डॉ.एन.वी. राजगोपालन ने 'तमिल साहित्य के विभिन्न कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का विस्तार से विवेचन किया। डा।के।ए।जमुना ने 'तमिल भाषा और साहित्य' शीर्षक अपने लेख में तमिल भाषा और साहित्य के इतिहास को रेखांकित किया। उन्होंने अनेक पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से तमिल साहित्य के नए पुराने अनेक कवियों की रचनाओं का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है। डा.पी.जयरामन ने 'आधुनिक तमिल साहित्य सर्वेक्षण' शीर्षक अपने शोध परक लेख में आधुनिक तमिल साहत्य की प्रवृत्तियों का विवेचन किया है।

इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 के आनंद ऋषि पुरस्कार से सम्मानित डा.एम.शेषन ने हिंदी की अनेक प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में तमिल साहित्य संबंधी अनेकानेक लेख प्रकाशित किए हैं और निरंतर कर रहे हैं। इतना ही नहीं उन्होंने हिंदी में तमिल साहित्य से संबंधित अनेक मौलिक एवं समीक्षात्मक पुस्तकें भी लिखी हैं। उनकी पुस्तकों में तमिल साहित्य : एक झांकी, आधुनिक तमिल काव्य सुब्रमण्यम भारती तमिल नवजागरण आदि उल्लेखनीय हैं।

तमिल भाषा की श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों का हिंदी में और हिंदी की लोकप्रिय रचनाओं का तमिल में अनुवाद कर दोनों भाषाओं के बीच साहित्य सेतु का कार्य भी तमिल भाषी हिंदी लेखकों ने किया है और यह कार्य आज भी चल रहा है।

तमिल साहित्य का प्राचीनतम नीति ग्रंथ तथा तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध तिरुवल्लुवर रचित 'तिरुक्कुरल' का हिंदी अनुवाद श्री मु.गो.वेंकटकृष्णन ने किया है। 'कुरल'(पद) डेढ़ पंक्तियोंवाला तमिल का प्राचीनतम छंद है। तिरुक्कुरल में 1330 कुरल संकलित हैं। वेंकटकृष्णन ने समस्त कुरलों का अनुवाद खड़ी बोली हिंदी में और दोहा छंद में किया है। डा.शंकरराजुनायुडू ने इसका गद्यानुवाद प्रस्तुत किया है। अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि विश्वभारती शांतिनिकेतन के प्रयास से तथा डा।एन।सुंदरम जैसे विद्वानों के परिश्रम से तमिल के प्राचीन भक्ति साहित्य 'नालायिर दिव्य प्रबंधम' का हिंदी में प्रामाणिक अनुवाद उपलब्ध है। इसी प्रकार लखनऊ के भुवन वाणी ट्रस्ट ने सभी दाक्षिणात्य भाषाओं के प्राचीन साहित्य के जो हिंदी अनुवाद प्रकाशित किए हैं उनमें महर्षि कंबन कृत तमिल रामायण का आचार्य टी .शेषाद्री कृत अनुवाद अविस्मरणीय है ।

तमिल साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ तोल्काप्पियम, शिलप्पदिगारम, मणिमेखलै, नालायिर दिव्य प्रबंधम आदि का हिंदी अनुवाद जिस तरह उपलब्ध है, उसी तरह हिंदी की श्रेष्ठ कृतियाँ राजस्थान का रानिवास(राहुल सांकृत्यायन), सेवासदन(प्रेमचंद), गबन(प्रेमचंद), टेढ़े मेढे रास्ते(भगवती चरण वर्मा), चित्रलेखा(भगवती चरण वर्मा), आधे अधूरे(मोहन राकेश), रुकोगी नहीं, राधिका?(उषा प्रियंवदा), सूरज का सातवाँ घोड़ा(धर्मवीर भारती), अर्धनारीश्वर(विष्णु प्रभाकर), नीला चाँद(शिवप्रसाद सिंह) आदि का तमिल अनुवाद भी उपलब्ध है।

यह दर्शाता है कि तमिल क्षेत्र में हिंदी लेखन तथा हिंदी और तमिल के बीच अनुवाद का सुदृढ़ सेतु निर्मित हो चुका है। दक्षिण भारत के राज्यों ने अपने राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को समझने के साथ साथ उसे कार्य रूप में भी निरूपित किया है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023

योगेश कुमार साव, वरिष्ठ प्रबन्धक, सूचना सुरक्षा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त, 2023 को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को अपनी सहमति दी। ये विशिष्ट कानून देश के नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करता है। विधेयक को 7 अगस्त, 2023 को लोकसभा द्वारा और 9 अगस्त, 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। यह कानून नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करता है।

आइए इस विधेयक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं।

परिचय: यह विधेयक व्यक्तिगत डिजिटल डेटा के उपयोग को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। यह उपयोगकर्ताओं के कर्तव्यों को सुनिश्चित करते हुए एकत्रित डेटा का कानूनी रूप से उपयोग करने के दायित्वों को निर्धारित भी करता है।

डिजिटल पर्सनल डेटा क्या होता है? आपका वह सारा डेटा जो आप ऑनलाइन देते हैं, वह डिजिटल पर्सनल डेटा होता है। डिजिटल पर्सनल डेटा समझने के लिए हम एक उदाहरण की मदद ले सकते हैं। जब भी आप अपने मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए आपको कई तरह की इजाजत देनी पड़ती हैं। इसके तहत आपको कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट और जीपीएस जैसी चीजों के एक्सेस देने होते हैं। इसके बाद उस ऐप के पास आपसे जुड़ा बहुत सार पर्सनल डेटा पहुंच जाता है। बशर्ते उन्हें पता होता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स में किस-किस के नंबर हैं, आपके फोन में कौन सी फोटो और वीडियो हैं। यहां तक कि जीपीएस की मदद से वह आपके मूवमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ ऐप लोगों के पर्सनल डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड कर लेते हैं और फिर उसे दूसरी कंपनियों को बेच देते हैं। अभी तक हम ऐप से यह जानकारी नहीं ले पाते हैं कि वह हमारा कौन सा डेटा ले रहे हैं और उसका क्या यूज कर रहे हैं। यह बिल इसी तरह के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है।

डीपीडीपी की आवश्यकता: आज के तकनीकी युग में व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है, जहाँ हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी हर जगह साझा कर रहे हैं। हम निम्नलिखित कारणों से डीपीडीपी की आवश्यकता को समझ सकते हैं:

- व्यक्ति को दैनिक जीवन में सरकार या निजी कम्पनियों या लोगों से सेवाएँ लेनी होती हैं। जैसे- बैंकिंग सेवा, टेलिकॉम सेवा, चिकित्सकीय परामर्श; इन सेवाओं के लिए चाहे अनचाहे सूचनाएँ साझा करनी पड़ती हैं। जिससे सूचनाओं के दुरूपयोग की संभावना बनी रहती है।
- गोपनीयता पर हावी अभिव्यक्ति की आजादी।
- सरकार का अंतिम उद्देश्य जनता का कल्याण होता है। इसके बेहतर नियोजन के लिए देश में रह रहें लोगों का डेटा सुरक्षित होना आवश्यक है। विशिष्ट कानून के आभाव में डेटा का दुरूपयोग रोक पाना जटिल है।
- संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता भी एक बड़ी चुनौती है।
- न्यायमूर्ति के.एस.पुट्टास्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीयों के पास निजता का संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार है। जो अनुच्छेद 21 से सम्बद्ध है।

डीपीडीपी बिल के प्रावधान- यह विधेयक व्यक्तिगत डिजिटल आंकड़ों के संसाधन के लिए इस तरह से प्रावधान करता है जिससे व्यक्तियों की अपनी निजी जानकारियों की सुरक्षा का अधिकार और ऐसी व्यक्तिगत जानकारियों के वैध उद्देश्यों के लिए संसाधन की आवश्यकता और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों दोनों को मान्यता मिलती है।

यह विधेयक निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा व्यक्तिगत डिजिटल आंकड़ों (अर्थात वह जानकारियां जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान संभव है) की सुरक्षा करता है:

- आंकड़ों के संसाधन (अर्थात व्यक्तिगत जानकारियों का संग्रह, भंडारण या कोई अन्य संचालन) के लिए आंकड़ा न्यासीय (अर्थात जानकारियों का संसाधन करने वाले व्यक्ति, कंपनियां और सरकारी संस्थाएं) के दायित्व;
- डेटा प्रिंसिपल (अर्थात्, वह व्यक्ति जिससे संबंधित आंकड़ें हैं) के अधिकार और कर्तव्य ;और
- अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के उल्लंघन के लिए वित्तीय दंड

विधेयक के सिद्धांत :- यह विधेयक निम्नलिखित सात सिद्धांतों पर आधारित है:

1. व्यक्तिगत आंकड़ों के सहमतिपूर्ण, वैध और पारदर्शी उपयोग का सिद्धांत;
2. उद्देश्य की सीमा का सिद्धांत (डेटा प्रिंसिपल की सहमति प्राप्त करने के समय दिए गए उद्देश्य के लिए ही व्यक्ति से जुड़े आंकड़ों का उपयोग);
3. न्यूनतम आंकड़ों का सिद्धांत (केवल उतनी ही व्यक्तिगत जानकारियां एकत्र करना जितना तय उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है);5
4. आंकड़ों की सटीकता का सिद्धांत (ये सुनिश्चित करना कि जानकारियां सही और अद्यतित हैं);
5. भंडारण की सीमा का सिद्धांत (आंकड़ों का संग्रह केवल तब तक रखना जब तक कि दिए गए उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता हो);
6. सुरक्षा के उचित उपायों का सिद्धांत; और
7. जवाबदेही का सिद्धांत (आंकड़ों से जुड़े और विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघनों पर निर्णय और दंड के माध्यम से)।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है :-

- विधेयक आंकड़ा न्यासीय के लिए निम्नलिखित दायित्वों का प्रावधान करता है:

1. व्यक्तिगत आंकड़ों में सेंध को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करना;
2. व्यक्तिगत आंकड़ों से जुड़े उल्लंघनों की जानकारी प्रभावित डेटा प्रिंसिपल और डेटा संरक्षण बोर्ड को देना;
3. किसी तय उद्देश्य के लिए आवश्यकता न रहने पर व्यक्तिगत आंकड़ों को मिटाना;
4. सहमति वापस लेने पर व्यक्तिगत आंकड़ों को मिटाना ;
5. शिकायत निवारण प्रणाली और आंकड़ों से संबधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अधिकारी की व्यवस्था करना; और
6. महत्वपूर्ण आंकड़ा न्यासीय के रूप में अधिसूचित आंकड़ा न्यासीय के संबंध में कुछ अतिरिक्त दायित्वों को पूरा करना, जैसे डेटा लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना और उच्च स्तर की डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर डेटा सुरक्षा प्रभावों का आकलन करना।

- **यह विधेयक बच्चों के व्यक्तिगत जानकारियों की भी सुरक्षा करता है।** विधेयक आंकड़ा न्यासीय को केवल माता-पिता की सहमति से ही बच्चों की व्यक्तिगत जानकारियों को संसाधित करने की अनुमति देता है। विधेयक आंकड़ों के ऐसे संसाधन की अनुमति नहीं देता है जो बच्चों के लिए हानिकारक हो या जिसमें उन पर नजर रखना, व्यवहार संबंधी निगरानी या लक्षित विज्ञापन शामिल हों।
- इस विधेयक में कुछ अन्य नवीन विशेषताएं हैं: यह विधेयक संक्षिप्त और सरल यानी आसान, सुलभ, तर्कसंगत और कार्रवाई योग्य कानून है, क्योंकि ये-
  - स्पष्ट भाषा का प्रयोग करता है;
  - इसमें ऐसे उदाहरण शामिल हैं जो अर्थ को स्पष्ट करते हैं;
  - इसमें कोई जोड़ी गई शर्त ("बशर्ते कि।।।") नहीं है ; और
  - इसमें प्रति संदर्भ न्यूनतम है।
- स्त्रीवाचक शब्दों का उपयोग करके, यह विधेयक पहली बार संसदीय कानून-निर्माण में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करता है।

व्यक्तियों के अधिकार: यह विधेयक व्यक्तियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है:

1. **जानकारी तक पहुँच:** विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में "बुनियादी जानकारी तक पहुँचने" में सक्षम होना चाहिये।
2. **सहमति का अधिकार:** व्यक्तियों को उनके डेटा को संसाधित करने से पहले सहमति देने की आवश्यकता होती है और "प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिये कि व्यक्तिगत डेटा के कौन से आइटम एक डेटा फिड्यूशरी एकत्र करना चाहते हैं और इस तरह के संग्रह एवं आगे की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है"। व्यक्तियों को डेटा फिड्यूशरी से सहमति वापस लेने का भी अधिकार है।
3. **नष्ट करने का अधिकार:** डेटा प्रिंसिपल के पास डेटा फिड्यूशरी द्वारा एकत्र किये गए डेटा को मिटाने और सुधार की मांग करने का अधिकार होगा।
4. **नामांकित करने का अधिकार:** डेटा प्रिंसिपल्स को किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित करने का भी अधिकार होगा जो अपनी मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में इन अधिकारों का प्रयोग करेगा।

डेटा संरक्षण बोर्ड: इस विधेयक में विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये डेटा संरक्षण बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव है। डेटा फिड्यूशरी से असंतोषजनक प्रतिक्रिया के मामले में उपभोक्ता डेटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

बोर्ड के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

- ✓ आंकड़ों से जुड़े उल्लंघनों को सुधारने या घटाने के लिए निर्देश देना;
- ✓ आंकड़ों से जुड़े उल्लंघनों और शिकायतों की जांच करना और वित्तीय दंड लगाना;
- ✓ शिकायतों को वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए भेजना और आंकड़ा न्यासीय से स्वैच्छिक दायित्व स्वीकार करना; और
- ✓ सरकार को उस आंकड़ा न्यासीय की वेबसाइट, ऐप आदि को ब्लॉक करने की सलाह देना जो बार-बार विधेयक के प्रावधानों काउल्लंघन करता पाया जाता है।

सीमा पार डेटा स्थानांतरण: यह विधेयक सीमा पार भंडारण एवं डेटा को "कुछ अधिसूचित देशों और क्षेत्रों" में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, बशर्ते उनके पास उपयुक्त डेटा सुरक्षा परिदृश्य हो तथा सरकार वहाँ से भारतीयों के डेटा तक पहुँच सके।

वित्तीय दंड: उल्लंघन की स्थिति में इस विधेयक में मुआवजे का प्रावधान किया गया है साथ ही दुरूपयोगकारी संस्था से बचने के लिए उपाय है।

उल्लंघन की स्थिति में इस विधेयक में निम्नलिखित वित्तीय दंड का प्रावधान है :-

- **डेटा फिड्यूशरी हेतु:** यह विधेयक उन व्यवसायों पर दंड लगाने का प्रस्ताव करता है जो डेटा उल्लंघनों से गुज़रते हैं या उल्लंघन होने पर उपयोगकर्त्ताओं को सूचित करने में विफल रहते हैं। उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना 50 करोड़ रुपए से लेकर 500 करोड़ रुपए तक लगाया जाएगा।
- **डेटा प्रिंसिपल हेतु:** यदि कोई उपयोगकर्त्ता ऑनलाइन सेवा के लिये साइन-अप करते समय झूठे दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है या तुच्छ शिकायत दर्ज करता है, तो उपयोगकर्त्ता पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

छूट: सरकार कुछ व्यवसायों को उपयोगकर्त्ताओं की संख्या और इकाई द्वारा संसाधित व्यक्तिगत डेटा की मात्रा के आधार पर विधेयक के प्रावधानों का पालन करने से छूट दे सकती है।

इस विधेयक में दी गई छूट इस प्रकार हैं:

- सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के हित में अधिसूचित एजेंसियों के लिए;
- अनुसंधान, संग्रहण या सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए;
- स्टार्टअप्स या आंकड़ा न्यासीय की अन्य अधिसूचित श्रेणियों के लिए;
- कानूनी अधिकारों और दावों को लागू करने के लिए;
- न्यायिक या विनियामक कार्य करने के लिए;
- अपराधों को रोकने, पता लगाने, जांच करने या मुकदमा चलाने के लिए;
- विदेशी अनुबंध के तहत नॉन-रेजीडेंट की व्यक्तिगत जानकारियों को भारत में संसाधित करने के लिए;
- अनुमोदित मर्जर, डि-मर्जर आदि के लिए; और
- डिफॉल्टर और उनकी वित्तीय संपत्तियों आदि का पता लगाने के लिए।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का महत्त्व: इस विधेयक से निम्नलिखित हासिल किए जा सकते हैं:

- आंकड़ा न्यासीय के द्वारा जानकारियों के संसाधन के तरीके में न्यूनतम व्यवधान के साथ आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित करते हुए आंकड़ों की सुरक्षा से जुड़े कानून लागू करना;
- जीवन में आसानी और व्यापार में सुगमता को बढ़ाना; और
- भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और इसके इनोवेशन इकोसिस्टम को सक्षम बनाना

डेटा संरक्षण कानून का वैश्विक परिदृश्य: कई देशों में डेटा सुरक्षा कानून पहले से ही लागू है :-

- ➢ **यूरोपीय संघ -** सूचनाएँ व्यापक डेटा सुरक्षा कानून के संरक्षण में हैं। यहाँ निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
- ➢ **अमेरिका -** समग्र विनियम नहीं है, इसके वजाय सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिये डेटा सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण अलग-अलग है।

❖ **महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द**

- **डेटा प्रिंसिपल :-** डेटा प्रिंसिपल उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका डेटा एकत्र किया जा रहा है। बच्चों (<18 वर्ष) के मामले में उनके माता-पिता/वैध अभिभावकों को उनके "डेटा प्रिंसिपल" माना जाएगा।
- **डेटा न्यासी:** डेटा न्यासी इकाई (व्यक्तिगत, कंपनी, फर्म, राज्य आदि) है, जो "किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधनों" को तय करता है।
- **व्यक्तिगत डेटा :** "कोई भी ऐसा डेटा, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है"।
- **प्रसंस्करण:** प्रसंस्करण का अर्थ है व्यक्तिगत डेटा के संबंध में पूरा होने वाला "संचालन का चक्र" ही प्रसंस्करण कहलाता है।
- **महत्त्वपूर्ण डेटा न्यासी:** महत्त्वपूर्ण डेटा न्यासी वे हैं जो व्यक्तिगत डेटा की उच्च मात्रा से निपटते हैं। केंद्र सरकार कई कारकों के आधार पर परिभाषित करेगी कि इस श्रेणी के तहत किसे नामित किया जाना है। ऐसी इकाइयों को एक 'डेटा संरक्षण अधिकारी' और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करना होगा।

❖ **जिज्ञासा**

1. 'निजता का अधिकार' भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है?

उत्तर :- अनुच्छेद 21

- पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ' (वर्ष 2017) मामले में निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया था।
- निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग-III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है।
- निजता व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करती है और जीवन के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करने की क्षमता को पहचानती है। निजता पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन इसे कोई भी अतिक्रमण वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता पर आधारित होना चाहिये।

2. निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है?

उत्तर :- अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ

- वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की बेंच ने अपने फैसले में न्यायमूर्ति के।एस। पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वसम्मति से पुष्टि की कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है।।
- सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा कि निजता एक मौलिक अधिकार है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किये गए जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी में अंतर्निहित है।
- पीठ ने यह भी कहा कि संविधान के भाग ।।। में निहित मौलिक अधिकारों द्वारा मान्यता प्राप्त और गारंटीकृत स्वतंत्रता एवं गरिमा के अन्य पहलुओं से अलग-अलग संदर्भों में निजता के तत्त्व भी उत्पन्न होते हैं।

हिंदी का उत्थान, देश की प्रगति का एक मात्र सोपान

आनंद अनल, वरिष्ठ प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ

देश की प्रगति में हिन्दी भाषा की महती भूमिका है। इस भूमिका का अवलोकन करने से पहले हमें हिन्दी भाषा के उद्भव एवं विकास की प्रक्रिया को समझना होगा ।

हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास

हिन्दी भाषा की जननी होने का श्रेय भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को है। संस्कृत को आर्य भाषा एवं देव भाषा भी कहा जाता है। भाषा नदी की तरह चंचल होती है और यह किसी बंधन में न बंध कर स्वाभाविक रूप से अपने विकास का मार्ग तय करती है। भारत के संदर्भ में भाषा का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है जिसमें लगभग 1500 ई. पू. से 500 ई. पू. तक संस्कृत ने अपना वर्चस्व बनाए रखा था । कालांतर में 500 ई. पू. से 1000 ई. तक पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश का काल रहा। आधुनिक भारतीय भाषा का आगमन 1000 ई. के बाद हुआ जिनमें प्रमुख थे ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, गढ़वाली। कालांतर में खड़ी बोली ही अधिक विकसित होकर अपने मानक एवं प्रचलन की प्रक्रिया से गुजरकर आधुनिक हिन्दी भाषा का आधार बनी। आचार्य धीरेन्द्र वर्मा ने हिन्दी भाषा का उद्भव 1000 ई. पू. के लगभग स्वीकार किया है। डा. रामविलास शर्मा हिन्दी को एक "जाति" के रूप में देखते हैं। कारण यह है की यह अपने में मात्र एक भाषा नहीं है, अपितु कई बोलियों/भाषाओं की जातीय संस्कृति को समेटे एक विराट संस्कृति है। हिन्दी भाषा का परिदृश्य इतना व्यापक है कि इसमें कई स्थानीय रूप एवं शैलियाँ समाहित हो गयीं है। बाएं से दायें लिखे जाने वाले देवनागरी लिपि जो अत्यंत व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक लिपि है, के उपयोग ने हिन्दी को जनसाधारण की भाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है।

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति के मूल।
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।"

भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस दोहे से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की उन्नति में मातृभाषा का महत्व क्या है।

बंगाल के श्री केशवचन्द्र सेन, जिन्होंने 1873 में अपने पत्र "सुलभ समाचार" में लिखा "यदि भाषा एक न होने पर भारतवर्ष में एकता न हो तो उसका उपाय क्या है ? समस्त भारतवर्ष में एक भाषा का प्रयोग करना इसका उपाय है, इस समय भारत में जितनी भी भाषाएं प्रचलित है,उनमें हिन्दी भाषा प्राय: सर्वत्र प्रचलित है।इस हिन्दी भाषा को यदि भारतवर्ष की एक मात्र भाषा बनाया जाए तो अनायास ही यह एकता सम्पन्न हो सकती है "।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, गांधी, तिलक, मालवीय भी इसी विचारधारा के थे और इन्होंने हिन्दी जो जनमानस की भाषा थी उसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में अपना महती योगदान दिया। 1947 आते-आते हिन्दी सर्वमान्य हो चुकी थी और इसलिए स्वतंत्रता के दो साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एकमत से हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया।

देश के विकास में हिंदी का योगदान

देश को स्वतंत्र हुए 76 साल हो गए हैं और इस दौरान भारत ने कई दौर देखे हैं । जहां स्वतंत्र होने के समय देश बदहाली की स्थिति में था वहीं इन 76 सालों में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है।

- किसी भी राष्ट्र के उत्थान में उसके नागरिकों का योगदान अमूल्य होता है, हिन्दी भाषा ने नागरिकों में एकता की शक्ति का संचार किया है। एकता की शक्ति ने ही भारत को हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता दिलायी है। स्वतंत्रता के कुछ दिनों के बाद ही दो-दो युद्ध की विभीषिका झेलने वाला राष्ट्र एकता की शक्ति से ही उनका मुकाबला कर पाया और विकास के पथ पर अग्रसर होकर, आज यहाँ पहुंचा है।
- हिन्दी देश के एक बड़े भू भाग में बोली जाती है । अतः राजनीतिक रूप में भी इसका बड़ा योगदान रहा है। सरकार अपने सारे कार्यक्रम का प्रचार एवं प्रसार मूलतः हिन्दी में करती है और ये सभी नागरिकों को सर्वग्राह्य होते हैं। दक्षिण के कुछ राज्यों में उनके मूल भाषा में प्रसारित करने की जरूरत छोड़ दें तो हिन्दी अपनी भूमिका प्रचार प्रसार में बखूबी निभाती है। भारत जैसे देश में जहां हर 10 कि. मी. पर बोली बदल जाती है वहाँ सरकार द्वारा सभी नागरिकों तक भाषायी आधार पर पहुंचना बहुत मुश्किल है परंतु हिन्दी के होने से यह समस्या प्रतीत नहीं होती है। देश के विकास में सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने में हिन्दी की अहम भूमिका है ।
- आर्थिक प्रगति में भी हिन्दी ने अपनी भूमिका बखूबी निभायी है । देश की अधिकतर आबादी हिन्दी का प्रयोग करती है । ऐसे में व्यापार में भी इसने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। देश आर्थिक रूप से आज प्रगति के सर्वोत्तम दौर में है और " एक देश एक कर" की परिकल्पना को साकार करने में हिन्दी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज कर जमा करने की सुविधा भी हिन्दी में आने से छोटे और मझोले दुकानदारों को काफी फायदा हुआ है ।

अब उन्हें कर निर्धारण, जमा एवं इससे संबंधित सारे काम एक ही सॉफ्टवेयर में मिल रहा है, जो हिन्दी में भी उपलब्ध है।

- देश की ज्यादातर आबादी के हिन्दी भाषी होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में भी हिन्दी का महत्व बढ़ जाता है। लोगों में क्षमता तो है परंतु अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता न होने के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे पा रहा था। परंतु आज शिक्षा का माध्यम हिन्दी होने के कारण एक बड़ा वर्ग अब हिन्दी माध्यम से तकनीकी शिक्षा ले कर देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है कि मेडिकल, इंजिनीयरिंग, कानून एवं अन्य उच्चतर शिक्षा में भी हिन्दी का उपयोग बढ़ाया जाए। सरकार ने सोशल साइट एवं सर्च इंजिन जैसे Google को भी हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी सेवाएं उपलब्ध करने हेतु मजबूर किया है। जिसका बहुत अच्छा परिणाम भी मिल रहा है, अब जनसामान्य भी इन सेवाओं का उपयोग कर पा रही है। सूचना क्रांति से हिन्दी का जुड़ाव नित नए अवधारणा प्रस्तुत कर रहा है और देश की विकास गाथा में अपना अमूल्य छाप छोड़ रहा है।
- देश की दिनोंदिन होती प्रगति ने विदेशी लोगों में भी भारत की सभ्यता एवं संस्कृति जानने की रुची बढ़ाई है जिसके लिए हिन्दी माध्यम बन रही है। विदेशों में भी हिन्दी जानने और सीखने की प्रवृती बढ़ रही है और ये फिल्मी गानों से निकल कर साहित्य एवं कला की तरफ बढ़ रही है। विदेशी हस्तियाँ भी देश के लोगों से विचारों के आदान - प्रदान में हिन्दी का प्रयोग कर रही हैं। यहाँ तक की राष्ट्राध्यक्ष भी हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत नमस्ते से कर रहे हैं और अपना हिन्दी ज्ञान प्रदर्शित कर रहे हैं। ये विश्व पटल पर भारत के विकास की गाथा एवं भारत के बढ़ते प्रभाव की निशानी है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिन्दी भाषा ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का महती कार्य किया है एवं देश के विकास में सभी जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित की है। देश का विकास सभी जनमानस के सामूहिक प्रयास से ही संभव है और सभी जनमानस को एक छतरी के नीचे लाने का कार्य हिन्दी भाषा ने किया है। इस संदर्भ को यह कविता सम्पूर्ण रूप में परिभाषित करती है-

बिछड़ जाएंगें अपने हमसे,
अगर अंग्रेजी टिक जाएगी।
मिट जाएगा वजूद हमारा,
अगर जो हिन्दी मिट जाएगी।

हिन्दी

भारत माँ की बिंदी है, धनी है, सरल हिन्दी है!
भाव संप्रेषित करें पूर्णत: जन-जन भाषा हिन्दी है।
अक्षर इसके हैं बावन; हिन्दी इतनी मनभावन!
"अ" अनपढ़ से आरंभ और "ज्ञ" ज्ञानी पर हो जिसका अंत ...
जैसा बोलें, वैसा लिखा; सुमधुर गंगा जल पावन....
हिन्दी को हम मान दिलाएँ, नित संकल्प करें रह-रह,
हर दिन हिन्दी दिवस मनाएँ, निज गौरव सम्मान बढ़ाएँ।
बने राष्ट्रभाषा जन के मन की; कुछ ऐसा हम सब कर जाएँ।
हिन्दी है हमारी शान, देश का अभिमान है ...
भाषा हमारी अपनी, करना जिसका सम्मान है।

आशीष कुमार देवांगन
लिपिक
रायपुर क्षेत्र

केंद्रीय कार्यालय में आयोजित हिन्दी दिवस की झलकियाँ

केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित हिन्दी दिवस की झलकियाँ

माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय पुणे के निरीक्षण की झलकियां

गृह मंत्रालय से प्राप्त राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के साथ कार्यपालक गण एवं राजभाषा विभाग के अधिकारी गण

क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित हिन्दी दिवस की झलकियाँ

बड़ौदा

भोपाल

ब्रह्मपुर

बंगलुरु

चेन्नै 2

कोयंबत्तूर

चंडीगढ़

देहरादून

दिल्ली

गुवाहाटी

गोवा

हैदराबाद

जयपुर

काँचीपुरम

लखनऊ

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

जनवरी - 2024 पौष - माघ 2080

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

फरवरी - 2024 माघ - फाल्गुन 2080

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

मार्च - 2024 फाल्गुन 2080 - चैत्र 2081

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

अप्रैल - 2024 चैत्र - बैशाख 2081

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

मई - 2024 बैशाख - ज्येष्ठ 2081

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

जून - 2024 ज्येष्ठ - आषाढ़ 2081

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
30						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

जुलाई - 2024 आषाढ़ - श्रावण 2081

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

अगस्त - 2024 श्रावण - भाद्रपद 2081

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

सितम्बर - 2024 भाद्रपद - आश्विन 2081

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

अक्तूबर - 2024 आश्विन - कार्तिक 2081

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

नवम्बर - 2024 कार्तिक - मार्गशीर्ष 2081

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

दिसम्बर - 2024 मार्गशीर्ष - पौष 2081

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरू	शुक्र	शनि
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित हिन्दी दिवस की झलकियाँ

लुधियाना

मेरठ

मुंबई

नागपुर

दिल्ली एनसीआर

पटना

पुणे

रांची

रायपुर

सिलीगुड़ी

तिरुच्चि

तिरुवनंतपुरम

विजयवाड़ा

विशाखापटनम

वरंगल

आदमी को समझने के लिए सामने से नहीं कोण से देखना चाहिए

नगेन्द्र कुमार सिंह, प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यालय

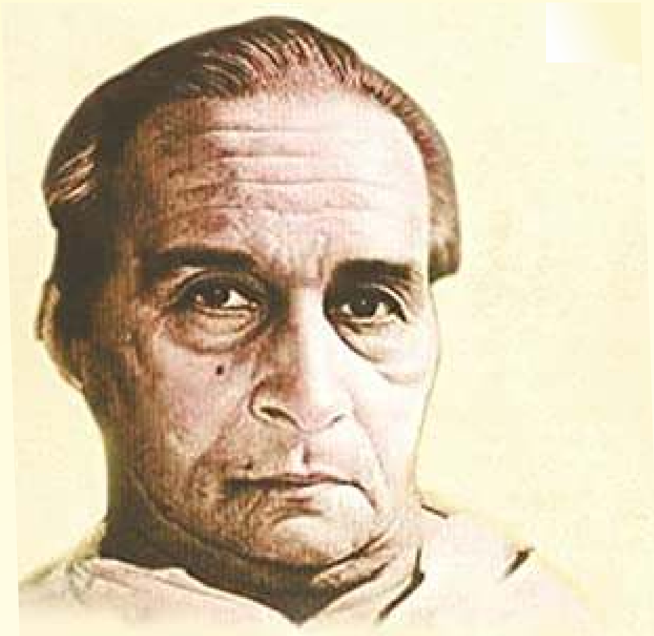

इस अंक में जिस साहित्यकार को आपके समक्ष लेकर आए हैं – वे अपनी रचना संसार में शब्दों को कुछ इस कदर गढ़ते हैं, जिसे पाठक पढ़कर आनंदित एवं भाव-विभोर हुए बिना रह ही नहीं सकता । जिन्हें कम उम्र में मिली परिवार की अतिरिक्त जिम्मेदारियों ने निखारा है । आजाद भारत का कोई भी क्षेत्र उनकी लेखनी से बचा नहीं है । फिर भी उनकी रचनाओं में सामाजिक और राजनैतिक संदर्भ बार-बार आते हैं । वे अध्ययनशील एवं व्यवस्था से बराबर टकराने वाले साहित्यकारों की श्रेणी में गिने जाते हैं । उनकी दृष्टि किसी भी तथ्य को यथातथ्य स्वीकार नहीं करती । परंपरागत मूल्य एवं विचार तभी उन्हें स्वीकार्य हैं यदि वह वर्तमान के साथ टिक पाएं । बड़े-बड़े राजनेता से लेकर सांसद, अधिकारी, शिक्षक, छात्र, मजदूर, बेरोजगार सभी उनकी रचनाओं के पाठक हैं । उनके लिए साहित्य चेतना परिवर्तन का माध्यम है । जिनकी लेखनी में व्यवस्था एवं समाज पर पैनी कटाक्ष की भरमार है, जो पाठक वर्ग को जागरूक एवं संवेदनशील बनाती है । वे जिस भी विधा पर अपनी लेखनी अजमाते हैं, वहाँ सफलता ने उनका इस्तकबाल किया है । आप सही समझ रहे हैं यह भूमिका हिंदी साहित्य के यशस्वी व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई के लिए बांधी गई है । आइये, इस रचनाकार की कहानियाँ, उपन्यास, ललित व विचारात्मक निबंध और लघुकथाओं के जरिए उनके विपुल साहित्य से परिचित होते हैं ।

हरिशंकर परसाई जी के बाल्यकाल का उनके शुरुआती लेखनी में जबरदस्त प्रभाव पड़ा था । हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को होशंगाबाद जिले के जमानी गाँव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था । पिता झूमकलाल परसाई और माता श्रीमती चंपाबाई का सानिध्य बहुत दिनों तक नही मिल सका । प्लेग की बीमारी ने माँ को निगला और माँ के शोक ने पिता को । परसाई जी लिखते हैं – "पाँच भाई-बहनों में माँ की मृत्यु का अर्थ मैं ही समझता था – सबसे बड़ा था ।" जिस मन:स्थिति में ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं, उससे स्पष्ट होता है कि लेखक पर इस दुर्घटना का कैसा अमिट प्रभाव पड़ा होगा । वे हाई स्कूल में अध्ययन के दौरान अंग्रेजी के अध्यापक बग्गा साहेब के बेहद करीब थे । बग्गा साहेब परसाई जी की क्षमता पहचानी । लेखक ने अपने संस्मरण में लिखा भी है कि "बग्गा साहेब ने ही मुझे साहित्य के संस्कार दिए और ज्ञान की अनंत पिपासा दी । उन्होंने मुझे इतिहास चेतना दी और इतिहास बोध दिया ।" 1944-45 के दौरान परसाई जी जबलपुर आए और वहाँ मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन का कार्य करने लगे । यहीं से उनके जीवन का अगला अध्याय शुरू होता है । 1944-45 का जमाना स्वातंत्र्योत्तर भारत की दस्तक दे रहा था । आजादी मिलने वाली थी, देश का बंटवारा होने वाला था । सांप्रदायिकता का लहर फैलने वाली थी और परसाई जी की चेतना का विकास हो रही थी । उनकी चेतना का विकास उनकी अपनी निजी समस्याओं और उनके समाधान के संघर्ष में हुआ । परसाई सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे । उनका आत्मवक्तव्य प्रसिद्ध है – 'कुंवारा हूँ, ब्रह्मचारी नहीं ।' माता-पिता की असमय मृत्यु के पश्चात भाई-बहनों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी और एक बहन की पति के मृत्यु हो जाने पर उनके बच्चों की जिम्मेदारी ने परसाई जी को अपने विवाह के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं दिया । उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच नागपुर विश्वविद्यालय से हिन्दी में एम.ए किया ।

हरिशंकर परसाई जी स्वातंत्र्योत्तर भारत के सबसे सशक्त व्यंगकार हैं । उनके संपूर्ण साहित्य की बुनावट व्यंग्य की आधारशिला पर टिकी हुई है । उनेक व्यंग्य में करुणा की जो धारा बहती है, उसका बहुत बड़ा कारण एवं आधार उनका आत्मसंघर्ष है। आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं **"उनका व्यंग्य स्वातंत्र्योत्तर भारत की आशा-निराशा, अपेक्षा-मोहभंग के द्वन्द्व का ऐतिहासिक दस्तावेज है । उनकी संवेदना में आत्मसंघर्ष और युग-संघर्ष का घोल है ।"** काँतिकुमार जैन के अनुसार, 23 नवंबर 1947 को प्रहरी पत्रिका में परसाई जी की पहली कहानी 'दूसरों की चमक-दमक' नाम से छपी । परसाई रचनावली में यही कहानी 'पैसों का खेल' नाम से छपी है ।

बीसवीं शताब्दी के छठे दशक में जो राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय घटनाएं घटीं – विशेषत: चीन और क्यूबा में, वे परसाई जी का झुकाव मार्क्सवाद की ओर कर दिया । उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के

सदस्य कुछ ही वर्षों तक रहे, लेकिन उन्होंने लंबे अरसे तक पार्टी कार्यकर्ता की सक्रिय भूमिका निभाई। मध्यप्रदेश की भूमि पर तपे हुए कम्युनिस्ट नेता कामरेड महेंद्र वाजपेयी के अनुसार, "1952 ई. के आम चुनाव में परसाई प्रजा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की ओर से चुनाव प्रचार करते थे और कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में भाषण करते थे । लेकिन 1960 ई. तक वे मार्क्सवाद से काफी प्रभावित हो चुके थे ।" 1962 में विश्व शांति संगठन में शिरकत के लिए सोवियत संघ गए । 1964 ई. में उन्होंने कुछ अरसे के लिए पार्टी सदस्यता ग्रहण भी की। वस्तुत: वे अपना दिमाग खुला रखना चाहते थे। वे कम्युनिस्ट विरोधी साहित्य भी पढ़ते थे और संभवत: उससे प्रभावित भी थे। उनका मानना था कि **"जो पार्टी संशोधन को पथभ्रष्टता मानती हो, उसमें स्वतंत्रचेतना कैसे रह सकता हैं?"** आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं "मेरा विचार है कि राजनीति में वे विचारधारा के स्तर पर कांग्रेसी वामपंथ के ज्यादा निकट थे। उनके राजनीतिक हीरो जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन थे।"

प्रहरी पत्रिका के अलावा परसाई जी का महत्वपूर्ण लेखन कल्पना और जनयुग में हुआ। कल्पना में उनका स्तम्भ 'और अंत में' बेहद लोकप्रिय हुआ। कल्पना प्रगतिशीलों की पत्रिका नहीं थी। लोहिया की समाजवादी पार्टी के विचारों की होने पर भी वह कुल मिलाकर शुद्ध साहित्य की पत्रिका समझी जाती थी। इससे गैर प्रगतिशील खेमे के साहित्यकारों एवं पाठकों के बीच परसाई का प्रभाव और बढ़ा। जनयुग कुछ दिनों के लिए डॉ नामवर सिंह के सम्पादन में निकला। उनकी प्रार्थना पर 'माजरा क्या है' कॉलम में 'आदम' के नाम से परसाई जी बहुत समय तक नियमित लिखते रहे। परसाई जी का कॉलम ऐसा लोकप्रिय था कि लोग जनयुग और कल्पना हाथ में आते ही सबसे पहले वही पढ़ते। इसके अतिरिक्त परसाई मायाराम सुरजन के 'देशबंधु' में भी नियमित रूप से लिखते थे। अंतिम दिनों में वे पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। वे हिन्दी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंग्यकार होने के साथ-साथ श्रेष्ठ स्तम्भ लेखक भी थे। वर्ष 1957 से केवल स्वतंत्र लेखन पर अवलंबित हो गए।

वे अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए परिश्रम करते थे । वे दयनीयता से घृणा करते थे। उन्होंने अपने बारे में खास तेवर से लिखा है- "मैं औसत आदमी से ढ्योढ़ा काम करता हूँ। आसन मार के बैठता हूँ । फटे कपड़े कभी नहीं पहने।" शादी नहीं की तो संतान का प्रश्न ही नहीं। लेकिन उन्होंने न केवल अपने भांजों को संतान की तरह पाला, बल्कि अपनी बहनों और छोटे भाईयों की भी चिंता की । उन्होंने विशेषत मध्यप्रदेश के हिन्दी लेखकों की एकाधिक पीढ़ियों का संवर्धन किया । 'पहला सफेद बाल' में वे लिखते हैं – **"अपना कोई पुत्र नहीं । होता तो मुश्किल में पड़ जाते । क्या देते- पर हम क्या दें, महायुद्ध की छाया में बढ़े हम लोग, हम गरीबी और अभाव में पले लोग, केवल जिजीविषा खाकर जिए हम लोग, हमारी पीढ़ी के बाल तो जन्म से ही सफेद हैं। हमारे पास क्या है ? हाँ भविष्य है .. तो इतना रंक नहीं हूँ – विराट भविष्य तो है। मेरे पीढ़ी के पुत्रो ! मैं तुम्हें यह भविष्य देता हूँ .. लो सफ़ेद बाल दिखने के इस पर्व पर यह तुम्हारा प्राप्य संभालो।"** अपने पर व्यंग्य करके तन जाना गालिब को आता था। परसाई ने निजी व्यथा को भावी पीढ़ी से जोड़कर यह गौरव प्राप्त किया।

हरिशंकर परसाई का सबसे ख्याति प्राप्त निबंध व्यंग्य संग्रह है – 'विकलांग श्रद्धा का दौर'। जिसके लिए उन्हें विभिन्न मंचों से सराहा गया है। 'विकलांग श्रद्धा का दौर' के व्यंग्य अपनी कथात्मक सहजता और पैनेपन में अविस्मणीय हैं, ऐसे कि एक बार पढ़कर इनका मौखिक पाठ किया जा सके । आए दिन आसपास घट रही सामान्य घटनाओं से व्यापक मानव-मूल्यों की उद्भावना न सिर्फ रचनाकार को मूल्यवान बनाती है बल्कि व्यंग्य-विधा को भी नई ऊँचाइयाँ सौंपती है । इस दृष्टि से प्रस्तुत कृति का महत्त्व और भी ज्यादा है । परसाई जी लिखते हैं "श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे सहज ढंग से अभी श्रद्धा ग्रहण नहीं होती। अटपटा जाता हूँ। अभी 'पार्ट टाइम' श्रद्धेय ही हूँ। कल दो आदमी आये। वे बात करके जब उठे तब एक ने मेरे चरण छूने को हाथ बढ़ाया। हम दोनों ही नौसिखुए। उसे चरण चूने का अभ्यास नहीं था, मुझे छुआने का। जैसा भी बना उसने चरण छू लिए। पर दूसरा आदमी दुविधा में था। वह तय नहीं कर पा रहा था कि मेरे चरण छुए या नहीं। मैं भिखारी की तरह उसे देख रहा था। वह थोड़ा-सा झुका। मेरी आशा उठी। पर वह फिर सीधा हो गया। मैं बुझ गया । उसने फिर जी कड़ा करके कोशिश की । थोड़ा झुका । मेरे पाँवो में फड़कन उठी । फिर वह असफल रहा । वह नमस्ते करके ही चला गया। उसने अपने साथी से कहा होगा – तुम भी यार, कैसे टुच्चों के चरण छूते हो।" लेखक के अनुसार श्रद्धेय होना एक विशिष्ट और अद्‌भुत बात होती है। श्रद्धेय व्यक्ति गर्वित और अभिमानी बन जाता है।

रचनाओं के क्रम में लेखक का दूसरा प्रसिद्ध निबंध व्यंग्य संग्रह है – 'ठिठुरता हुआ गणतंत्र' । निबन्ध के माध्यम से लेखक ने भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख खामियों से अवगत कराया है। लेखक ने अपने व्यंग्य वाणों से उन दावों पर चोंट की है जो गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के तीव्रगामी विकास को झाँकियों द्वारा दिखाता है । इस

निबन्ध में वे राजधानी दिल्ली में प्रदर्शित झाँकियों की प्रासंगिकता और सच्चाई पर सवाल उठाते हुए कहते हैं- "सत्यमेव जयते । हमारा सूत्र वाक्य है किन्तु गणतंत्र दिवस में झाँकियाँ झूठ बोलती हैं ।" झाँकियों के अपने आप में परिहास होने की वास्तविकता को उजागर करने के साथ-साथ लेखक ने इस निबन्ध के माध्यम से भारतीय गणतंत्र की प्रतीकात्मक ठिठुरन पर भी व्यंग्य किया है । मौसम और सूर्य के बहाने वे राजनेताओं व राजनीतिक दलों की टालमटोल और बहानेबाजी करते रहने की नीति और नीयत पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं कि "हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मौसम खराब रहता है । शीत लहर आती है । बादल छा जाते हैं । सूर्य छिपा रहता है । हर गणतंत्र दिवस पर मौसम ऐसा ही धूपहीन ठिठुरन वाला होता है ।" इस रहस्य की खोज करने पर परसाई जी को एक मित्र ने बताया कि गणतंत्र दिवस को सूर्य की किरणों को मनाने की कोशिश हो रही है । इतने बड़े सूर्य को बाहर लाना या उसके सामने से बादलों को हटाना आसान नहीं है। हमें सत्ता में रहने के लिए कम-से-कम सौ वर्ष तो दीजिए । इस पर परसाई जी कहते हैं कि "हम हर बार सूर्य के बादलों से बाहर निकालने की कोशिश करते थे पर हर बार सिंडीकेट वाले अड़ंगा डाल देते थे । अब हम वादा करते हैं कि अगले गणतंत्र दिवस पर सूर्य को निकाल कर दिखाएंगे।" परसाई जी आगे लिखते हैं कि **"यह भी कैसी आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्रता दिवस पर भारी बरसात होती है । स्वतंत्रता दिवस भीगता है और गणतंत्र दिवस ठिठुरता है । लेकिन रेडियो में प्रसारित समाचार में यह कहा जाता है कि करतल ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री और विदेशी मेहमानों का स्वागत हो रहा है । ठिठुरते गणतंत्र दिवस पर तालियों की आवाज प्रायः उन्हीं हाथों से आती है जिनके मालिक के पास हाथ छिपाने के लिए गर्म कपड़ा नहीं होता ।"**

परसाई जी को प्रेमचंद से जोड़ा जाता है । उन्होंने प्रेमचंद को अपना पुरखा कहा है । वे ऐसे व्यंग्यकार हैं कि प्रेमचंद के फटे जूतों से बात शुरू करते हैं और भावुक होकर लिखते हैं-

"क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है ?"

"मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते-देखते, तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है ।"

परसाई प्रेमचंद की तरह के लेखक नहीं हैं । वे प्रेमचंद के उत्तराधिकारी लेखक हैं । प्रेमचंद में स्वाधीनता आंदोलन की यथार्थ विषमता और उससे मुक्ति का स्वप्न है, उस स्वप्न के लिए संघर्ष की प्रेरणा और आदर्श है । परसाई स्वातंत्र्योत्तर भारत की ऐतिहासिक विसंगति, मोहभंग, क्षोभ के रचनाकार हैं ।

लेखक की 'इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर' और 'भोलाराम का जीव' जैसी प्रसिद्धि प्राप्त व्यंग्यपरक कहानियाँ ऐतिहासिक भय का माहौल तैयार करती हैं । इन रचनाओं में भय इतना सार्वजनिक है कि वह भय मालूम नहीं पड़ता । 'इन्स्पेक्टर मातादीन चाँद पर' जो फैंटसी है, वह चाँद की कथा नहीं । देश की घटनाएं मानो चाँद से देखने पर ज्यादा साफ दिखाई देती हैं । पुलिस थाने पर हनुमान जी का मंदिर अपने ही यहाँ बनता है, सबूत ऐसे ही इकट्ठा किये जाते हैं, चश्मदीद गवाह इसी तरह के अपराधी बनाए जाते है और इन्स्पेक्टर मातादीन ने चाँद पर जो स्थिति पैदा कर दी, वह अपने देश की ही है । 'भोलाराम का जीव' यमदूतों की भी पकड़ में नहीं आ रहा है । उसकी मृत्यु की तिथि बीत चुकी है, यमराज का आदेश पालन करने के लिए उनके दूत पृथ्वी पर भटक रहे हैं , किन्तु उसका जीव नहीं मिल रहा है । देवताओं की समस्याओं के निराकरण करने वाले नारद जी बहुत खोजबीन के बाद पता लगा सके कि उसका जीव पेंशन की फ़ाइल में चिपटा पड़ा है । उन्होंने रचनाओं में समस्याओं का जिक्र करते हुए, उसके समाधान भी दर्शाए हैं ।

हरिशंकर परसाई जी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान प्राप्त है । उन्हें 1982 में 'विकलांग श्रद्धा के दौर' कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया । उन्हें 1982 में जबलपुर विश्वविद्यालय ने अपनी रजत जयंती के अवसर पर डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की गयी । उन्हें मध्यप्रदेश साहित्य परिषद द्वारा शिखर सम्मान, शरद जोशी सम्मान प्राप्त हुआ । 1976 में बाथरूम में पैर फिसल जाने से हिपबोन में फ्रेक्चर हो गया था, जिसके चलते 18-19 साल तक बिस्तर पर रहकर लेखन-कार्य करते रहे । सार्वभौमिक सत्य है कि हर दौर का अंत होता है । अपने जन्मदिन के ठीक दस दिन पहले यानी 10 अगस्त 1995 को रक्षाबंधन के दिन परसाई जी ने जीवन की अंतिम साँसे लीं । उनके साथ स्वतंत्र लेखकों की एक रवायत ही समाप्त हो गई । परसाई जी के जन्म के सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2022-2023 को हिंदी साहित्य जगत परसाई जन्मशती वर्ष के रूप में मना रहा है ।

आपकी मुख्य कृतियों में शामिल हैं:

कहानी संग्रह : हँसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे

उपन्यास : रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज

व्यंग्य निबंध संग्रह : तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसैं, हम इक उम्र से वाकिफ़ हैं, निठल्ले की डायरी, आवारा भीड़ के खतरे, जाने-पहचाने लोग, कहत कबीर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र

साक्षात्कार : पूछो परसाई से

विनियमों में चुनौतियाँ

अभिषेक कुमार सिंह, प्रबन्धक, अनुपालन विभाग, केंद्रीय कार्यालय

क्या हमें विनियमों की आवश्यकता है?

कई लोगों का मानना है कि न्यूनतम विनियमन, उद्यम के विकास को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है लेकिन इतिहास इस बात के उदाहरणों से भरा पड़ा है कि कैसे न्यूनतम विनियमन के साथ उदार पर्यवेक्षण और संयमित प्रवर्तन वित्तीय संकट का कारण बनते हैं। हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि उदासीन वित्तीय क्रिया-कलापों से अधिक हानिकारक कुछ भी नहीं हो सकता है। जबकि एक आदर्श परिदृश्य में, 'विनियमन' यह सुनिश्चित करेगा कि कैसे सिस्टम न्यूनतम नियामक निरीक्षण के साथ व्यापक भलाई के लिए त्रुटिहीन रूप से कार्य करे। परन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वित्तीय क्षेत्र में अतार्किक उत्साह को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसे नियामक की आवश्यकता है जो वित्तीय संस्थानों के एक मजबूत समूह को सुनिश्चित करने के लिए सीमाएं निर्धारित करे और उन्हें लागू करने के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दे।

आमतौर पर, व्यवसाय में क्या और कैसे किया जाता है, विनियम इसे नियंत्रित करते हैं। यह प्रक्रिया वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विनियमित संस्थाओं पर अवसर लागत लगाती है। हालाँकि, सामूहिक भलाई के लिए ये वितरण योग्य लागतें हैं। इसलिए, नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि समग्र वित्तीय प्रणाली कुशल वित्तीय मध्यस्थता के माध्यम से वास्तविक क्षेत्र में अपनी सहायक भूमिका निभाती है और यह स्थिर, मजबूत और उत्तरदायी बनी रहती है।

इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र और बैंकिंग उद्योग विशेष है। बैंक न केवल ग्राहक की मेहनत की कमाई के संरक्षक हैं, बल्कि सार्वजनिक विश्वास के भी संरक्षक हैं। यह सुनिश्चित करना आरबीआई की जिम्मेदारी है कि ग्राहकों और जमाकर्ताओं द्वारा बैंकों पर जताया गया भरोसा पूरी तरह कायम रहे।

परिवर्तन प्रबंधन

वित्तीय क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों को देखते हुए उन गहन संरचनात्मक बदलावों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है जो वित्तीय क्षेत्र के आकार को बदल रहे हैं। इन परिवर्तनों में असंख्य कारक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी चुनौतियाँ हैं। ये भी बहुआयामी जटिल मुद्दे हैं जो सूक्ष्म, अनुकूलनीय समाधान की मांग करते हैं। नवाचार को प्रोत्साहित करने और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के बीच सही संतुलन बनाना हमेशा एक कठिन कार्य होता है।

जलवायु परिवर्तन

हम सभी जलवायु परिवर्तन की उस वैश्विक चुनौती से अवगत हैं जो हमारे ग्रह के लिए उत्पन्न हुई है और इसका प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार वित्तीय क्षेत्र में अधिक टिकाऊ परिवर्तन अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता है। चूंकि समाज स्वच्छ, हरित पर्यावरण के प्रति अधिक प्रतिबद्धता की मांग करता है, नियामक ढांचे में जलवायु जोखिमों को एकीकृत करने का कार्य किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय संस्थान ऋण के प्रवाह को प्रबंधित करने के साथ-साथ अपने कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव पर भी विचार करें, यह एक नाजुक संतुलन अधिनियम की मांग करता है और इसमे सहयोगात्मक समाधान की आवश्यकता होती है।

नियामकों को इस विवादास्पद प्रश्न पर विचार करना है कि क्या जलवायु जोखिम एक विशेष प्रकार का जोखिम है जिसे अलग से समझने की आवश्यकता है या इसे क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिमों से ही होकर गुजरता है और इसे मौजूदा जोखिम ढांचे के हिस्से के रूप में ही माना जाना चाहिए। बहस का एक और मुद्दा यह भी है कि क्या इन जोखिमों को पिलर2 (पर्यवेक्षी समीक्षा) और पिलर3 (बाजार अनुशासन और प्रकटीकरण) की आवश्यकताओं के संयोजन के रूप में समझने की आवश्यकता है या सीधे पिलर1 (पूंजी और तरलता) के जोखिम के रूप के हिस्से में समझना ही एक बेहतर रास्ता है।

प्रौद्योगिकी परिवर्तन

प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व गति से वित्त के परिदृश्य को नया आकार दे रही है और एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरी है जो कि परिचालन और ग्राहक के अनुभवों को समान रूप से नया आकार दे रही है। डिजिटलीकरण, उपलब्ध विकल्पों को बढ़ाने, वित्तीय सेवाओं के प्रावधान में दक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा इन सेवाओं को आबादी के बड़े हिस्से तक उपलब्ध कराने में मदद कर रहा है।

इस तकनीकी प्रगति को अपनाने के साथ यह जरूरी है कि वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा, गोपनीयता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचा विकसित हो। डेटा द्वारा परिभाषित युग में, व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा का मुद्दा सामने आया है। भारत में, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 हाल ही में अधिनियमित किया गया है। व्यक्तियों के अधिकारों और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक था।

बड़ी मात्रा में संवेदनशील ग्राहक डेटा के संरक्षक के रूप में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अधिनियम और संबंधित नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए आवश्यक प्रयास करने चाहिए। इस परिवर्तन को सुचारू रूप से प्रबंधित करने के लिए, वित्तीय संस्थानों को मजबूत डेटा प्रशासन ढांचे में निवेश करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे और उनके डेटा प्रोसेसर डेटा को एकत्रित, संसाधित और संग्रहीत करें।

डिजिटल मध्यस्थता संक्रमण

डिजिटल ऋण और ऋण प्रदान करने वाले डिजिटल प्लेटफार्मों के उद्भव के कारण भारत सहित विभिन्न उभरती अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से वृद्धि देखी गई है। हालाँकि इस तेजी से बढ़ते डिजिटल वातावरण में

ऋण के पैमाने व रफ़्तार में वृद्धि हुई है ।

किसी भी नियामक को क्या इसके लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए कि उचित नियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को स्थापित करने के बाद ही वित्तीय नवाचार सक्षम हों; या बाज़ारों को अपने आप विकसित होने देने का एक सहज दृष्टिकोण अपनाना चाहिए?

आक्रामक विपणन रणनीति और भोले-भाले ग्राहकों के शोषण के लिए बनाए गए व्यवसाय मॉडल यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसे मुद्दों पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है लेकिन, दुविधा विनियामक हस्तक्षेप की सीमा तय करने में है । उदाहरण के तौर पर, 2020 की शुरुआत में, नई प्रौद्योगिकी संचालित प्लेटफार्मों की ऋण गतिविधियों में बड़ी संख्या में छोटे आकार के ऋण दिए गए, जो ज्यादातर समाज के निम्न आय वर्ग जैसे छात्र, खुदरा व्यवसाय, श्रमिकों में आते थे। इन उधारकर्ताओं के लिए, अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण लेने का मतलब एक खतरनाक ऋण जाल में फंसना था। स्थिति को बदतर बनाने वाली बात यह थी कि उधारकर्ताओं को ऋण लेने से पहले इतनी ऊंची ब्याज दर या शुल्क के बारे में पता भी नहीं था क्योंकि इनका पहले से खुलासा नहीं किया गया था और उनकी शिकायतों को उठाने के लिए मोबाइल ऐप के अलावा कोई इंटरफ़ेस भी नहीं था और वसूली प्रक्रियाएँ कठोर और अपरंपरागत थीं।

हमने यह भी देखा था कि क्रेडिट अंडरराइटिंग से लेकर रिकवरी तक, हर गतिविधि को ग्राहक की गोपनीयता और सुरक्षा को ताक पर रखते हुए आउटसोर्स किया जा रहा था। कई मामलों में फिनटेक प्लेटफॉर्म खुद को प्रिंसिपल के रूप में प्रस्तुत करके विनियमित इकाई की ओर से सभी उधार गतिविधियां को संचालित कर रहे थे, ग्राहकों को उस बैंक या एनबीएफसी के नाम के बारे में भी पता नहीं था जिसने ऋण स्वीकृत किया था। इस मुद्दे से निपटने के लिए आरबीआई के डिजिटल ऋण नियमों में एक व्यापक नियामक ढांचा तैयार किया है जिसके तहत फिनटेक, विनियमित संस्थाओं के साथ सक्षम भागीदार बन सकते हैं।

सोशल मीडिया संक्रमण

सोशल मीडिया ने सूचना के प्रसार की गति और दायरे में क्रांति ला दी है। सूचना साझा करना अब तक इतना त्वरित और निर्बाधित कभी नहीं हुआ लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अप्रमाणित अफवाहें और झूठी खबरें भी उतनी ही तेजी से फैल सकती हैं और वित्तीय संस्थानों, विशेषकर बैंकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, निरंतर और प्रभावी पर्यवेक्षण के साथ सोशल मीडिया पर गलत सूचना को फैलने से रोकना महत्वपूर्ण हो गया है।

आरबीआई इन परिवर्तनों का प्रबंधन कैसे कर रहा है?

आरबीआई का दृष्टिकोण हमेशा वित्तीय स्थिरता विचारों के साथ संतुलन बनाते हुए नवाचारों और गतिशीलता को बढ़ावा देने और समर्थन करने का रहा है। इसलिए, ये समझने का विषय है कि आरबीआई इन बदलावों को प्रबंधित करने के लिए क्या कर रहा है ।

विनियमों का सरलीकरण

विनियामक निर्देश वित्तीय प्रणाली और संस्थानों के विकास पथ के अनुरूप समय-समय पर विकसित हुए हैं तथा नियामक परिधि का भी विस्तार हुआ है क्योंकि भारतीय वित्तीय प्रणाली ने नए व्यापार मॉडल, उत्पाद लाइनों और भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश किया है।

आरबीआई ने कार्य को करने और नियमों की सरलता सुनिश्चित करने के लिए 2021 में (1999 में स्थापित आरआरए 1 के बाद) विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 (आरआरए) की स्थापना की थी जो आरबीआई के लिए प्राथमिकता बन गई है। मेरे विचार में, भविष्य के नियम वित्तीय प्रणाली की उभरती ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। ऐसा करने के लिए, आरबीआई ने पाँच-स्तंभीय रणनीति अपनाई है -

1. सबसे पहले, आरबीआई यह सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य के नियम दूरदर्शी और सक्रिय हों।
2. दूसरा, आरबीआई अपने दृष्टिकोण में फुर्तीली हो गई है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवर्तन की गति तेज हो गई है।
3. तीसरा, विनियमन बनाने के प्रति आरबीआई का दृष्टिकोण अधिक डेटा संचालित और प्रभाव मूल्यांकन उन्मुख हो गया है। इससे, अधिक विश्लेषणात्मक निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है और जहां भी आवश्यक हो, संक्रमण के लिए एक उपयुक्त मार्ग का प्रावधान करने में मदद मिल रही है।
4. चौथा, आरबीआई विनियमन बनाने के लिए अधिक परामर्शात्मक

दृष्टिकोण अपना रहा है। हितधारकों के साथ पूर्व परामर्श हमें विविध दृष्टिकोण इकट्ठा करने और उन्हें नियमों में शामिल करने में सक्षम बनाता है। इससे नियमों का क्रियान्वयन भी बेहतर होता है।

5. पांचवां और आखिरी स्तंभ है सहयोग। आरबीआई एक सुरक्षित और लचीला वित्तीय क्षेत्र विकसित करने के लिए हितधारकों, सरकार और अन्य नियामकों और उद्योग के साथ अधिक से अधिक जुड़ रहा है।

रिज़र्व बैंक को विभिन्न क़ानूनों के तहत अधीनस्थ कानून बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इससे आरबीआई पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि उसके निर्देश वैधानिक आदेश द्वारा निर्धारित परिधि के भीतर, भाषा में स्पष्ट, उचित और आनुपातिक हों।

ग्राहक आचरण को फोकस में लाना

वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने से विनियमों की दो व्यापक श्रेणियाँ बनती हैं - विवेकपूर्ण विनियम और आचरण विनियम। वित्तीय स्थिरता के लिए विवेकपूर्ण विनियमन नींव बनाता है, जबकि आचरण विनियमन ग्राहक विश्वास बनाए रखने के लिए नैतिक आधार रखता है। साथ में हमारी वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करने में मदद करता है।

तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रयास विनियमित संस्थाओं में जिम्मेदार आचरण विकसित करने का रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से अपने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं के लिए उपयुक्तता और प्रदर्शन आवश्यकताओं को डिजाइन करने के लिए कहा है। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक आचरण आधारित नियमों के क्षेत्र में चिंताओं को दूर करने के लिए उनके दृष्टिकोण को और मजबूत करते हैं वैसे ही विनियमित संस्थाओं को सभी ग्राहकों - बड़े या छोटे, शहरी या ग्रामीण, शिक्षित या कम शिक्षित, के साथ पारदर्शी और नैतिक तरीके से व्यवहार करना चाहिए।

सिद्धांत आधारित बनाम नियम आधारित विनियम

इस बात पर बहस चल रही है कि क्या सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण बेहतर है या नियमों के लिए नियम-आधारित दृष्टिकोण बेहतर विकल्प है। समय के विभिन्न बिंदुओं पर नीति निर्माताओं को एक दृष्टिकोण ने दूसरे की तुलना में अधिक प्रभावित किया है।

नियम-आधारित विनियमों का लाभ यह है कि यह विनियमित संस्थाओं को क्या करने की आवश्यकता है, इस पर निश्चितता और दृढ़ मार्गदर्शन प्रदान करता है। नियामक के दृष्टिकोण से लाभ यह है कि, यह नियामक लक्ष्य और जिम्मेदारियों के मामले में, जिन्हें आसानी से मॉनिटर और लागू किया जा सकता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है ।

इसके विपरीत, सिद्धांत-आधारित विनियमन सिद्धांतों को विभिन्न प्रकार की स्थितियों के लिए उपयुक्त बनाने और वांछित परिणामों पर जोर देने के लिए तैयार किया गया है। वे विनियमित संस्थाओं को उभरती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और नवप्रवर्तन करने की छूट देते हैं; हालाँकि, इसके लिए उन्हें विवेकपूर्ण और जिम्मेदार निर्णय लेने की भी आवश्यकता होती है। हालांकि, नियामक अपेक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए, सिद्धांत-आधारित नियमों को स्पष्टीकरण, चित्रण और मार्गदर्शन नोट्स के साथ पूरक करने की आवश्यकता होती है।

तो हम नियम-आधारित और सिद्धांत-आधारित नियामक दृष्टिकोण की निरंतरता में कहां खड़े हैं? रिज़र्व बैंक, नीतिगत रूप से, धीरे-धीरे बैंकों को व्यापक नियामक ढांचे के भीतर अपने व्यवसाय संचालन के लिए अधिक परिचालन स्वतंत्रता दे रहा है। इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक अपने नियमों को तेजी से सिद्धांत-आधारित बनाने की दिशा में अच्छी गति से आगे बढ़ रहा हैं।

समान अवसर बनाए रखना

एक समान मैदान यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रतिभागी एक निष्पक्ष और सुसंगत नियामक ढांचे के भीतर काम करते हैं जहां वित्तीय प्रणाली के संभावित जोखिम और अवसर समान रूप से संतुलित होते हैं। एक नियामक के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक "समान गतिविधि, समान जोखिम, समान विनियमन" के सिद्धांत का पालन कर रहा है। इस दृष्टिकोण को डिजिटल ऋण, प्रथम हानि डिफ़ॉल्ट गारंटी (एफएलडीजी) और माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र पर दिशानिर्देशों के मामले में देखा जा सकता है।

हालाँकि, समान स्तर बनाए रखने के लिए उन नियमों को सुनिश्चित करके संतुलित किया जाना चाहिए जो फर्म द्वारा वित्तीय प्रणाली के लिए उत्पन्न जोखिमों के अनुपात में हों। भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता के प्रति काफी सचेत है कि किसी इकाई पर विनियामक बोझ वित्तीय प्रणाली और उसके संचालन के आकार के लिए उत्पन्न जोखिमों के अनुपात में होना चाहिए। इस विचार ने एनबीएफसी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित पैमाना-आधारित नियामक दृष्टिकोण और यूसीबी के लिए संशोधित नियामक ढांचे को रेखांकित किया है।

हालाँकि, इसकी भी सराहना की जानी चाहिए कि नियामक मध्यस्थता की क्षमता को सीमित करना और बाजार सहभागियों के लिए समान अवसर स्थापित करना नियामकों के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन यह सर्वोपरि नहीं है। कुशल बाज़ार कामकाज सुनिश्चित करने के लिए और अधिक व्यापक रूप से, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए, नीति निर्माताओं को, कभी-कभी, विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के साथ अलग-अलग व्यवहार करने की आवश्यकता हो सकती है।

निष्कर्ष

आज की गतिशील और परस्पर जुड़ी दुनिया में नियम बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और भारतीय रिजर्व बैंक इसके लिए प्रतिबद्ध है। एक नियामक के रूप में, समाज में भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि वह - दूरदर्शी, जोखिम-आधारित और आनुपातिक नियम बनाकर और उन्हें सुसंगत तरीके से लागू करके अपना काम करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को स्थिरता बनाए रखने, विकास को बढ़ावा देने और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के प्रति अपने समर्पण पर दृढ़ रहने की जरूरत है।

हिंदी प्रचार-प्रसार और महात्मा गांधी

रश्मि कुमारी सिंह, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय बड़ौदा

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे सामने यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि आजाद भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या होगी? हिन्दू समाज और मुस्लिम समाज के बीच बढ़ती दरार का एक बड़ा कारण भाषा भी थी। भारत के उत्तरी प्रान्तों में यह धारणा थी कि हिंदी हिंदुओं की और उर्दू मुस्लिमों की भाषा है। हलांकि बड़ी संख्या उस समय ऊर्दू लिपि जानने वालों की ही थी। ऊर्दू को आसानी से लोग पढ़ते और लिखते थे। ठीक उसी समय देवनागरी लिपि में लिखी जानी वाली हिंदी का प्रचार और चलन दोनों ही बढ़ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में महात्मा गांधी के सामने भी बार-बार यह सवाल आता था कि आजाद भारत की भाषा क्या होगी? भारत में लौटने के कुछ ही समय बाद महात्मा गांधी ने इंदौर में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में कहा था, "जैसे ब्रिटिश अंग्रेजी बोलते हैं, सभी कार्यों में अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं, वैसी ही मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान अदा करें। इसे राष्ट्रीय भाषा बनाकर हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए"।

महात्मा गांधी ने पूरे भारत में हिंदी के प्रचार-प्रसार को लेकर बहुत गंभीर थे। महात्मा गांधी ने पांच 'हिंदी दूत' उन राज्यों में भेजे, जहां पर इस भाषा का ज्यादा प्रचलन नहीं था। इन पांच दूतों में महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे भी शामिल थे। ये पांच हिंदी दूत हिंदी के प्रचार के लिए सबसे पहले तत्कालीन मद्रास स्टेट पहुंचे जो आज तमिलनाडु के रुप जाना जाता है। कोर्ट के सुनवाई में भी महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदी का प्रयोग हो। उन्होंने अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की बात कही क्योंकि लोग इस भाषा को भी भारत की भाषा समझने लगे हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि अंग्रेजी से बेहतर होगा कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए क्योंकि यह हिन्दू-मुसलमान, उत्तर-दक्षिण को जोड़ती है। महात्मा गांधी का यह भी कहना था कि हिंदी का प्रयोग केवल बोलचाल और देश की अधिकारिक भाषा के तौर पर ही नहीं बल्कि न्यायालयों में सुनवाई के लिए भी किया जाना चाहिए। इस संबध में वे कहते थे, कि सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। राष्ट्रीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को कोर्ट में जरुर आगे बढ़ाना चाहिए। अपने संबोधन की समाप्ति पर महात्मा गांधी ने कहा था, मेरा विनम्र लेकिन दृढ़ विचार है कि जब तक हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्ज़ा नहीं दिला देते, दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को उनका जरुरी महत्व नहीं दिला देते तब तक स्वराज्य की सारी बातें अर्थहीन रहेंगी"।

गांधी जी ने 1909 में 'हिंद स्वराज' की स्थापना की जिसमें अपनी भाषा नीति की घोषणा इस प्रकार की थी कि-"सारे हिन्दूस्तान के लिए जो भाषा चाहिए, वह तो हिंदी ही होना चाहिए। उसे ऊर्दू या देवनागरी लिपि में लिखने की छूट होनी चाहिए। हिन्दू-मुसलमान के आपसी संबंध ठीक रहें, इसलिये हिंदुस्तानियों को इन दोनों लिपियों को जान लेना चाहिए।

ऐसा होने से हम आपस के व्यवहार से अंग्रेजी को निकाल सकेंगे।

महात्मा गांधी ने भारत आकर अपना पहला महत्वपूर्ण भाषण 06 फरवरी 1916 को बनारस में दिया था। उस दिन भारत के वायसराय लार्ड हार्डिंग वहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आए थे। महामना मदन मोहन मालवीय के विशेष निमंत्रण पर महात्मा गांधी भी इस समारोह में शामिल हुए । सर्वप्रथम उन्होंने समारोह की कार्रवाई एक विदेशी भाषा, अंग्रेजी में चलाए जाने पर आपत्ति जाहिर की और दुख जताया। वे किसी भाषा के विरोधी नहीं थे। अधिक से अधिक भाषाओं को सीखना वे उचित समझते थे। प्रत्येक भाषा को महत्वपूर्ण मानते थे, किंतु उन्होंने निज भाषा और हिंदी का सदैव सबल समर्थन किया।

10 अगस्त 1947 को प्रकाशित अपने लेख में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय भाषा के बारे में लिखा था, "दिल्ली में मैं रोज ही हिंदुओं और मुस्लिमों से मिलता हूं, जिनमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर एक ही भाषा बोलते हैं जिसमें संस्कृत के शब्द कम होते हैं, फारसी और अरबी के शब्द ज्यादा नहीं होते हैं। ज्यादातर लोगों को देवनागरी लिपि नहीं आती। वे मुझे अलग सी अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं और जब मैं उनसे विदेशी भाषा में न लिखने की बात करता हूं तो वे ऊर्दू में लिखते हैं। ऐसे में यह अनेक भाषाओं की खिचड़ी "हिंदी" न हो और इसकी लिपि केवल देवनागरी हो। इसी लेख में महात्मा गांधी ने लिखा था कि " लाखों भारतीय जो गांवों में रहते हैं, उन्हें किताबों से कोई लेना देना नहीं है। वे हिन्दुस्तानी बोलते हैं, जिसे ऊर्दू लिपि या देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम दोनों ही लिपियाँ सीखें"। संविधान सभा में भी हिंदी पर गांधी के विचारों का अक्सर जिक्र होता है। महात्मा गांधी के इस लेख का जिक्र करते हुए संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद इस्माइल ने 14 सितम्बर 1949 को भाषा के सवाल पर बहस के दौरान यह प्रस्ताव रखा था कि संविधान सभा को हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्वीकार करते हुए उसके ऊर्दू और देवनागरी लिपियों में राज्य की अधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। हालांकि ऐसा न हो सका और संविधान ने देवनागरी में ही हिंदी को अधिकारिक भाषा माना। हिंदी को राजभाषा बनाने के बाद राजेन्द्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को याद किया था। राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा का सदस्य होने के नाते हिंदी के लिए किए गए महात्मा गांधी के प्रयासों को याद किया। उन्होंने कहा, "मैं दक्षिण भारत के लिए एक शब्द कहना चाहूंगा। 1917 में जब महात्मा गांधी चंपारण गए थे, मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला और जब उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार करने के बारे में सोचा और तय किया कि स्वामी सत्यदेव और अपने बेटे देवदास गांधी को इस काम को शुरु करने को कहा। राजेंद्र प्रसाद ने 1918 में इंदौर में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में इस हिंदी प्रचार कार्यक्रम को एक प्रमुख कार्यक्रम बताया था। उन्होंने कहा था, "मैं यह दावा नहीं कर सकता कि मैं इस कार्यक्रम से पिछले 32 सालों में अच्छे से जुड़ा रहा हूं लेकिन मैं दक्षिण भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक गया हूँ और वहाँ पर महात्मा गांधी की इस

मुहिम के प्रति प्रतिक्रिया रही है, उसे देखकर मेरे दिल को बहुत खुशी होती है"।

एक अवसर पर उन्होंने कहा था, "भारत के युवक और युवतियां अंग्रेजी और दुनिया की दूसरी भाषाएं खूब पढ़ें, मगर मैं हरगिज यह नहीं चाहुंगा कि कोई भी हिन्दुस्तानी अपनी मातृभाषा को भूल जाएँ या उसकी उपेक्षा करें या उसे देखकर शरमाएँ अथवा यह महसूस करें कि अपनी मातृभाषा के जरिए वह ऊंचे से ऊंचा चिंतन नहीं कर सकते। गांधी जी की इच्छा थी कि भारत के प्रत्येक प्रदेश में शिक्षा का माध्यम उस प्रदेश की भाषा को होना चाहिए। उनका कथन था –"राष्ट्र के विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में नहीं, अन्य भाषा में शिक्षा पाते हैं तो वे आत्महत्या करते हैं। इससे उनका जन्मसिद्ध अधिकार छिन जाता है। विदेशी भाषा से उनके दिमाग पर जोर पड़ता है और उनकी सारी मौलिकता नष्ट हो जाती है। इसलिए किसी विदेशी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना मैं राष्ट्र का बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं"।

दक्षिण भारतीयों के बीच हिंदी का प्रचार कैसे हो, यह गांधी जी के लिए महत्वपूर्ण समस्या थी। भारतीय राजनेताओं में गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने द्रविड़ प्रदेशों में राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हिंदी को विधिवत सिखाया जाना आवश्यक समझा और उसके लिए उन्होंने ठोस योजना प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत पुरुषोत्तम दास टंडन, वेंकटेश नारायण तिवारी, शिवप्रसाद गुप्ता सरीखे हिंदी सेवियों को लेकर 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' का गठन किया। महात्मा गांधी ने सभी भारतीय भाषाओं का समादर और हिंदी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए 17 मई 1942 तथा 9 अगस्त 1946 को कहा था-'महान प्रांतीय भाषाओं का निरादर करने की कोई बात नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय भाषाओं की नींव प्रांतीय भाषाओं पर ही खड़ी की जानी है। दोनों का लक्ष्य एक दूसरे की कमी को पूरा करना है'। महात्मा गांधी के विचार महान भारतीय नेताओं की भावना और हिंदी भाषा-भाषी जनता की विशाल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त चिंतन-मनन के उपरांत भारतीय संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा की प्रतिष्ठा प्रदान की थी। गांधी जी के अभियान से यह फायदा हुआ कि उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य क्षेत्रों के साहित्यकारों ने जनपदीय भाषा को भूलकर राष्ट्रभाषा के रुप में हिंदी के विकास में अपनी कलम चलायी। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ने हिंदी को राष्ट्रीय धर्म के रुप में अपनाया। बिहार में भी आचार्य शिवपूजन सहाय, राधिकारमण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, नागार्जुन, फणीशवरनाथ रेणु आदि ने अपनी क्षेत्रीय बोलियों के मोह से ऊपर ऊठकर हिंदी के विकास में योगदान देना अपना राष्ट्रीय धर्म समझा।

गांधीजी भाषा के माध्यम से देश को भाषाई एकता के साथ भावनात्मक रुप से, सांस्कृतिक रुप से भाषा की अस्मिता को भारत की आत्मा में प्राण फूंककर जगाना चाहते थे। बहुसंस्कृति और बहुभाषिकता और बहुधर्म वाले भारत में अंग्रेज अपनी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से सेंध लगा चुके थे ऐसे समय में गांधीजी ने अपने चिंतन-मनन से भाषा

संस्कृति की शक्ति को पहचान कर हिंदी भाषा की पैरवी बड़ी शिद्दत के साथ की । उन्होंने पत्र-पत्रिकाओं में लिखकर और अपने भाषणों के माध्यम से हिंदी की हिफाजत की थी। गांधीजी जानते और मानते थे कि भाषा को तोड़ने व जोड़ने से देश की संस्कृति और समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। भाषाई एकता के माध्यम से गांधीजी पहले देश की जनता को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। तभी देश की आजादी का सपना साकार हो सकता था । अपनी मूल भाषा गुजराती में स्कूली अध्यन व उच्च शिक्षा अंग्रेजी में होने के बाद भी तथा अपनी आत्मकथा गुजराती में लिखने के बाद भी देश की जनता व बुद्धिजीवी वर्ग को हिंदी की हिमायत करते हुए उन्होंने आजादी के संग्राम की शुरुआत अपनी निजी जीवन में हिंदी भाषा से करने की जोरदार वकालत की ।

हिंदी भाषा में सारे गुणों को देखते हुए माहात्मा गांधी ने कहा था कि सचमुच में पूरे हिन्दूस्तान के साथ व्यवहार करने के लिए हमको भारतीय भाषाओं में से एक ऐसी भाषा की जरुरत है, जिसे आज ज्यादा तदाद में लोग जानते और समझते हों और बाकी लोग जिसे जल्दी सीख सकें । गांधी जी हिंदी भाषा को संपूर्ण भारतीयों की धड़कन की भाषा माना था जिसमें गरीब अमीर मजदूर किसान सबके लिए एकरुपता से जोड़ने वाली भाषा का सपना संजोया था जो आज भी हमारे लिए अधूरा ही प्रतीत हो रहा है। गांधीजी ने अपनी मातृभाषा की रक्षा करने की बात भी कही तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रुप में विकसित समृद्ध और मजबूत करने की बात उन्होंने अपने अनुभव और व्यवहारिक ढंग से हिंदी की प्रगति में कोई कसर नहीं छोड़ी ।

अंत में यही कहा जाएगा कि आज गांधी की आत्मा भी यही कहती है कि जिस सपने को संजोकर मैंने राष्ट्र भाषा के रुप में हिंदी की पैरवी की थी वह हिंदी आज भी प्रतिष्ठा के रुप में विश्व के पटल को छू रही है। किंतु अपने घर में राष्ट्रभाषा का दर्ज़ा प्राप्त करने से वंचित है। यह प्रश्न गांधी जी की आत्मा को झकझोर रहा होगा। गांधी जी युग द्रष्टा थे जिन्होंने मानसिक आजादी को पाने के लिए हिंदी भाषा को अपना हथियार बनाया। उन्होंने उस जमाने में भाषा के लिए जो संघर्ष किया वह वाकई में लाज़वाब था। यह नीव का पत्थर था। आज हिंदी विश्व के क्षितिज को छू रही है। हिंदी भाषा के आंदोलन के रुप में गांधी जी का सपना साकार हुआ है। आज सोशल मीडिया पर हिंदी अपना परचम लहरा रही है। आज धीरे-धीरे हिंदी रोजगार की भाषा बन रही है।

कैसे? मेरा भारत महान

एक मासूम घर आकर बोला अपने दादा से,
दादू एक पंक्ति पढ़ कर आज रह गया मैं हैरान,
किसी महापुरुष ने एक दीवार पर लिख रखा था
"सौ में अस्सी बेईमान फिर भी मेरा भारत महान"।
मुझे बताओ जब सौ में अस्सी बेईमान,
तो कैसे मेरा भारत महान।

सुन बात बच्चे की बोले दादू,
सुन मेरे संतान की संतान तुझे सुनाता हूं गौरव गाथा अपने देश की
कैसे है मेरा भारत महान
बहुत समृद्ध है जिसका इतिहास,
तैमूर,गौरी,बाबर खिलजी,क्लाइव ,पड़ोसियों ने
जिसे लूटने का किया अथक प्रयास,
न झुका ,न थका , गिरा फिर खड़ा हो, वापस पाया अपना सम्मान
ऐसा है मेरा देश महान।

दिया जिसने शून्य,आयुर्वेद का ज्ञान,
जन्मे जहां बुद्ध,नानक, मुनि जैन, गुरु चाणक्य, और सम्राट अशोक
महान वो देश मेरा है महान।
पूरब खड़ा है बंगाल, पश्चिम कच्छ,दक्षिण सागर सम्राट
और उत्तर में खड़ा हिमालय जिसकी शान में अपना सीना तान,
वो मुल्क मेरा है महान।

जिस देश की आज़ादी पर एक महात्मा ने सब कर दिया बलिदान,
जिस देश के खतिर आज़ाद ,दत्त ,भगत भी हो गए कुर्बान
वो देश मेरा है महान।
तिलक,बोस ,नेहरू,अम्बेडकर हैं जिस मुल्क की शान
जहां धरती पुत्र ने दिया नारा जय जवान जय किसान, वो देश मेरा है महान ।

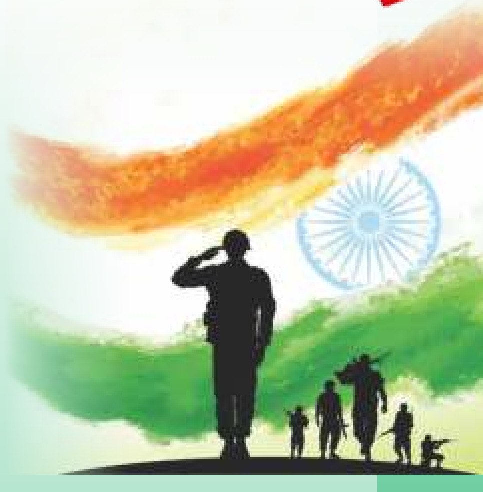

जहां की मिट्टी है खास
विभिन्नता में बसती है अभिन्नता,
जहाँ दीवाली में है अली और राम से है रमजान
वो भारत देश है महान।
हो चाहे सैन्य क्षमता, चाहे हो विज्ञान
अब तो विश्व श्रेष्ठ भी मान रहे हमारा योगदान,
ड्रैगन भी अब झुक कर दे रहा हमें सम्मान
तो कैसे नहीं मेरा भारत महान।

न सोचो हमें क्या मिला देश
से ये सोचो क्या नहीं दिया देश ने,
आजाद हो, महफूज़ हो ,सशक्त हो
क्या नही दिया मेरे मुल्क ने ।
मानो अपने देश का एहसान
और नहीं दे सकते कुछ तो करो थोड़ा सम्मान, क्योंकि,
अपना भारत था ,है ओर रहेगा हमेशा महान।

सिद्धार्थ गुप्ता
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय
दिल्ली

चंद्रयान 3 : चाँद पर भारत

मुकुल व्यास, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ

कौन कहता है आसमाँ में सुराख नहीं हो सकता,

एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों॥

भारत द्वारा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर उक्त पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक प्रतीत होती हैं। हमारा देश विज्ञान में दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। आज भारत अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों को भी विज्ञान के क्षेत्र में चुनौती दे रहा है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण 23 अगस्त 2023 का दिन था, जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली । यह खबर आते ही हमारा देश चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। हालांकि हमारे देश ने इससे पहले भी चाँद तक पहुँचने का सफर शुरू किया था लेकिन वह सफर पूरा नहीं हो सका । इसरो ने लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर लगभग 70 डिग्री दक्षिण के अक्षांश पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन इसरो की यह कोशिश सफल नहीं हो पाई थी। उस समय चंद्रयान का लैंडर विक्रम चाँद की सतह से टकरा गया था और चंद्रयान 2 मिशन असफल हो गया । इस विफलता से वैज्ञानिकों को भारी दुख पहुंचा था लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। वह लगातार प्रयास करते गए और आखिरकार उनका प्रयास चंद्रयान 3 के रूप में सफल हुआ। अब चंद्रयान 3 की सफलता ने यह तय कर दिया है कि भारत चंद्रमा की सतह पर एक नया इतिहास रचेगा।

चंद्रयान 3 भारत का एक ऐसा महत्वाकांक्षी मिशन है जिससे चंद्रमा की सतह से जुड़ी कई सारी जानकारियां हासिल होंगी। इस मिशन का सारा श्रेय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को जाता है। चंद्रयान 3 जैसे महत्वपूर्ण मिशन को इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लांच किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि कैसे चंद्रयान चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करेगा। लांचिंग और लैंडिंग के बीच 40 दिनों का समय था। इस चंद्रयान 3 को बनाने में पूर्ण रुप से पूर्ण रुप से भारतीय तकनीक इस्तेमाल की गई है। इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन को सफल बनाने के लिए दिन-रात जुटे रहे। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लांच होने की हरी झंडी मिली थी। जैसे चंद्रयान 2 में एक लैंडर और एक रोवर था। ठीक उसी प्रकार चंद्रयान 3 में भी एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। इसी के साथ इस बार लैंडर और रोवर के साथ एक

आर्बिटर भी रखा गया है। तीनों चीजों का अपना अलग महत्व है। लैंडर का काम होगा यान को सफलतापूर्वक तरीके से चांद पर उतारना। रोवर चांद की सतह पर रहकर काफी सारी चीजों की खोज करेगा। तो वहीं आर्बिटर यह अध्ययन करेगा कि चांद पर किस तरह का वातावरण है। चंद्रयान 3 पूरी तरह से भारतीय तकनीक से बनकर तैयार हुआ है। चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव हिस्से पर लैंड हुआ।

चंद्रयान 3 भारत का सबसे प्रत्याशित मिशन था। इससे पहले 2019 में चंद्रयान 2 की असफलता के बाद चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रयास किए जा रहे थे और आखिरकार दक्षिणी ध्रुव सतह पर भारत ने अपना झंडा फहरा ही दिया।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने साल 2008 में अपना पहला अंतरिक्ष यान चाँद पर भेजा था। यह यान भारत का पहला मानवरहित यान माना गया था। इस यान को रॉकेट की मदद से चाँद पर भेजा गया था। चंद्रयान 1 की अवधि 6 माह और 10 दिन चली थी। इस मिशन का उद्देश्य चाँद पर पानी के अंश और हीलियम का पता लगाना था। भारत ने दूसरा इतिहास तब रचा जब भारत ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने का फैसला किया। इतने लंबे अंतराल के बाद भारत की फिर से उम्मीदें जगीं। भारत के वैज्ञानिकों ने पूरे चंद्रयान 2 को बनाने में किसी भी विदेशी तकनीक की सहायता नहीं ली। चंद्रयान 2 में शामिल था एक ऑरबिटर, एक रोवर एवं एक लैंडर। 22 जुलाई 2019 को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा रेंज से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन के तहत चंद्रयान 2 ने अंतरिक्ष में 47 दिनों का सफर तय किया था। भारत इतिहास रचने की राह पर था। लेकिन इससे पहले कि यह मिशन पूरा हो पाता, इसरो का लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। दरअसल लैंडर विक्रम चांद की सतह से टकराने के कारण क्रैश हो गया था। और आखिरकार चंद्रयान 2 मिशन कामयाब नहीं हो पाया।

चंद्रयान 3 से भारत को कई लाभ होंगे। चंद्रयान 3 भारत के चंद्र कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना है। चंद्रयान 3 के माध्यम से वैज्ञानिक, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी तथा बर्फ की उपस्थिति, चंद्रमा की सतह, उसकी संरचना, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और चंद्रमा के वायुमंडल का अध्ययन करेंगे । चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने के लिए 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। चंद्रयान 3 का रोवर वैज्ञानिकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा जो वैज्ञानिकों को चाँद पर होने वाली हर गतिविधियों के बारे में जानकारी देगा। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का श्रेय वीइकल मार्क 3 सेटेलाईट को जाता है। चंद्रमा के साउथ पोल को डार्क साइड ऑफ मून कहकर पुकारा जाता है। चाँद का साउथ पोल आज भी दुनिया के लिए रहस्य है। चन्द्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा पर अनेक प्रकार के संसाधनों की खोज करना संभव होगा।

दक्षिणी द्रुव के समीप चंद्रमा की लैंडिंग को महत्वपूर्ण माना गया है। ऐतिहासिक रूप से चंद्रमा के लिये अंतरिक्ष यान मिशनों ने मुख्य रूप से भूमध्यरेखीय क्षेत्र को उसके अनुकूल भूखंड और परिचालन स्थितियों के कारण लक्षित किया है। हालाँकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव भूमध्यरेखीय क्षेत्र की तुलना में काफी अलग और अधिक चुनौतीपूर्ण भू-भाग है। कुछ ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश दुर्लभ है जिसके परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में हमेशा अंधेरा रहता है वहाँ तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। सूर्य के प्रकाश की कमी के साथ अत्यधिक ठंड उपकरणों के संचालन एवं स्थिरता के लिये कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अत्यधिक विपरीत स्थितियाँ प्रदान करता है जो मनुष्यों के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न करता है लेकिन यह उन्हें प्रारंभिक सौरमंडल के बारे में बहुमूल्य जानकारी का संभावित भंडार भी बनाता है। इस क्षेत्र का पता लगाना महत्त्वपूर्ण है जो भविष्य में गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण को प्रभावित कर सकता है।

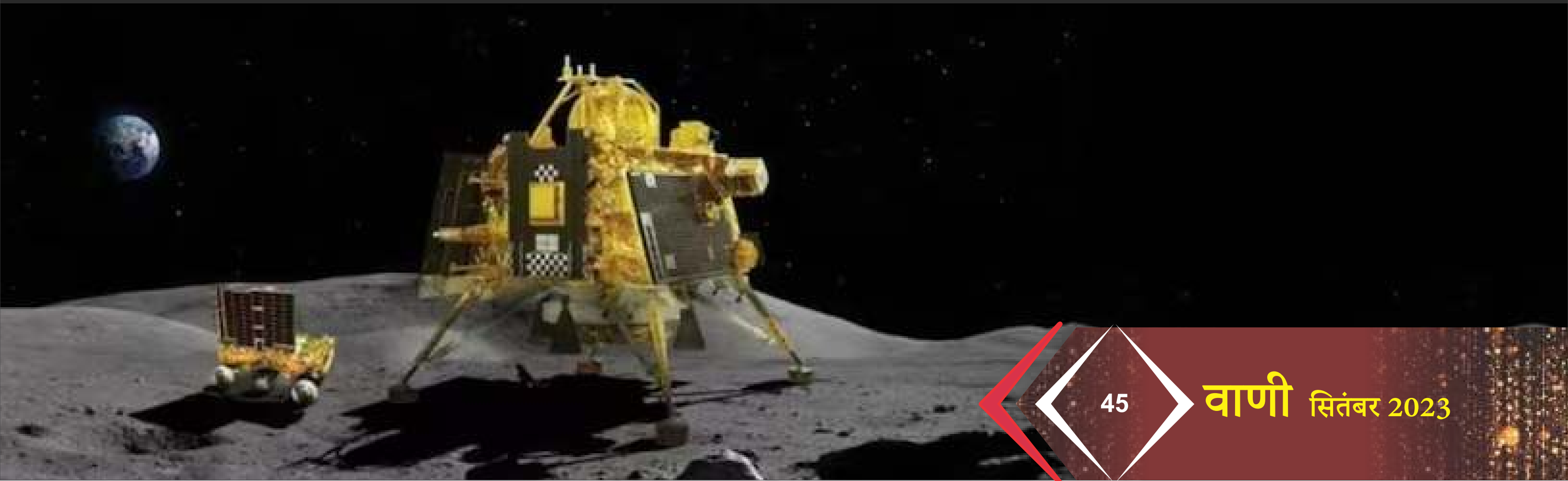

सफलता के नए मानक गढ़ते अजय बंगा

शुभम दीक्षित, प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यालय

जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि हम प्रवासी भारतीय स्तम्भ के माध्यम से आपकी मुलाक़ात भारतीय मूल के उन लोगों से करवाते आए हैं जिन्होंने वैश्विक पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है । ऐसे लोग जो आजीवन अपने देश तथा मानव कल्याण के लिये साधनारत रहे । इस क्रम में हम आज आपका परिचय विश्व बैंक समूह के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री अजयपाल सिंह बंगा से करवाने जा रहे हैं । अजय बंगा ने दिनांक 03 मई 2023 को विश्व बैंक के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है । लेकिन अजय बंगा जी के बारे में चर्चा करने पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं विश्व बैंक की कार्यशैली पर ।

विश्व बैंक समूह जो कि विश्व बैंक एक सहकारी संस्था की तरह है, मुख्य रूप से 189 सदस्य देशों का समूह है । इन सदस्य देशों, या शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है, जो विश्व बैंक में अंतिम नीति निर्माता हैं । आम तौर पर, गवर्नर सदस्य देशों के वित्त मंत्री या विकास मंत्री होते हैं । वे वर्ष में एक बार विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर बोर्ड की वार्षिक बैठक में मिलते हैं । विश्व बैंक समूह का अध्यक्ष विश्व बैंक समूह का प्रमुख होता है जिसके ऊपर निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने और विश्व बैंक समूह के समग्र प्रबंधन का दायित्व होता है । अध्यक्ष पद के लिए नामांकित व्यक्ति का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है जिसका नवीकरण कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा पुष्टि के अधीन होता है । परंपरागत रूप से, विश्व बैंक समूह का अध्यक्ष हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नामित एक अमेरिकी नागरिक होता है, जो बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है ।

अजय बंगा जो कि एक भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेस एक्जीक्यूटिव हैं का जन्म का जन्म 10 नवंबर, 1989 को पुणे, महाराष्ट्र के खड़की छावनी में एक सैनी सिख परिवार में हुआ था । उनका परिवार मूल रूप से पंजाब के जालंधर का रहने वाला है । उनके पिता, हरभजन सिंह बंगा लेफ्टिनेंट-जनरल के पद से सेवानिवृत्त सम्मानित अधिकारी हैं । जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएँ दीं थीं । उनकी माता का नाम श्रीमती सजवंत कौर है । कई उच्च पदों पर कार्य कर चुके अजय बंगा के बड़े भाई मनविंदर सिंह बंगा यूके गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स (यूकेजीआई) के अध्यक्ष हैं, जो कि यूके सरकार की शासन और कॉर्पोरेट वित्त एक शाखा है । अजय बंगा के बड़े भाई मनविंदर सिंह बंगा को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक, पद्म भूषण प्राप्त हो चुका है ।

अजय बंगा की शुरुआती शिक्षा सेंट एडवर्ड स्कूल, शिमला, और हैदराबाद के हैदराबाद पब्लिक स्कूल में हुई । अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में कला स्नातक (ऑनर्स) की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की । अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद अजय बंगा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आइआइएम- ए) से प्रबंधन में पीजीपी की उपाधि अर्जित की ।

अजय बंगा ने अपने व्यवसायिक करियर की शुरुआत सन 1981में नेस्ले में एक प्रबंधन प्रशिक्षु (मैनेजमेंट ट्रेनी) के रूप में की थी और आगामी 13 सालों तक बिक्री, विपणन और सामान्य प्रबंधन जैसे कई पदों पर काम करते हुए बिताए। बाद में वे पेप्सिको में शामिल हो गए और भारत में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ ही पिज़्ज़ा हट और केएफसी सहित इसकी अंतरराष्ट्रीय फास्ट फूड फ्रेंचाइजी के में काम किया ।

1996 में, अजय बंगा ने सिटीग्रुप में अपना करियर आगे बढ़ाया । सिटी ग्रुप में उन्होंने प्रशिक्षक व कुछ समय के लिए ऋण संग्रहकर्ता के रूप में कार्य किया । उन्होंने 2000 से 2002 तक सिटीफाइनेंशियल और यूएस कंज्यूमर एसेट्स डिवीजन का नेतृत्व किया । 2005 से 2008 तक वह सिटी के इंटरनेशनल ग्लोबल कंज्यूमर ग्रुप के मुख्य कार्यकारी थे, जिसमें उत्तरी अमेरिका के बाहर सभी क्रेडिट कार्ड और उपभोक्ता बैंकिंग परिचालन शामिल था ।

सिटीग्रुप में शीर्ष प्रबन्धन स्तर के पदों पर कार्य करते हुए अजय बंगा ने दुनिया भर में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में सिटी ग्रुप के रणनीति निर्माता खंड का नेतृत्व भी किया। इसी बीच अजय बंगा को 2007 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो गई।

2008 में, अजय बंगा बैंक के एशिया-प्रशांत व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने। इस स्तर पर काम करते हुए उन्होंने 2008 में सिटीग्रुप के एशियाई परिचालन के एक बड़े पुनर्गठन का नेतृत्व किया, जिससे क्षेत्रीय प्रमुखों को बैंक की उत्पाद श्रृंखला ने नई ऊँचाइयाँ प्राप्त कीं। ये उनकी मेहनत, लगन तथा जज्बे का ही परिणाम था कि अजय बंगा सन 2008 में सिटीग्रुप से लगभग 10मिलियन डॉलर का वेतन पा रहे थे जो उस वर्ष किसी भी फर्म के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वेतन के मामले में सर्वाधिक था। अजय बंगा ने सन 2009 तक सिटी ग्रुप के साथ काम किया तथा बेहतर संभावनाओं की तलाश में और आगे निकल गए।

अपने करियर के अगले पड़ाव में मास्टरकार्ड ने अप्रैल 2010 में अजय बंगा को अपने मुख्य परिचालन अधिकारी के पद से पदोन्नत करके 1 जुलाई 2010 से मास्टरकार्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक मंडल का सदस्य बनने की घोषणा की, जो कि लगभग 24,000 कर्मचारियों वाले वैश्विक संगठन है। अजय बंगा ने रॉबर्ट डब्ल्यू. सेलैंडर का स्थान लिया, जो मार्च 1997 से लेकर 2010 तक मास्टरकार्ड में बतौर सीईओ के पद पर कार्यरत थे। मास्टर कार्ड द्वारा उनके पहले वर्ष के लिए, उन्हें वेतन के रूप में $13.5 मिलियन का भुगतान किया गया। उनके नेतृत्व में, मास्टरकार्ड ने समावेशी विकास केंद्र की शुरुआत की, जो दुनिया भर में न्यायसंगत और टिकाऊ आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाता है। अपने कार्यकाल के दौरान, बंगा ने मास्टरकार्ड के राजस्व को तीन गुने तक पहुंचा दिया। मास्टरकार्ड की शुद्ध आय छह गुना बढ़ गई और बाजार पूंजीकरण $30 बिलियन से बढ़कर $300 बिलियन से अधिक हो गया। मास्टरकार्ड में अपने कार्यकाल के दौरान अजय बंगा ने 2020 में अनमोल ग्रह गठबंधन के निर्माण की घोषणा की। यह फॉरेस्ट रीस्टोरेशन संगठन लगभग 100 फर्मों का एक समूह है जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कॉर्पोरेट स्तर पर निवेश की कवायद करता है। इस समूह ने 100 मिलियन पेड़ लगाने प्रतिज्ञा ली है।

विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए फरवरी 2015 में, राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बंगा को व्यापार नीति और वार्ता के लिए राष्ट्रपति की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। इसी बीच अजय बंगा को जून 2018 में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आइसीसी) के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। आगे चल कर सन 2020 में अजय बंगा को पॉल पोलमैन के स्थान पर इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आइसीसी) का अध्यक्ष चुना गया। 1 जनवरी, 2022 को बंगा ने जनरल अटलांटिक में उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली। जनरल अटलांटिक से वह 31 दिसंबर, 2021 को सेवानिवृत्त हुए। वह नीदरलैंड स्थित निवेश होल्डिंग कंपनी एक्सोर के अध्यक्ष और 2020 के चुनावों के बाद से अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मध्य अमेरिका के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अध्यक्ष एवं मध्य अमेरिका के लिए पार्टनरशिप के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बाहरी सलाहकार रहे हैं। सलाहकार के रूप में उन्होंने व्यापारिक नेताओं के एक समूह का नेतृत्व किया है, जिन्होंने उन्हें अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास में प्रशासन के काम पर सलाह दी है। इन सभी दायित्वों के साथ ही अजय बंगा ने अमेरिकन रेड क्रॉस, क्राफ्ट फूड्स और डॉव इंक आदि के बोर्ड में रहते हुए भी अहम निर्णयों में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है।

इन्टरनेट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अजयपाल सिंह बंगा की कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो उनकी अनुमानित निवल मालियत $215 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। इसके अलावा उनके पास $211,357,987 मूल्य का मास्टरकार्ड स्टॉक है। जिनकी 81,533 से भी अधिक इकाइयां उन्होंने मास्टर स्टॉक के सीईओ के रूप में कमाई हैं। अजय बंगा को 'सबसे शक्तिशाली भारतीय' लिस्ट में दुनिया में चौथे नंबर पर चुना जा चुका है। इंडो-अमेरिकन्स में खास पहचान रखने वाले अजय अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के जॉइंट प्रेसिडेंट हैं। वे विदेश नीति संघ और वित्तीय सेवा गोलमेज सम्मेलन के भी मेंबर हैं। साथ ही वे विदेश संबंध परिषद (फ़ॉरेन रिलेशन काउंसिल) और न्यूयॉर्क आर्थिक क्लब (इकोनमिक क्लब ऑफ न्यू यॉर्क) के भी सदस्य भी हैं।

23 फरवरी, 2023 को, बंगा को विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा नामित किया गया था। 3 मई, 2023 को, विश्व बैंक ने अजय बंगा को अपने चौदहवें अध्यक्ष के रूप में पुष्टि की, और 2 जून, 2023 को उनका कार्यकाल शुरू हुआ। वह वर्तमान में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष हैं। अजय बंगा यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल (USIBC) के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो भारत में निवेश करने वाली 300 से अधिक सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है।

अजय बंगा साइबर रेडीनेस इंस्टीट्यूट के सह-संस्थापक हैं और इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हें 2012 में फॉरेन पॉलिसी एसोसिएशन मेडल, 2016 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री पुरस्कार, 2019 में एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर और बिजनेस काउंसिल फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड और वर्ष 2021 में सिंगापुर पब्लिक सर्विस स्टार के प्रतिष्ठित मित्रों जैसे उपाधियों से सम्मानित किया गया है।

श्री अन्न वर्ष : 2023

निशा कुमारी, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा

खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष 2023 को श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज या पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है । मोटे अनाज या 'मिलेट्स' में विशेष पोषक गुण (प्रोटीन, आहार फाइबर, सूक्ष्म पोषक तत्वों और एंटीऑक्सिडेंट से समृद्ध) पाए जाते हैं और ये विशेष कृष्य या शस्य विशेषताएँ (जैसे सूखा प्रतिरोधी और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के लिये उपयुक्त होना) रखते हैं ।

भारत में दो वर्गों के मोटे अनाज उगाए जाते हैं । प्रमुख मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी शामिल हैं, जबकि गौण मोटे अनाज में कंगनी, कुटकी, कोदो, वरिगा/पुनर्वा और साँवा शामिल हैं ।

भारत की 'मिलेट क्रांति' मोटे अनाजों के स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ-साथ पारंपरिक कृषि अभ्यासों को पुनर्जीवित करने तथा छोटी उपज के किसानों को समर्थन देने के प्रयासों से प्रेरित है। इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और सतत कृषि को बढ़ावा देने की देश की दोहरी चुनौतियों के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

मोटे अनाज को महत्त्वपूर्ण 'पोषक अनाज' क्यों माना जाता है :

जलवायु-प्रत्यास्थी प्रधान खाद्य फसलें:

मोटे अनाज सूखा प्रतिरोधी होते हैं तथा कम जल की आवश्यकता रखते हैं व कम पोषक मृदा दशाओं में भी उगाए जा सकते हैं। यह विशेषताएँ उन्हें अप्रत्याशित मौसम पैटर्न और जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिये एक उपयुक्त खाद्य फसल बनाता है ।

पोषक तत्वों से भरपूर:

मोटे अनाज फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों के अच्छे स्रोत होते हैं।

ग्लूटेन-फ्री:

मोटे अनाज प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन-फ्री या लस मुक्त होते हैं, जो उन्हें सीलियेक रोग वाले लोगों के लिये उपयुक्त खाद्य अनाज बनाते हैं।

अनुकूलन योग्य:

मोटे अनाज को विभिन्न प्रकार की मृदा और जलवायु दशाओं में उगाया जा सकता है, जिससे वे किसानों के लिये एक बहुमुखी फसल का विकल्प उपलब्ध करवाते हैं ।

संवहनीय:

मोटे अनाज प्रायः पारंपरिक कृषि विधियों का उपयोग कर उगाये जाते हैं, जो आधुनिक, औद्योगिक कृषि पद्धतियों की तुलना में अधिक संवहनीय तथा पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल हैं।

मोटे अनाज का परिचय:

'मिलेट्स' छोटे बीज वाली विभिन्न फसलों के लिये संयुक्त रूप से प्रयुक्त शब्द है जिन्हें समशीतोष्ण, उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क भूभागों में सीमांत भूमि पर अनाज फसलों के रूप में उगाया जाता है।

भारत में उपलब्ध कुछ सामान्य मोटे अनाजों में रागी, ज्वार, समा, बाजरा और वरिगा शामिल हैं ।इन अनाजों के प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं और माना जाता है कि ये खाद्य के लिये उगायी गयी प्रथम फसलों में से एक थे ।

विश्व के 131 देशों में इनकी खेती की जाती है और ये एशिया एवं अफ्रीका में लगभग 60 करोड़ लोगों के लिये पारंपरिक आहार का अंग हैं ।

भारत विश्व में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह वैश्विक उत्पादन में 20% और एशिया के उत्पादन में 80% की हिस्सेदारी रखता है ।

वैश्विक वितरण:

भारत, नाइजीरिया और चीन दुनिया में मोटे अनाज के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, जो वैश्विक उत्पादन में संयुक्त रूप से 55% से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं ।

कई वर्षों तक भारत मोटे अनाजों का सर्वप्रमुख उत्पादक बना रहा था, लेकिन हाल के वर्षों में अफ्रीका में मोटे अनाजों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज़ की गई।

मोटे अनाजों की खेती और उपभोग में वृद्धि के मार्ग की बाधाएँ

मोटे अनाजों के लिये उपलब्ध भूमि-क्षेत्र में गिरावट:

पूर्व में 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि-क्षेत्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती थी, लेकिन अब इसे केवल 15 मिलियन हेक्टेयर भूमि में ही उगाया जा रहा है ।

भूमि उपयोग में बदलाव के कारणों में - कम पैदावार और मोटे अनाजों के प्रसंस्करण से संलग्न समय-साध्य एवं श्रमसाध्य कार्य (जो प्रायः महिलाओं द्वारा किये जाते हैं) जैसे कारक शामिल हैं ।

इसके अतिरिक्त, इनका बहुत कम विपणन किया गया था और इनके एक छोटे भाग को ही मूल्य-वर्धित उत्पादों में संसाधित किया गया था।

वर्ष 2019-20 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास योजना और स्कूली भोजन के माध्यम से मोटे अनाजों का कुल उपयोग लगभग 54 मिलियन टन रहा था।

यदि चावल एवं गेहूँ के 20% को मोटे अनाजों से प्रतिस्थापित करना हो तो देश को 10.8 मिलियन टन मोटे अनाजों की आवश्यकता होगी।

मोटे अनाजों की निम्न उत्पादकता:

पिछले एक दशक में ज्वार के उत्पादन में गिरावट आई है, जबकि बाजरा उत्पादन गतिहीन बना रहा है। रागी सहित कई अन्य मोटे अनाजों के उत्पादन में भी गतिहीनता या गिरावट देखी गई है।

जागरूकता की कमी:

भारत में मोटे अनाजों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में पर्याप्त जागरूकता का अभाव है, जिससे इसकी निम्न मांग की स्थिति बनी हुई है।

उच्च लागत:

मोटे अनाजों के मूल्य प्रायः पारंपरिक अनाजों की तुलना में अधिक होते हैं, जिससे वे निम्न आय वाले उपभोक्ताओं के लिये कम सुलभ होते हैं।

सीमित मात्रा में उपलब्धता:

मोटे अनाज पारंपरिक एवं आधुनिक (ई-कॉमर्स) खुदरा बाज़ारों में व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिये इनकी खरीद कठिन हो जाती है।

स्वाद संबंधी अरुचि:

कुछ लोगों को मोटे अनाज का स्वाद फीका या अप्रिय लगता है और इसलिये इसके उपभोग में अरुचि रखते हैं।

खेती संबंधी चुनौतियाँ:

मोटे अनाजों की खेती प्रायः कम पैदावार और कम लाभप्रदता से संबद्ध है, जो किसानों को इनकी खेती से हतोत्साहित कर सकती है।

चावल और गेहूँ से प्रतिस्पर्द्धा:

चावल और गेहूँ भारत में प्रधान खाद्य अनाज हैं जो व्यापक रूप से उपलब्ध भी हैं। इससे मोटे अनाजों के लिये बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा करना कठिन हो जाता है।

सरकारी सहायता का अभाव:

भारत में मोटे अनाजों की खेती और उपभोग को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त सहायता का अभाव रहा है, जिससे उनका विकास सीमित रह गया है।

सरकार द्वारा की गई पहलें:

राष्ट्रीय मिलेट्स मिशन (एनएमएम) : मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2007 में एनएमएम लॉन्च किया गया।

मूल्य समर्थन योजना : यह मोटे अनाजों की खेती के लिये किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मूल्य-वर्धित उत्पादों का विकास: यह मोटे अनाजों की मांग और उपभोग को बढ़ाने के लिये मूल्य-वर्धित मिलेट-आधारित उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।

पीडीएस में मोटे अनाजों को बढ़ावा : सरकार ने मोटे अनाजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल किया है ताकि इसे आम लोगों के लिये सुलभ और सस्ता बनाया जा सके।

जैविक खेती को बढ़ावा : सरकार जैविक मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने के लिये मोटे अनाजों की जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है।

पर्याप्त सार्वजनिक समर्थन:

पहाड़ी क्षेत्रों और शुष्क मैदानी इलाकों के छोटे किसान (जो ग्रामीण भारत के निर्धनतम परिवारों में शामिल हैं) मोटे अनाजों की खेती के लिये तभी प्रेरित होंगे जब उन्हें इससे अच्छा लाभ प्राप्त होगा।

पर्याप्त सार्वजनिक समर्थन मोटे अनाजों की खेती को लाभदायक बना सकता है, पीडीएस के लिये इनकी आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है और अंततः आबादी के एक बड़े हिस्से को पोषण संबंधी लाभ प्रदान कर सकता है।

जागरूकता और शिक्षा:

मोटे अनाजों और उनके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता की कमी को शिक्षा एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से दूर किया जा सकता है।

उपलब्धता और सुलभता:

बाज़ारों में बाजरा की उपलब्धता में सुधार और उन्हें उपभोक्ताओं के लिये अधिक सुलभ बनाने से उनके उपभोग को बढ़ावा मिल सकता है।

वहनीयता:

मोटे अनाज प्रायः अन्य प्रधान अनाजों की तुलना में अधिक महँगे होते हैं, जिससे वे निम्न आय वाले उपभोक्ताओं के लिये कम सुलभ होते हैं। सरकारी सब्सिडी या बाज़ार के हस्तक्षेप के माध्यम से वहनीयता के मुद्दे को संबोधित कर उपभोग में वृद्धि की जा सकती है।

विचारों में परिवर्तन लाना:

मोटे अनाजों को गरीबों का अनाज मानने की धारणा को विपणन और प्रचार के माध्यम से बदलने की ज़रूरत है।

प्रसंस्करण और मूल्य-वर्धित उत्पाद:

प्रसंस्करण तकनीकों में सुधार और मूल्य-वर्धित मिलेट-आधारित उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि उन्हें उपभोक्ताओं के लिये अधिक आकर्षक बना सकती है।

सहयोग का निर्माण:

किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और विपणन-कर्ताओं के बीच सहयोग के निर्माण से मोटे अनाज की आपूर्ति एवं मांग को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

गुलिस्तां

सीमा रानी, सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना

गुलिस्तां: शेख़ सादी की कहानियां जिन्हें पढ़ना यानी जीवन को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना हैं ।

गुलिस्तां (फ़ारसी : گُلستان , रोमनकृत : गोलेस्तान, शाब्दिक रूप से 'द फ्लावर गार्डन'; [गोलेस्टन]), जिसे कभी-कभी गोलेस्तान भी कहा जाता है, फ़ारसी साहित्य का एक मील का पत्थर है, शायद यह गद्य का सबसे प्रभावशाली काम है। 1258 ईस्वी में लिखा गया, यह फ़ारसी कवि सादी की दो प्रमुख कृतियों में से एक है, जिन्हें सबसे महान मध्ययुगीन फ़ारसी कवियों में से एक माना जाता है। यह उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है, जो पश्चिम के साथ-साथ पूर्व में भी गहरा प्रभाव डालने वाली साबित हुई हैं। गुलिस्तां कविताओं और कहानियों का एक संग्रह है, जैसे फूलों का बगीचा, फूलों का एक संग्रह । इसे ज्ञान के स्रोत के रूप में व्यापक रूप से उद्‌धृत किया जाता है। यह सुप्रसिद्ध कहावत अभी भी पश्चिमी दुनिया में बार-बार दोहराई जाती है, कि किसी के पास जूते नहीं होने से दुखी होना, जब तक कि वह उस आदमी से न मिल जाए जिसके पैर नहीं हैं ।

हज़रत शेख़ सादी शरफ़ुद्दीन शीराज़ (ईरान) के रहने वाले थे, जिसकी वज़ह से उन्हें शीराज़ी कहा जाता है। उनकी उम्र को लेकर अलग अलग मत सामने आते हैं। माना जाता है कि उनकी उम्र 120 साल की रही। इसमें से तीस साल उन्होंने तालीम हासिल करने में, तीस साल दुनिया घूमने में, तीस साल लिखने-पढ़ने और संकलन में गुज़ारे। बचे हुए तीस उन्होंने एकांतवास में बिताए।

अपने परिचय में सादी ने वर्णन किया है कि कैसे एक मित्र ने उसे 21 अप्रैल 1258 को एक बगीचे में जाने के लिए प्रेरित किया। वहाँ मित्र ने शहर वापस ले जाने के लिए फूल एकत्र किए। सादी ने टिप्पणी की कि फूल कितनी जल्दी मर जाएंगे, बहार का ज़माना वफ़ादार नहीं होता। मैं गुलिस्तां की किताब लिख सकता हूं। पतझड़ भी इस किताब का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस तरह गुलिस्तां किताब पूरी हुई। हाल ही में शेख़ सादी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक गुलिस्तां, अनुवाद डॉ नाज़िया ख़ान (मैंड्रेक पब्लिकेशन्स) पढ़ने का मौका मिला। डॉ. नाज़िया ने इसे उर्दू और अंग्रेज़ी से अनुवाद करके पाठकों के लिए प्रस्तुत किया है।

फूलों की थाली तुम्हारे किस काम आएगी?
मेरे पुष्प-बगीचे से एक पत्ता ले लो।
एक फूल पाँच-छः दिन तक टिकता है,
परन्तु यह पुष्प-उद्यान सदैव रमणीय होता है।

यह प्रसिद्ध कविता, गुलिस्तां के अध्याय 1, कहानी 10 का हिस्सा है जिसे एक कालीन में बुना गया है और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र भवन में एक दीवार पर जगह दी गई है:

मनुष्य एक सार और आत्मा के निर्माण में, समग्र के सदस्य हैं।
यदि एक सदस्य दर्द से पीड़ित है, तो अन्य सदस्य असहज रहेंगे।
यदि आपमें मानवीय पीड़ा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है,
तो आप मानव का नाम बरकरार नहीं रख सकते।

गुलिस्तां का प्रणयन सन् 1258 में पूरा हुआ। यह मुख्य रूप से गद्य में लिखी हुई उपदेश प्रधान रचना है जिसमें बीच-बीच में सुंदर पद्य और दिलचस्प कथाएँ दी गई हैं। यह आठ अध्यायों में है जिनमें अलग अलग विषय वर्णित हैं; उदाहरण के लिए एक में प्रेम और यौवन की विवेचन है। 'गुलिस्तां' ने प्रकाशन के बाद से अद्वितीय लोकप्रियता प्राप्त की। वह कई भाषाओं लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, तुर्की, हिंदुस्तानी आदि में अनूदित हो चुकी है।

गुलिस्तां दरअसल छोटी-छोटी नैतिक कथाओं-नसीहतों का संग्रह है । जिसमें जीवन दर्शन छुपा हुआ है। सियासत, बुढ़ापा, ज़िंदगी, इश्क़, ख़ामोशी, सब्र और इत्मीनान और फ़कीरी से जुड़ी तमाम ऐसी कथाएं हैं, जो आपको जीने का ढंग सिखाती हैं। इन कथाओं को पढ़ते हुए आपको यह भी अहसास होगा कि ये हर समय और दौर में प्रासंगिक हैं।

उदाहरण के लिए 'ज़ालिम बादशाह हुकूमत नहीं कर सकता' कथा कहती है कि भेड़िए से गडरिए का काम नहीं लिया जा सकता। जिस बादशाह ने ज़ुल्म करना शुरू कर दिया, उसने मानो अपनी हुकूमत की जड़ ही उखाड़ दी। एक अन्य कथा है, 'आराम की क़ीमत'। इस कथा में एक बादशाह एक गुलाम के साथ नाव में सवार होता है। गुलाम पहली बार नाव में सवारी करने के कारण रोने-चिल्लाने लगता है। एक तजुर्बेकार आदमी कहता है कि हुज़ूर, अगर आप हुक्म दें, तो मैं इसे चुप करा दूं। राजा की सहमति के बाद गुलाम को नदी में फिंकवा दिया जाता है। कुछ देर बाद उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया जाता है। अब वह नाव में एकदम

खामोश बैठ जाता है। तजुर्बेकार आदमी कहता है, इस गुलाम ने पानी में डूबने की तक़लीफ़ पहले नहीं उठाई थी, इसलिए यह नाव में महफ़ूज़ बैठने के आराम को नहीं समझता था। आराम की क़ीमत वही समझता है, जो मुसीबत में रह चुका हो। पुस्तक में अनेक ऐसी कथाएं हैं, जो सियासत, बादशाह और प्रजा के बीच आपसी रिश्तों का खुलासा करती हैं। 'ज़ालिम की गर्दन पर उसका जुल्म' में एक बादशाह किसी क़ैदी को क़त्ल करने का हुक़्म देता है। क़ैदी कहता है, ऐ बादशाह तू जो मुझ पर ज़ुल्म कर रहा है, इसका इल्ज़ाम अपने ऊपर मत ले, तेरी यह सज़ा मेरे ऊपर से एक पल में गुज़र जाएगी, पर उसका इल्ज़ाम तेरे सिर हमेशा रहेगा।' बादशाह को क़ैदी की बात पसंद आती है और वह उसे माफ़ कर देता है। यह जीवन का ऐसा सच है, जो कभी नहीं बदलता। बावजूद इसके यह बात आज भी कुछ 'बादशाह' नहीं समझते। जानवरों को तहज़ीब सिखाने और अंधों के सामने आइना रखना बेवकूफ़ी है, नाक़ाबिल को नसीहत देने से मायूसी ही होगी, जंग खाए लोहे पर कलई करने से वह साफ़ नहीं होगा, बेवकूफ़ को सौ अच्छी नसीहतें भी देगा तो उसे सब मज़ाक ही लगेंगी।

'सूफ़ी कथा' में एक बुज़ुर्ग से लोगों ने पूछा कि सूफ़ी की असली पहचान क्या है, तो जवाब मिला, पहले के ज़माने में ऐसे लोग जो दिखने में बदसूरत होते थे, लेकिन दिल के बहुत साफ़ और नेक होते थे, उन्हें सूफ़ी कहा जाता था। आजकल जिन्हें सूफ़ी कहा जाता है, उनकी शक़्ल सूरत तो अच्छी होती है, लेकिन दिल में मैल होता है।

शेख़ सादी अपनी इन कथाओं में यह भी लिखते हैं कि किसी से रोज़ मिलना मोहब्बत को कम कर देता है। जब सूरज रोज़ देर तक रहता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब सर्दियों में कम दिखाई देता है तो अच्छा लगने लगता है। शेख़ सादी की एक कथा कहती है कि जिस आदमी को लोग उसके मुंह पर साफ़-साफ़ नहीं कहते, वह ज़हालत के मारे अपनी बुराइयों को ही अपनी ख़ूबियां समझने लगता है।

बहुत सी कथाएं आज के दौर पर पूरी तरह फ़िट बैठती हैं। यह अकारण नहीं है कि आज के दौर में कोई भी अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता। क्या यही कारण नहीं है कि बुराइयां ही आज ख़ूबियां बन गई हैं?

जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर गुलिस्तां में कथाएं मिलेंगी। बुढ़ापे पर एक कथा है-बेटा भी बाप होगा। एक दौलतमंद बूढ़ा अपने एक मित्र से कहता है, बहुत वक़्त तक मेरी कोई औलाद नहीं थी। जंगल में एक दरख़्त है, उसके पास लोग मन्नतें मांगने जाते हैं। मैं भी लंबी-लंबी रातों में उसी पेड़ के नीचे बैठकर ख़ुदा के सामने रोया हूं, तब जाकर यह बेटा मिला है। उधर उसका बेटा अपने दोस्तों से कहता है, क्या ही अच्छा होता, अगर मुझे भी उस दरख़्त का पता लग जाता, मैं भी वहीं जाकर दुआ मांगता कि मेरा बाप मर जाए।

कथा अंत में कहती है कि जब तुमने अपने बाप के साथ कोई भलाई नहीं की तो अपनी औलाद से भलाई की उम्मीद रखना नाजायज़ है । यह पिता पुत्र के रिश्तों का बड़ा सच है। साद साहब की कहानियाँ बड़े रोचक ढंग से कई महत्वपूर्ण सीख देती हैं जैसे ज़ालिमों पर रहम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा न सख़्ती अच्छी न नर्मी, अपना राज़ किसी से नहीं कहना चाहिए, दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, गुस्से और घमंड में क्या फ़र्क है, दुश्मनों से चौकन्ना रहना चाहिए, तारीफ़ के झांसे में नहीं आना चाहिए, लालच कभी पूरा नहीं होता, जो जल्दी हासिल होता है वह देर तक नहीं टिकता, ख़ुद को बड़ा नहीं समझना चाहिए, बदमाशों से लगाव नहीं रखना चाहिए, हुनर की क़द्र करनी चाहिए ।ऐसी तमाम कथाएं गुलिस्तां में मौज़ूद हैं, जो हमें जीने की राह भी दिखाती हैं और जीवन दर्शन भी समझाती हैं ।

शेख़ सादी की ये नसीहतें आज भी इसिलए प्रासंगिक हैं क्योंकि हम इन नसीहतों पर अमल नहीं करते, जो अमल करते हैं वे इनकी अहमियत जानते हैं। गुलिस्तां को पढ़ना जीवन को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना है।

क्यों पढ़ें?

छोटी-छोटी नैतिक कथाओं और नसीहतों का यह गुलिस्तां आपको जीवन जीने का ढंग सिखाएगा। यह किताब आपको बहुत ही रोचक और आसान तरीक़े से जीवन का फ़लसफ़ा सिखाती है। इसकी कहानियां बच्चों को भी पढ़कर सुनानी चाहिए।

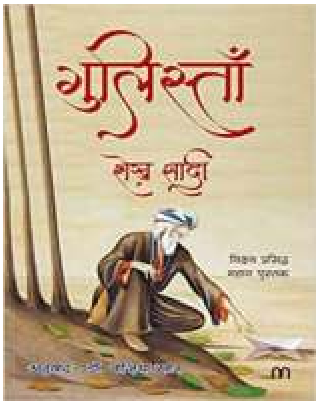

लेखक	:	शेख़ सादी
प्रकाशक	:	मैंड्रेक पब्लिकेशन्स
अनुवाद	:	डॉ. नाज़िया
मूल्य	:	रु. 225 (पेपर बैक)

शब्द शब्दांतर

शब्द	उच्चारण	उद्भव	अर्थ
Glissade	Gluh-sayd	फ्रेंच	फिसलना
Enervate	En-uh-vayt	लैटिन	कष्टप्रद
Auberge	Oh-beuhzh	फ्रेंच	सराय, मुसाफिरखाना
Convivium	Kuhn-viv-ee-uhm	लैटिन	दल
Cavort	Kuh-vawt	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	उछलना
Verdure	Vuh-juh	लैटिन	सब्ज़ी/ हरापन/ हरियाली
Galore	Ga-lore	आयरिश	बहुतायत/ प्रचुर मात्रा में
Dacker	Dack-er	प्राचीन जर्मन	थका देना
Reverence	Reh-vuh-ruhns	लैटिन	श्रद्धा/ आदर
Seriatim	Seer-ee-ay-tim	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	गंभीरता से
Curmudgeon	Kuh-muh-jn	फ्रेंच	कंजूस/कृपण
Retrospection	Reh-truh-spek-shn	लैटिन	सिंहावलोकन
Panacea	Pan-uh-see-uh	ग्रीक	सर्वरोगहारी
Concatenation	Kuhn-ka-tuh-nay-shn	लैटिन	जोड़ना/ कड़ी
Arcane	Aa-kayn	लैटिन	रहस्यमय
Macabre	Muh-kaa-bruh	प्राचीन फ्रेंच	भयंकर
Bloviate	Bloh-vee-eyt	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	फूलना
Lekker	Leck-er	अफ्रिकन	स्वादिष्ट
Coriaceous	Kawr-ee-ey-shuhs	लैटिन	चमड़े जैसा

द्रोहित शिवहरे
सहायक प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय
भोपाल

राजभाषा उत्सव : 2023

प्रेमचंद गुप्ता, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय गोवा

उद्घाटन सत्र :

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा महाराष्ट्र के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी पुणे में बालेवाड़ी स्थित श्री शिव छत्रपति खेल परिसर में दो दिवसीय हिन्दी दिवस 2023 एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। पुणे में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों, बैंकों के हिंदी अधिकारी और हिंदी सेवा तथा भारतीय भाषा के विद्वान वक्ता, शासन-प्रशासन, मीडिया एवं सिनेमा से जुड़ें विचारकों एवं लेखकों ने इस सम्मेलन में शामिल हुए जो विभिन्न सत्रों में विभिन्न विषयों पर अपने ओजस्वी विचार व्यक्त किए।

तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र में राज्य सभा के उप सभापति श्री हरिवंश, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा, केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार, एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा, रामचन्द्र जांगड़ा, सांसद राज्य सभा, लोकसभा सांसद एवं संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री भर्तृहरि महताब, तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय के राजभाषा सचिव सुश्री अंशुली आर्या, संयुक्त सचिव, सुश्री मीनाक्षी जौली तथा मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य विभूतियों एवं देश के हर कोने से पधारे भारत सरकार के विभिन्न संस्थाओं एवं बैंकों से पधारे शीर्षस्थ अधिकारियों एवं राजभाषा कर्मियों की उपस्थिति में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तथा मंचासीन विभूतियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया।

साथ ही यहाँ हॉल में विभिन्न प्रकाशनों, बैंकों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनियां दर्शनीय थीं। इसका माननीय मंत्री गण एवं अन्य गणमान्य अतिथियों तथा अन्य हिन्दी प्रेमियों द्वारा इसका अवलोकन भी किया गया। इस प्रदर्शनी में इण्डियन ओवरसीज बैंक ने भी अपना स्टॉल लगाया था, जिसमें बैंक द्वारा प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाओं, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित क्षेत्रीय सहायिका पुस्तिकाओं, प्रशिक्षण सामग्री तथा बैंक उत्पाद से संबंधित विभिन्न उत्पाद सामग्रियों को प्रदर्शित किया गया था।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का हिन्दी दिवस पर विडियो संदेश प्रसारित किया गया। माननीय गृह मंत्री जी ने अपने संदेश में कहा कि भारत, विविध भाषाओं का देश रहा है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम 'हिंदी' है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से वैश्विक मंचों तक उचित सम्मान मिला। हिंदी एक जनतांत्रिक भाषा रही है, इसने अलग-अलग भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ-साथ कई वैश्विक भाषाओं को सम्मान दिया है और उनकी शब्दावलियों, पदों और व्याकरण के नियमों को अपनाया है किसी भी देश की मौलिक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषा में ही की जा सकती है।

विमोचन की श्रृंखला में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक गृह पत्रिका राजभाषा भारती के विशेष अंक स्मारिका का विमोचन मंचासीन विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया गया। डीआरडीओ द्वारा प्रकाशित पुस्तक अतुल्य कलाम, हिन्दी शब्द सिंधु के दूसरे अंक का डिजिटल विमोचन किया गया। हिन्दी शब्द सिंधु के पहले अंक को 51 हजार शब्दों के साथ लोकार्पण किया गया था तथा इसके दूसरे संस्करण को 3 लाख 51 हजार साथ लोकार्पण किया गया। इसमें 14 भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्द शामिल हैं। राजभाषा विभाग और सी-डैक के साझा प्रयासों से तैयार कंठस्थ 2.0 तथा ई-ऑफिस के इन्टीग्रेशन का डिजिटल विमोचन किया गया। जिसका विशेष लाभ यह होगा कि उपयोगकर्ताओं को किसी अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर गए वगैर त्वरित अनुवाद प्राप्त हो जाएगा जिससे उन्हे टिप्पण एवं प्रारूपण हिन्दी में लिखने में तथा कार्यालयों को पेपर रहित बनाने में मदद मिलेगा। राजभाषा विभाग द्वारा तैयार वर्तमान राजभाषा नियम पुस्तिका का विमोचन किया गया जिसमें 31 जुलाई 2023 तक के जारी आदेश, निर्देश एवं सूचनाएं इसमें शामिल है। इसका पिछला संस्करण 1996 में तैयार किया गया था। इसी के साथ केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा द्वारा तैयार 2 पुस्तकों हिन्दी मराठी अध्येता कोश तथा हिन्दी मराठी लोक साहित कोश का विमोचन किया गया। हिन्दी के वर्चस्व को उजागर करने एवं प्रेरित करने वाली 75 कविताओं और गीतों का संग्रह है जिसका शीर्षक है "नागरी निराली" जिसमें रचनाकारों की उत्कृष्ट रचनाएं शामिल है, जिसका संपादन श्रीमती आशा त्रिपाठी "क्षमा" जी ने किया है जो डीआरडीओं में वैज्ञानिक तथा वायुसेना अध्यक्ष के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।

वर्ष 2022-23 के राजभाषा पुरस्कार :

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारत सरकार के बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/सोसायटी, राष्ट्रीयकृत बैंकों (केवल मुख्यालयों) को तथा उनके द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के

रूप में मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण द्वारा पुरस्कार विजेता संस्था के शीर्षस्थ अधिकारियों को शील्ड प्रदान किया गया।

इण्डियन ओवरसीज बैंक को कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके साथ ही गृह पत्रिकाओं के लिए भी इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका वाणी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह दोनों पुरस्कार बैंक के प्रबंध निदेशक व सीईओ श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा के कर कमलों से ग्रहण किया। इण्डियन ओवरसीज बैंक के लिए यह एक अद्भुत क्षण था इससे पूरा राजभाषा परिवार आह्लादित है। इण्डियन ओवरसीज बैंक हमेशा से राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध रहा है साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने तथा अपने बैंक कर्मियों को क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने के लिए राजभाषा अधिकारियों की मदद से आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी 22 भाषाओं में सहायिका पुस्तक का प्रकाशन किया है तथा इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपना हर संभव योगदान दिया है। उल्लिखित सहायिका के रूप में प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन इसी सम्मेलन में इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा लगाए गए स्टाल पर बैंक के प्रबंध निदेशक व सीईओ श्री अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया तथा क्षेत्रीय कार्यालय गोवा द्वारा प्रकाशित कोंकणी सहायिका का विमोचन माननीय राजभाषा सचिव सुश्री अंशुली आर्या, मुख्य प्रबंधक एवं मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री कृष्ण कुमार गुप्ता तथा राजभाषा अधिकारी श्री प्रेमचंद गुप्ता द्वारा किया गया।

माननीय मंत्रीगण के उद्बोधन

पुरस्कार वितरण समारोह के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती भारती पवार ने अपने उद्बोधन में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता : निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।। को उद्धृत करते हुए कहा कि मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है साथ ही अपनी भाषा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

राजभाषा के संबंधों में अपने प्रेरक उद्बोधन एवं सम्बोधन के माध्यम से माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी ने हिन्दी दिवस के अवसर पर समस्त जनों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा की गए कठिन प्रयासों की सराहना करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग, जिन्होंने अपने अलग-अलग क्रियाकलापों से न केवल राजभाषा बल्कि अन्य सभी भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी का सामंजस्य हो सके। इस दृष्टि से बहुत ही परिश्रम किया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी दिये हैं।

अंत में संयुक्त सचिव डॉ मीनाक्षी जौली, राजभाषा विभाग, भारत सरकार गृह मन्त्रालय ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में मंचासीन समस्त मंत्रीगण एवं विशिष्ट अतिथियों का आभार प्रकट किया साथ ही बैंकों, उपक्रमों, भारत सरकार के अन्य संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों, राजभाषा विभाग, भारत सरकार के अधिकारियों सहित सभागार में उपस्थित सभी हिन्दी विद्वत जनों का धन्यवाद तथा आभार प्रकट किया और इस धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही इस सत्र का समापन हुआ।

राजभाषा @ 2047 : विकसित भारत की भाषायी परिदृष्य (आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सहित)

उक्त विषय पर प्रोफेसर गिरीश नाथ झा, अध्यक्ष वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, संसद सदस्य राज्यसभा श्रीमान राकेश सिन्हा, श्री सुजीत कुमार, संसद सदस्य राज्य सभा तथा राज्य सभा के सभापति श्री हरिवंश ने अपने प्रखर एवं प्रेरक विचार रखे।

प्रोफेसर गिरीश नाथ झा जी ने अपने सम्बोधन में राजभाषा @ 2047 : विकसित भारत की भाषायी परिदृष्य पर विचार रखते हुए कहा कि वर्ष 2047 में एक सशक्त भारत की पहचान हमारी हिन्दी होगी। उच्च शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगी। सस्ती ई-लर्निंग टेक्नोलॉजी होगी तथा अपना डेटा सेंटर होगा। संस्कृत आधारित सशक्त सर्वसमावेशी हिन्दी होगी, संस्कृत का आधार पकड़कर रखना होगा क्योंकि इसके अनेक लाभ है। अखिल भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली में हमें तेजी से प्रगति करनी होगी, भाषा प्रौद्योगिकी का हमें सभी भाषाओं के लिए विकास करना पड़ेगा तथा संस्कृत आधारित शब्दावली एवं व्याकरण का प्रयोग करने पर बल दिया।

नराकास: राजभाषा कार्यान्वयन का प्रभावी मंच

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने अपने सम्बोधन में कहा कि हम सभी नराकास की महत्ता एवं प्रभाव से भलिभांति अवगत हैं। नराकास राजभाषा कार्यान्वयन के लिए अपने सदस्य कार्यालयों में न केवल सशक्त मंच प्रदान करता है बल्कि सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन में आ रही कठिनाईयों का समुचित समाधान भी कर रहा है। किसी भी देश का विकास तभी संभव हो सकता है जब उसके पास अपनी सशक्त भाषा हो। भाषा केवल विचारों की संवाहिका ही नहीं अपितु भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है, इसलिए अभिव्यक्ति हेतु सशक्त भाषा का होना बेहद जरूरी होता है। हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 75 वें स्वतंत्रता दिवस

के अवसर पर अपने भाषण में सभी देशवासियों से अपनी विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया था। हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हमारे देश की विरासत है। उनके उत्तरोत्तर प्रगति से देश का विकास होगा और वैश्विक स्तर पर हमारी भाषाओं का सम्मान भी बढ़ेगा। इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों का भी जिक्र किया साथ ही राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की।

श्री आरिफ़ मोहम्मद खान- माननीय राज्यपाल केरल ने राजभाषा हिन्दी के कार्यक्षेत्र में कार्यरत सभी विजेता प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सम्मान स्वयं उनके लिए उत्प्रेरक का कार्य तो करेगा ही साथ ही वे दूसरों के लिए भी उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। राजभाषा हिन्दी के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राजभाषा किसी भी राज्य या देश की पोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होती। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने यह सपना भी देखा था कि भारत के किसी भी कोने में बोली जाने वाली किसी भी भाषा को विकास करने का पूर्ण अवसर मिलेगा।

सर्वसुलभ, सर्व समावेक्षी एवं सर्वव्यापी भाषा-हिन्दी

इस सत्र में उपर्युक्त विषय पर अपने-अपने क्षेत्र के जानी-मानी हस्तियों ने अपने प्रभावी एवं प्रेरक विचार रखे। सर्वप्रथम महाराष्ट्र हिंदी परिषद के उपाध्यक्ष सुश्री प्रियंका शक्ति ठाकुर जी अपनी व्याख्यान की शुरुआत स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री अटल विहारी वाजपेई जी की पंक्तियों से किया -

गूंजी हिंदी विश्व में,स्वप्न हुआ साकार।

राष्ट्रसंघ हिंद से, हिंदी की जय जय कार।

उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब न्यूयॉर्क से यह संवाद किया था वहीं से पूरे हिंदुस्तान में हिंदी की गूंज की शुरुआत हो गई थी। हिन्दी सर्व सुलभ सर्व समावेशी और सर्वव्यापी भाषा है। हिंदी सरल सहज उतनी ही मिठास से भरी हुई है। मगर आश्चर्य की बात है कि हिन्दी को समय समय पर वो महत्व नहीं मिल पाता है जिसकी वो हकदार है, जिसके लिए काफी हद तक हम सभी जिम्मेदार हैं।

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने अपने सम्बोधन में कहा कि सर्व सुलभ, सर्व समावेशी एवं सर्वव्यापी इन 3 शब्दों को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में 45 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है। चीन के बाद जो भाषा मातृभाषा के तौर पर भारत में बोली जाती है वह हिन्दी है। और दूसरी भाषा के तौर पर जो लोग हिंदी बोलते हैं अगर उनकी संख्या ले ली जाए तो हिंदी बोलने वाले देश में 75 करोड़ हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी शब्दकोश में 3.5 लाख शब्द है जबकि अंग्रेजी भाषा की शब्द संपदा लगभग 10000 शब्दों तक सीमित है। हिंदी भाषा की शब्द संपदा इतनी बड़ी होने का मुख्य कारण यह है कि हिंदी का हृदय बहुत बड़ा है। हिन्दी का सर्व समावेशी स्वभाव ही है कि हिंदी ने अपने भीतर तमाम भाषाओं के शब्दों को स्वीकार किया है। आज के प्रसिद्ध गीतकार समीर जी के गीतों में पंजाबी और राजस्थानी शब्दों का भी समावेश है तथा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने द्वारा रचित काव्यों में कई भाषाओं का प्रयोग किया है उसमें अवधी के अलावा मारवाड़ी भी है जैसे- प्रभु मुद्रिका मेलि मुख महि, जलधि लांघ गए अचरज नाहीं। इसमें मेलि शब्द मारवाड़ी का है।

भारतीय सिनेमा और हिन्दी

भारतीय सिनेमा और हिन्दी विषय पर आधारित इस सत्र में भारतीय सिनेमा और हिन्दी के बदलते स्वरूप,उसकी प्रासंगिकता, आकार, विचार और युवाओं में उसकी बढ़ती असर पर श्री आशुतोष राणा, बालीवुड अभिनेता एवं साहित्यकार तथा श्री आलोक श्रीवास्तव, कवि, गीतकार एवं टीवी पत्रकार ने काफी खुलकर संवाद हुआ जो सभागार में उपस्थित सभी हिन्दी प्रेमियों के लिए काफी रोचक,आनंदित और प्रेरित करने वाला था। चर्चा के दौरान श्री आलोक श्रीवास्तव ने बतलाया कि श्री आशुतोष राणा ने अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड लेते समय अपना उदबोधन हिन्दी में ही दिया जबकि उस मंच से अधिकांश अभिनेता, अभिनेत्रियाँ अंग्रेजी में ही बात करती हैं। इस तरह आशुतोष जी ने भारतीय सिनेमा में भी हिन्दी के गौरव को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है।

आशुतोष राणा एक सवाल के जवाब में कि हिन्दी कैसे आगे बढ़े अपनी एक कविता के माध्यम से समझाया –

अंग्रेजी जो केवल धन की भाषा बोल सकती थी,
रखी बाजार में वस्तु का केवल मोल करती थी।
जुड़ी वो काम से इसलिए बनी वो मान की भाषा,
बनी वो आज पूरे विश्व की अभिमान की भाषा।
हिन्दी थी, जो मन के बंद ताले खोल सकती थी,
हमारी आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती थी।
बनाकर राज की भाषा बहुत अच्छा किया हमने,
हटाकर काज से इसको बहुत गच्चा दिया हमने।

इस प्रकार हिन्दी दिवस समारोह 2023 एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अनेक विषयों पर विचार मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ और इस अमृत कलश से निश्चित रूप से आने वाले समय में राजभाषा हिन्दी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में काफी सहयोग मिलेगा।

हिंदी विश्व भाषा की ओर

नेहा रंजन, प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल

भारत की राजभाषा हिंदी का इतिहास लगभग एक सहस्त्र वर्ष पुराना माना गया है । आज जब हम विश्व पटल पर खड़े होकर अपनी नजर डालते हैं तो यह पाते हैं कि विगत कुछ वर्षों से हिन्दी का वैश्विक मंच धीरे- धीरे एक विशालतम आकार ले रहा है । अब हिन्दी एकदेशीय नहीं अपितु बहुदेशीय भाषा का रूप ले चुकी है। 14 सितम्बर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई हिंदी आज केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि इसका विस्तार विश्व के लगभग 130 देशों में हो चुका है। हिंदी भारत की राजभाषा होने के साथ-साथ फ़िजी की भी राजभाषा है तथा इसे मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम में क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है।

आज विश्व भर में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के बीच हिंदी का स्थान मंदारिन के बाद दूसरा है । लेकिन किसी एक भाषा को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने या उसे विश्व भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए उस भाषा का विश्व भर में सर्वाधिक रूप से बोला जाना ही केवल एक मानदंड नहीं हो सकता । किसी भी भाषा को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए इस बात पर भी बल दिया जाना आवश्यक है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर उसका संपर्क, वाणिज्यिक, सेवाओं, आदि क्षेत्रों में कितना योगदान है, वह आर्थिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसका कितना प्रचलन है इत्यादि ।

विश्व स्तर पर हिंदी भाषा ने पहली अपनी उपस्थिति तब दर्ज़ की थी जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1977 में अपना व्याख्यान हिंदी भाषा में दिया था । उसी समय से हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की गौरवशाली यात्रा की शुरुआत हुई । हिंदी भाषा की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापत्य में उस भाषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में हिंदी भाषा में दिया था । यह प्रत्येक भारतीय और हमारी राजभाषा हिंदी के लिए गौरव का क्षण था । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा की स्वीकार्यता की पहल को संयुक्त राष्ट्र संघ के उस कदम से भी बल मिला जब संयुक्त राष्ट्र ने हिंदी में ट्वीट कर के इस बात की जानकारी दी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों को ट्विटर पर भी अद्यतन किया जाएगा । साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना फेसबुक पेज़ भी हिंदी भाषा में बनाया । वैश्वीकरण के इस दौर में यह अत्यंत आवश्यक है कि हिंदी की स्वीकार्यता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाए जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्यिक गतिविधियों में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ सके ।

हिंदी आज विश्व भाषा का रूप धारण कर चुकी है । भारत के पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान , पाकिस्तान , बांग्लादेश सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, आदि में लोग हिंदी बोलते व समझते हैं । फ़िज़ी, सूरीनाम , टिनिडाड , गुयाना जैसे देशों में हिंदी को विशिष्ट स्थान प्राप्त है । आंकड़ों की माने तो फ़ीज़ी में आधी से ज्यादा जनसंख्या यानी कि लगभग 52% लोगों की मातृभाषा हिंदी है और सूरीनाम में लगभग 39% जनसंख्या हिंदी भाषी है । वर्तमान समय में भी सूरीनाम की बोलचाल की भाषा हिंदी है, जिसे सरनामी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है । स्थानीय बोलियों और भाषाओं से प्रभावित सरनामी हिंदी मुख्य रूप से भोजपुरी, अवधी, ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रित रूप है । वर्ष 2019 में संयुक्त अरब अमीरात में अरबी और अंग्रेज़ी के साथ - साथ हिंदी को भी तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया ।

इनके अलावा भारतीय साहित्य व भारतीय फिल्मों विशेष रूप से हिंदी भाषा के साहित्य व फिल्मों ने रूस के लोगों पर गहरी छाप छोड़ी है । मौजूदा समय में विश्व के लगभग 170 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा एक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है जो कि इस बात का द्योतक है कि हिन्दी भाषा मात्र साहित्य तक ही सीमित न होकर हृदयों को जोड़ने वाली भाषा के रूप में भी उभरी है ।

मॉरिशस , फिजी, सूरीनाम , त्रिनिटाड देशों में भारत - मूल के निवासियों की उल्लेखनीय उपस्थिति होने के कारण वहाँ हिन्दी के अनेक प्रशिक्षण केन्द्र खुले हुए हैं। विश्व के प्रमुख देशों में हमारे देश के दूतावास हैं जो हिन्दी के प्रचार - प्रसार में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। मॉस्को (रुस) को दुनिया में हिंदी भाषा के अध्ययन-अध्यापन के प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। मॉस्को में हिंदी भाषा का अध्ययन और शिक्षण मॉस्को राजकीय विश्वविद्यालय के साथ-साथ दो अन्य विश्वविद्यालयों में भी किया

जाता है। मॉस्को विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा में बी.ए., एम.ए. और पीएच. डी. की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। रूस स्थित भारतीय दूतावास के जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र में हिंदी भाषा निःशुल्क पढ़ाई जाती है। मॉस्को में ऐसा विद्यालय भी है जहाँ बच्चों को छठी कक्षा से ही हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। रूसी वैज्ञानिकों द्वारा हिंदी भाषा के अनेक शब्दकोशों और पाठ्य-पुस्तकों की रचना एवं हिंदी साहित्य का अनुवाद बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्वर्ड, येल, शिकागो, वाशिंग्टन, मोन्टाना, टेक्सास एवं कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालयों समेत कई अन्य विश्वविद्यालयों में भी हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं।अमेरिका के अनेक राज्यों के पब्लिक स्कूल्स (सरकारी विद्यालयों) में भी हिंदी भाषा का विकल्प दिया जा रहा है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलियन नेशनल विश्वविद्यालय, टोक्यो विश्वविद्यालय, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में भी हिंदी के पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

पड़ोसी देश चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय, गुआंडोंग विश्वविद्यालय सहित अनेक महाविद्यालयों में तथा बीजिंग स्थित गुरुकुल विद्यालय में हिंदी पढ़ायी जाती है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा सिंगापुर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी हिंदी पढ़ायी जाती है। सुदूर पूर्व के देश फ़िजी में हिंदी को विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में भी अनेक विदेशी छात्र, जिनमें जापानी, कोरियाई छात्रों की संख्या अधिक है, भारत में स्थित विदेशी कंपनियों में आकर्षक नौकरी हेतु हिंदी में दाखिला ले रहे है। वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आर्थिक, सामरिक, राजनैतिक प्रभाव को देखते हुए, भारत की राजभाषा हिंदी को सीखने, जानने की ललक विदेशों में बढ़ती जा रही है। विदेशों में भी हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की गयी है। इसी क्रम में 17 सितंबर, 2001 को भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना मॉरिशस में की गयी। हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा बनाने के प्रयासों में इस सचिवालय की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। हिन्दी का एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से विश्व हिन्दी सचिवालय की स्थापना की गई है। यह सचिवालय अंतरराष्ट्रीय हिंदी पत्रिका एवं अंतरराष्ट्रीय हिंदी समाचार का प्रकाशन भी करता है।

कई देशों से हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया जा रहा है जिनमें अमेरिका से प्रकाशित विश्वा, इंग्लैंड से प्रकाशित पुरवाई, कनाडा से प्रकाशित साहित्य कुंज आदि प्रमुख हैं । हिन्दी पत्रकारिता की दृष्टि से मॉरिशस में सर्वप्रथम 15 मार्च, 1909 को' हिन्दुस्तानी' साहित्यिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जो हिन्दी, अंग्रेजी व गुजराती भाषा में एक साथ प्रकाशित होता था। इस देश के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. मणिलाल ने 'मॉरिशस आर्य पत्रिका' का संपादन किया। सन् 1920 में इंडो मॉरिशस संघ के तत्त्वावधान में' मॉरिशस इंडियन टाइम्स ' का प्रकाशन हुआ। फिजी में भी अनेक हिन्दी पत्र - पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई, जिनके शीर्षक हैं -' भारत पुत्र ', ' बुद्धिवाणी', ' वैदिक संदेश ', ' सनातन धर्म ', ' शांतिदूत ', ' मजदूर ', ' जागृति', ' झंकार ', ' जय फ़िज़ी' आदि है । सूरीनाम में भी अनेक पत्र - पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई जिनके शीर्षक हैं -' आर्यदिवाकर ', ' सरस्वती', ' भारतोदय ', ' वैदिक संदेश ', ' प्रेम संदेश ', ' शांतिदूत ' आदि। गुयाना में' आर्य - ज्योति', ' ज्ञानदा' आदि पत्रों का प्रकाशन हुआ। दक्षिणी अफ्रीका में भवानीप्रसाद के संपादकत्व में' हिन्दी' नामक पत्र का प्रकाशन हुआ। बर्मा / म्यांमार में श्यामचरण मिश्र के संपादकत्व में' प्रवासी' साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हिन्दी में हुआ।' ब्रह्मभूमि', ' आर्य युवक जागृति' आदि पत्रों का प्रकाशन भी हुआ। नेपाल की राजधानी काठमांडू से' नेपाली' नामक हिन्दी दैनिक का प्रकाशन के साथ – साथ ' साहित्य - लोक ', ' आरोहण ' आदि पत्रों का भी प्रकाशन हुआ है। रूस से भी' सोवियत संघ ', ' सोवियत नारी' आदि कई हिंदी पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं । जापान का प्रथम हिन्दी - पत्र ' ज्वालामुखी' है, जिसका प्रकाशन टोकियो से होता है। वर्तमान में विश्व में दैनिक समाचार पत्रों की दृष्टि से प्रथम बीस समाचार पत्रों में हिन्दी के पांच समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं राजस्थान पत्रिका शामिल है।

हिंदी भाषा स्वयं में अपने भीतर एक अंतरराष्ट्रीय जगत का समावेश किए हुए है । इस भाषा ने आर्य, द्रविड़ , फारसी, अरबी, पुर्तगाली, जर्मन , फ्रेंच , अंग्रेज़ी, चीनी, जापानी जैसे अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों को अंगीकार किया है, जो हिंदी भाषा की अंतरराष्ट्रीय मैत्री एवं वसुधैव कुटुम्बकम् की प्रवृति को उजागर करती है ।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए भारतीय संस्कृति संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । इसने दुनिया भर में अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पीठ की स्थापना की है । इन विश्वविद्यालयों में भारत से शिक्षकों को नियुक्ति पर भेजा जाता है, जो उस देश में हिंदी के प्रचार – प्रसार, अध्यापन, शोधकार्य इत्यादि में सहयोग करते हैं, साथ ही इनके द्वारा प्रतिवर्ष हिंदी प्राध्यापकों का पैनल भी तैयार किया जाता है ।

मौजूदा समय में इस बात की आवश्यकता है कि हिंदी को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के साथ - साथ इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सातवीं आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृति दिलाने हेतु ठोस पहल की जाए ताकि यह विश्व की एक ऐसी सशक्त भाषा बन सके जिसकी विश्व स्तर पर उपेक्षा न की जा सके ।

ज्ञान के मोती

- अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो सूरज की तरह जलना सीखो।
  - डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम
- जिस चीज को आप चाहते हैं, उसमें असफल होना, जिस चीज को आप नहीं चाहते उसमें सफल होने से बेहतर है।
  - जॉर्ज बर्न्स
- जो सभी का मित्र होता है, वो किसी का मित्र नहीं होता।
  -अरस्तू
- बिना रुके, एक लक्ष्य का पालन करना: यही सफलता का रहस्य है।
  -अन्ना पावलोवा
- आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं, वह बदलाव पहले खुद में लाइये।
  -महात्मा गांधी
- बड़ा काम करने का एक मात्र रास्ता है, वह है अपने काम से प्यार करना।
  – स्टीव जॉब्स
- आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत आपको हमेशा सफलता दिलाएगी।
  - विराट कोहली
- आपकी सफलता का रहस्य आपकी दिनचर्या से निर्धारित होता है।
  -जॉन सी मैक्सवेल
- जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं।
  - स्टीफन हॉकिंग
- धैर्य, दृढ़ता और पसीना सफलता के लिए एक अपराजेय संयोजन बनाते हैं।
  - नेपोलियन हिल
- लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका महज़ वोट देने भर से समाप्त नहीं हो जाती है।
  - बराक ओबामा
- आप जिस भी चीज से बचने की कोशिश करते हैं, वही आपकी चेतना का आधार बन जाती है।
  - सद्गुरु
- चार शब्दों में मैंने जो जीवन के बारे में सीखा है, वह है –जिंदगी चलती रहती है।
  – रोबर्ट फ्रॉस्ट

हंसी की फुलझड़ियाँ

पत्नी : आप मुझे रानी क्यूँ बुलाते हो ?
पति : क्योंकि नौकरानी थोड़ा लंबा शब्द हो जाता है।
पत्नी : तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें जान क्यूँ बुलाती हूँ ?
पति : क्योंकि मैं तुम्हारी जान हूँ !
पत्नी : नहीं, क्योंकि जानवर थोड़ा लंबा शब्द हो जाएगा।

संता अपनी हेल्थ के बारे में अपने डॉक्टर से मिलने गया, संता की नौकरी, पगार, काम के प्रकार इत्यादि को सुनकर डॉक्टर ने सलाह दी:
ज़्यादातर पैदल चला करो, कोल्ड ड्रिंक्स कम कर दो, शराब तो बिलकुल ही छोड़ दो।
बहुत ज्यादा पानी पियो, अगर आप-पास जाना हो तो रिक्शा से मत जाओ, चल के जाओ।
बाहर का खाना पूरी तरह से बंद करो।
तेल, घी, मांस, अंडे, मछली कम खाओ।
संता ने हां तो बोल दिया.. फिर डरते-डरते सवाल पूछा- डॉक्टर साहब...मुझे हुआ क्या है??
डॉक्टर- तुम्हें हुआ कुछ नहीं है... तुम्हारी सैलरी बहुत कम है भाई ! बीमार पड़ गए तो ईलाज नहीं करवा पाओगे...

ये वो दौर है जनाब जहां इंसान गिर जाये तो हँसी निकल जाती है और मोबाईल गिर जाये तो जान निकल जाती है।

मेहमान- और बताओ बेटा आगे का क्या प्लान है...
राम- बस आपके जाते ही बिस्कुट खाउंगा...
वैसे भी नमकीन और मेवा तो आपने छोड़ी नहीं है।

संता ने नाई की दुकान खोली।
बंता एक दिन संता की दुकान पर शेविंग कराने आया।
संता ने बंता से पूछा- मूछ रखनी हैं, क्या ?
बंता-हां
संता , बंता की मूछ काट के बोला- ले भाई रख ले, जहां भी तुझे रखनी है।

पुलिस- आपके पास सारे कागज हैं, हेलमेट भी लेकिन चालान होगा।
चम्पक- क्यों ?
पुलिस- आपने सारे कागज पॉलीथीन में संभाल कर रखे हैं और पॉलीथीन बैन है।

राजभाषा अधिनियम - 1963

राजभाषा कार्यान्वयन को बल देने और उसकी स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया । राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कुल 14 दस्तावेज आते हैं, जिसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य है । वे दस्तावेज हैं – संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन, राजकीय कागज-पत्र, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, सूचना और निविदा प्रारूप । विदित है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3, 26 जनवरी 1965 से केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में लागू है । धारा 3(3) के तहत जारी दस्तावेज को द्विभाषिक रूप में जारी, हस्ताक्षर व निष्पादित करने की जिम्मेदारी हस्ताक्षरकर्ता की होती है ।

सभी कार्यालयों / शाखाओं को धारा 3(3) का उल्लंघन करने से बचना चाहिए । इसके समुचित अनुपालन हेतु शाखाओं / कार्यालयों में जाँच बिंदु बनाएं । धारा 3(3) से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ा प्रत्येक तिमाही में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भरी जाने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्ट में भरा जाता है ।

1 संविधान का भाग -17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ ?
क) 14.09.1949 ख) 14.09.1947
ग) 14.09.1948 घ) 26.01.1950

2 संविधान के अनुच्छेद 344 (4) के अनुसार संसदीय समिति में लोक सभा के कितने सदस्य होते हैं ?
क) तीस ख) बीस
ग) दस घ) पाँच

3 संविधान के अनुच्छेद 344 (4) के अनुसार संसदीय समिति में राज्य सभा के कितने सदस्य होते हैं ?
क) तीस ख) बीस
ग) दस घ) पाँच

4 राज्यों के विधान मंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है ?
क) 120 ख) 343
ग) 344 घ) 210

5 संविधान के कितने अनुच्छेदों में राजभाषा सम्बंधी प्रावधान किए गए हैं ?
क) 11 ख) 9
ग) 10 घ) 12

6 संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन सम्बंधी प्रावधान किया गया है ?
क) 344 ख) 344 (2)
ग) 344 (1) घ) 345

7 संसद के दोनों सदनो द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया ?
क) 18 जनवरी 1967 ख) 18 जनवरी 1968
ग) 18 फरवरी 1968 घ) 26 जनवरी 1968

8 राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएँ हैं ?
क) 10 ख) 11
ग) 9 घ) 6

9 राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादर नगर हवेली और दमन दीव किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ?
क) क ख) ख
ग) ग घ) इनमें से कोई नहीं

10 राजभाषा नियन 1976 के किस नियम में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है ?
क) नियम 5 ख) नियम 8
ग) नियम 9 घ) नियम 10

11 राजभाषा नियन 1976 के किस नियम में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है ?
क) नियम 5 ख) नियम 8
ग) नियम 9 घ) नियम 10

12 बिना प्रशिक्षण लिए आइओबी प्रवीण परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने पर नकद प्रोत्साहन कितना प्राप्त होता है ?
क) 7500/- ख) 10000/-
ग) 5000/- घ) से कोई नहीं

13 मराठी भाषा की लिपि क्या है ?
क) ब्राह्मी ख) रोमन
ग) देवनागरी घ) खरोष्ठी

14 संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी ?
क) दिसम्बर 1946 ख) 15 अगस्त 1947
ग) 14 सितम्बर 1947 घ) 26 जनवरी 1949

15 राजभाषा नियम में अंतिम संशोधन कब हुआ ?
क) 1976 ख) 1963
ग) 1967 घ) 1987

नोट : राजभाषा प्रश्नोत्तरी के उत्तर के लिए पृष्ठ संख्या 16 देखें

संकलनकर्ता:
बरुन चौधरी
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की गृह पत्रिका 'वाणी' का जून, 2023 का अंक सारगर्भित, ज्ञानवर्धक एवं रुचिकर है । इसमें प्रकाशित सभी लेख ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी हैं, विशेष रूप से महा प्रबंधक महोदय का 'डिजिटल ऋण – भविष्य की बैंकिंग' अत्यंत उपयोगी एवं समसामयिक है । इसके अलावा 'समय प्रबंधन' पर विशेष आलेख अत्यंत प्रासंगिक एवं आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अनुकरणीय है । सभी लेखकों एवं संपादक मंडल का प्रयास प्रशंसनीय है ।

सादर,

सर्वेश कुमार मिश्रा, सहायक निदेशक (राजभाषा)
वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार

आपके कार्यालय की गृह पत्रिका वाणी का 137वाँ अंक प्राप्त हुआ । पत्रिका का आवरण और साज सज्जा अत्यंत आकर्षक है । विज्ञापन की भाषा के रूप में हिंदी पर संपादकीय समय की मांग के अनुरूप है । बैंकों में प्रबंधन एवं धोखाधड़ी पर लिखे गए लेख भी प्रासंगिक है । न्यायलयों में राजभाषा हिंदी की स्थिति पर लिखा गया लेख आजादी के 75 वर्षों के बाद हिंदी की स्थिति को बयां करता है । एक बैंक की पत्रिका में जलवायु पर लेख देखकर अच्छा लगा । वाणी पत्रिका के इस अंक के प्रकाशन हेतु आपको और आपके पूरे संपादक मंडल को हार्दिक बधाई ।

भवदीय,

डॉ एस संतोष बाबू , प्राचार्य
डी.जी. वैष्णव कॉलेज, चेन्नै – 106

आपके कार्यालय की प्रतिष्ठित तिमाही गृह पत्रिका वाणी का 137वाँ अंक प्राप्त हुआ । धन्यवाद !

यह स्वागतेय है कि पत्रिका विविध रुचिकर आलेखों और छायाचित्रों से सुसज्जित है । इस अंक में प्रकाशित सामग्री भाषिक स्तर व विषयगत उपयोगिता दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । पत्रिका में सृजनात्मकता के समूहीकृत तत्व जैसे राजभाषा हिंदी, बैंकिंग, साहित्य, मनहर कविताओं के साथ-साथ राजभाषायी गतिविधियों का समावेश निश्चय ही पाठकों की अभिरुचि का परिष्कार कर उन्हें समाकर्षित कर रही हैं ।

पत्रिका के इस अंक में सुचिंतित आलेख चाहे वो बैंकिंग उत्पादों से संबंधित हो अथवा राजभाषा हिंदी या अन्य विविध विषयों पर, सुधि स्टाफ सदस्यों ने बड़ी कुशलता से अपने भाव एवं विचार अवेक्षित किए हैं । एक तरफ न्यायालय में राजभाषा, स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की भूमिका, मन की भाषा, बैंक एवं भारतीय भाषाएँ, भारतीय संसद का नया रूप ज्ञानवर्धन का कार्य कर रही हैं, वही दूसरी तरफ बैंक में अनुपालन कार्य, जलवायु जोखिम एवं सतत वित्त, बैंकों द्वारा ऋण संवितरण एवं वसूली कार्योपयोगी आलेख हैं । आत्मसम्मान की भाषा हिंदी, भ्रष्टाचार, शोर जैसे भावपूर्ण कविताओं ने मानवीय संवेदनाओं के साथ पाठक को जोड़ने का कार्य किया है । कृति दर्पण में 'भूख का व्याकरण' की समीक्षा भावना को स्पर्श करते हुए प्रस्तुत की गई है । इसमें कोई अतिशय नहीं है की इस अंक हेतु 'वाणी' की संपूर्ण टीम प्रशंसा, साधुवाद और शुभेच्छा के पात्र हैं जिन्होंने इस अंक के माध्यम से अपनी सुरुचिपूर्ण कल्पनाशीलता, साहित्यिक अभिरुचि और संभावनाशील संपादनकला का मनोहारी नमूना संभृत किया है ।

सादर,

अजयेंद्रनाथ त्रिवेदी, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
यूको बैंक, प्रधान कार्यालय

बैंक की गृह पत्रिका "वाणी" का 137वाँ अंक प्राप्त हुआ, जिसे पढ़कर हमेशा की तरह प्रसन्नता की अनुभूति हुई । पत्रिका की साज-सज्जा मनोहर है तथा संदेशों व लेखों के माध्यम से एक प्रेरणादायक प्रस्तुति की गई है । साहित्य का सफरनामा के अंतर्गत लिखा गया लेख "फ़िराक गोरखपुरी: एक साहित्यिक विवेचना" में फ़िराक गोरखपुरी के कविता संग्रह का समेकन लेखक द्वारा अनोखे तरीके से प्रस्तुत किया गया है । साथ ही पत्रिका में 'डिजिटल ऋण:भविष्य की बैंकिंग', 'धोखाधड़ी प्रबंधन', 'डिजिटल करेंसी: अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग पर प्रभाव', बैंकों द्वारा ऋण संवितरण एवं उसकी वसूली' ऐसे लेख हैं जो समय की मांग के अनूरूप हैं । वाणी पत्रिका शुरू से अंत तक बहुत ही सुन्दर, ज्ञानवर्धक और अनोखी लगी । उत्कृष्ट प्रकाशन कार्य के लिए संपादक मंडली को शुभकामनाओं के साथ बधाई । पत्रिका के नवीन अंक की प्रतीक्षा रहेगी ।

भवदीय,

संजय कुमार सिंह, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय एनसीआर दिल्ली

पुणे में आयोजित तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बैंक के स्टाल पर केरल के राज्यपाल **माननीय आरिफ मोहम्मद खान** का स्वागत करते हुए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव**

तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान "नराकास राजभाषा कार्यान्वयन का प्रभावशाली मंच" विषय पर अपना वक्तव्य रखते हुए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव**

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

आपकी प्रगति का सच्चा साथी

Good People to grow with

किसानों के सपनो को साकार करें

10 करोड़ तक का ऋण प्राप्त करें

आइओबी-कृषि सरल प्लस

- खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण गतिविधि से जुड़े व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों के लिए ऋण की सुविधा
- आकर्षक ब्याज दर
- सुविधानुसार चुकौती अवधि

अभी आवेदन करें

www.iob.in

हमें फॉलो करें @IOBindia

1800 425 4445

1800 890 4445